

وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ بَرَّأُوا ۝١٩٨ ۝ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ

और जो **अल्लाह** के पास है वोह नेकों के लिये सब से भला<sup>386</sup> और बेशक कुछ किताबी ऐसे हैं कि **अल्लाह** पर

بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشَعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ

ईमान लाते हैं और उस पर जो तुम्हारी तरफ़ उतरा और जो उन की तरफ़ उतरा<sup>387</sup> उन के दिल **अल्लाह** के हुजूर झुके हुए<sup>388</sup> **अल्लाह** की

بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۝ أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۝ إِنَّ اللَّهَ

आयतों के बदले ज़लील दाम नहीं लेते<sup>389</sup> येह वोह हैं जिन का सवाब उन के रब के पास है और **अल्लाह** जल्द

سَرِيعٌ الْحِسَابِ ۝١٩٩ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا

हि़साब करने वाला है ऐ ईमान वालो सब्र करो<sup>390</sup> और सब्र में दुश्मनों से आगे रहो और सरहद पर इस्लामी मुल्क की निगहबानी करो

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

और **अल्लाह** से डरते रहो इस उम्मीद पर कि काम्याब हो

﴿ آيَاتُهَا ١٢٦ ﴾ ﴿ سُورَةُ النِّسَاءِ مَدَنِيَّةٌ ٩٢ ﴾ ﴿ رُكُوعَاتُهَا ٢٣ ﴾

सूरए निसाअ मदीनय्या है, इस में एक सो छिहत्तर आयतें और चौबीस रुकूअ हैं

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**अल्लाह** के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला<sup>1</sup>

**386** : बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में है कि हज़रते उमर رضي الله عنه सय्यिदे आलम صل الله عليه وسلم की दौलत सराए अक्दस में हाज़िर हुए तो उन्होंने ने देखा कि सुल्ताने कौनैन एक बोरिये पर आराम फ़रमा हैं, चमड़े का तक्या जिस में नारियल के रेशे भरे हुए हैं ज़ेरे सरे मुबारक है, जिस्मे अक्दस में बोरिये के नक़श हो गए हैं, येह हाल देख कर हज़रते फ़ारूक़ रो पड़े, सय्यिदे आलम صل الله عليه وسلم ने सबबे गिर्या दरयाफ़्त किया तो अर्ज किया : **या रसूलल्लाह!** कैसरो किस्रा तो ऐशो राहत में हों और आप रसूले खुदा हो कर इस हालत में, फ़रमाया : क्या तुम्हें पसन्द नहीं कि उन के लिये दुन्या हो और हमारे लिये आख़िरत । **387** शाने नुज़ूल : हज़रते इब्ने अब्बास رضي الله عنهما ने फ़रमाया : येह आयत नज्जाशी बादशाहे हबशा के बाब में नाज़िल हुई, उन की वफ़ात के दिन सय्यिदे आलम صل الله عليه وسلم ने अपने अस्हाब से फ़रमाया : चलो और अपने भाई की नमाज़ पढ़ो जिस ने दूसरे मुल्क में वफ़ात पाई है, हुज़ूर बक़ीअ शरीफ़ में तशरीफ़ ले गए और ज़मीने हबशा आप के सामने की गई और नज्जाशी बादशाहा का जनाज़ा पेशे नज़र हुवा उस पर आप ने चार तकबीरों के साथ नमाज़ पढ़ी और उस के लिये इस्तिफ़र फ़रमाया । क्या नज़र है क्या शान है सर ज़मीने हबशा हि़जाज़ में सामने पेश कर दी जाती है । मुनाफ़िक्कीन ने इस पर ता'न किया और कहा देखो हबशा के नसरानी पर नमाज़ पढ़ते हैं जिस को आप ने कभी देखा भी नहीं और वोह आप के दीन पर भी न था, इस पर **अल्लाह** तआला ने येह आयत नाज़िल फ़रमाई । **388** : इज्जो इन्क़िसार और तवाज़ोअ व इख़लास के साथ । **389** : जैसा कि यहूद के रुअसा लेते हैं । **390** : अपने दीन पर और इस को किसी शिद्दत व तकलीफ़ वग़ैरा की वज्ह से न छोड़ो । सब्र के मा'ना में हज़रते जुनैद رضي الله عنه ने फ़रमाया कि सब्र नफ़्स को ना गवार अम्र पर रोकना है बिग़ैर जज़अ के । बा'ज़ हुकमा ने कहा सब्र की तीन किस्में हैं : (1) तर्क शिकायत (2) क़बूले क़ज़ा (3) सिद्के रिज़ा । **1** : सूरए निसाअ मदीनए तय्यिबा में नाज़िल हुई, इस में एक सो छिहत्तर आयतें हैं और तीन हज़ार पेंतालीस कलिमे और सोलह हज़ार तीस हर्फ़ हैं ।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ

ऐ लोगो<sup>2</sup> अपने रब से डरो जिस ने तुम्हें एक जान से पैदा किया<sup>3</sup> और उसी में

مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي

से उस का जोड़ा बनाया और उन दोनों से बहुत से मर्द व औरत फैला दिये और **अल्लाह** से डरो जिस के

تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝۱ وَاتَّقُوا

नाम पर मांगते हो और रिश्तों का लिहाज रखो<sup>4</sup> बेशक **अल्लाह** हर वक़्त तुम्हें देख रहा है और

الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۚ وَلَا تَأْكُلُوا

यतीमों को उन के माल दो<sup>5</sup> और सुथरे<sup>6</sup> के बदले गन्दा न लो<sup>7</sup> और उन के

أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۝۲ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا

माल अपने मालों में मिला कर न खा जाओ बेशक यह बड़ा गुनाह है और अगर तुम्हें अन्देशा हो कि

**2** : यह खिताब आम है तमाम बनी आदम को । **3** : अबुल बशर हज़रते आदम से जिन को बिगैर मां बाप के मिट्टी से पैदा किया था । इन्सान की इब्तिदाए पैदाइश का बयान कर के कुदरते इलाहिय्यह की अज़मत का बयान फरमाया गया, अगर्चे दुन्या के बे दीन बद अक्ली व ना फहमी से इस का मज़हका उड़ाते हैं लेकिन अस्हाबे फहमो खिरद जानते हैं कि यह मजमून ऐसी ज़बर दस्त बुरहान से साबित है जिस का इन्कार मुहाल है । मर्दम शुमारी का हिसाब पता देता है कि आज से सो बरस क़बल दुन्या में इन्सानों की ता'दाद आज से बहुत कम थी और इस से सो बरस पहले और भी कम तो इस तरह जानिबे माजी में चलते चलते इस कमी की हद एक ज़ात करार पाएगी, या यूं कहिये कि क़बाइल की कसीर ता'दादे एक शख्स की तरफ़ मुन्तहा हो जाती हैं मसलन सय्यिद दुन्या में करोड़ों पाए जाएंगे मगर जानिबे माजी में इन की निहायत सय्यिदे आलम **عَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** की एक ज़ात पर होगी और बनी इसराईल कितने भी कसीर हों मगर इस तमाम कसरत का मरजअ हज़रते या'कूब **عَلَيْهِ السَّلَام** की एक ज़ात होगी, इसी तरह और ऊपर को चलना शुरू करें तो इन्सान के तमाम शुज़ब व क़बाइल की इन्तिहा एक ज़ात पर होगी, उस का नाम कुतुबे इलाहिय्यह में आदम **عَلَيْهِ السَّلَام** है और मुम्किन नहीं कि वोह एक शख्स तवालुदो तनासुल के मा'मूली तरीके से पैदा हो सके, अगर उस के लिये बाप फ़र्ज़ भी किया जाए तो मां कहां से आए लिहाजा ज़रूरी है कि उस की पैदाइश बिगैर मां बाप के हो और जब बिगैर मां बाप के पैदा हुवा तो बिल यक्कीन उन्हीं अनासिर से पैदा होगा जो उस के वुजूद में पाए जाते हैं, फिर अनासिर में से जो उन्सर उस का मस्कन हो और जिस के सिवा दूसरे में वोह न रह सके लाज़िम है कि वोही उस के वुजूद में गालिब हो इस लिये पैदाइश की निस्बत उसी उन्सर की तरफ़ की जाएगी, यह भी ज़ाहिर है कि तवालुदो तनासुल का मा'मूली तरीका एक शख्स से जारी नहीं हो सकता इस लिये उस के साथ एक और भी हो कि जोड़ा हो जाए और वोह दूसरा शख्स इन्सानी जो उस के बा'द पैदा हो मुक्ताजाए हिक्मत येही है कि उसी के जिस्म से पैदा किया जाए क्यूं कि एक शख्स के पैदा होने से नौअ मौजूद हो चुकी, मगर यह भी लाज़िम है (कि) उस की खिल्कत पहले इन्सान से तवालुदे मा'मूली के सिवा किसी और तरीके से हो क्यूं कि तवालुदे मा'मूली बिगैर दो के मुम्किन ही नहीं और यहां एक ही है, लिहाजा हिक्मते इलाहिय्यह ने हज़रते आदम की एक बाई पस्ली उन के ख़्वाब के वक़्त निकाली और उन से उन की बीबी हज़रते हव्वा को पैदा किया, चूंकि हज़रते हव्वा ब तरीके तवालुदे मा'मूली (आम बच्चों की तरह) पैदा नहीं हुई इस लिये वोह औलाद नहीं हो सकती जिस तरह कि इस तरीके के ख़िलाफ़ जिस्मे इन्सानी से बहुत से कीड़े पैदा हुवा करते हैं वोह उस की औलाद नहीं हो सकते हैं, ख़्वाब से बेदार हो कर हज़रते आदम ने अपने पास हज़रते हव्वा को देखा तो महब्बते जिन्सियत दिल में मोज़ूज न हुई उन से फ़रमाया : तुम कौन हो ? उन्होंने अज़ु किया : औरत । फ़रमाया : किस लिये पैदा की गई हो ? अज़ु किया : आप की तस्कीने खातिर के लिये तो आप उन से मानूस हुए । **4** : इन्हें क़त्अ न करो । हदीस शरीफ़ में है : जो रिज़क़ की कशाइश चाहे उस को चाहिये कि सिलए रेहमी करे और रिश्तेदारों के हुक्क की रिआयत रखे । **5** शाने नुज़ूल : एक शख्स की निगरानी में उस के यतीम भतीजे का कसीर माल था जब वोह यतीम बालिग़ हुवा और उस ने अपना माल तलब किया तो चचा ने देने से इन्कार कर दिया । इस पर यह आयत नाज़िल हुई, इस को सुन कर उस शख्स ने यतीम का माल उस के हवाले किया और कहा कि हम **अल्लाह** और उस के रसूल की इताअत करते हैं । **6** : या'नी अपने हलाल माल **7** : यतीम का माल जो तुम्हारे लिये

تُقْسَطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَإِن كُحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنِي وَثَلَاثَ

यतीम लड़कियों में इन्साफ़ न करोगे<sup>8</sup> तो निकाह में लाओ जो औरतें तुम्हें खुश आएँ दो दो और तीन तीन

وَرُبَاعَ فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

और चार चार<sup>9</sup> फिर अगर डरो कि दो बीबियों को बराबर न रख सकोगे तो एक ही करो या कनीजे जिन के तुम मालिक हो

ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝ ३ وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن

येह इस से ज़ियादा करीब है कि तुम से जुल्म न हो<sup>10</sup> और औरतों को उन के महर खुशी से दो<sup>11</sup> फिर अगर

طَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۝ ४ وَلَا تَتُوتُوا

वोह अपने दिल की खुशी से महर में से तुम्हें कुछ दे दें तो उसे खाओ रचता पचता (खुश गवार और मजे से)<sup>12</sup> और बे अक्लों

السُّفَهَاءَ أَمْوَالِكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ

को<sup>13</sup> उन के माल न दो जो तुम्हारे पास हैं जिन को **अव्वाह** ने तुम्हारी बसरे अवकात किया है और उन्हें उस में से खिलाओ और पहनाओ

हराम है उस को अच्छा समझ कर अपने रद्दी माल से न बदलो क्यूं कि वोह रद्दी तुम्हारे लिये हलाल व तथ्यब है और येह हराम व ख़बीस । 8 : और उन के हुक्क की रिआयत न रख सकोगे 9 : आयत के मा'ना में चन्द कौल हैं । हसन का कौल है कि पहले ज़माने में मदीने के लोग अपनी जेरे विलायत यतीम लड़की से उस के माल की वजह से निकाह कर लेते बा वुजूदे कि उस की तरफ़ रबत न होती फिर उस के साथ सोहबत व मुआशरत में अच्छा सुलूक न करते और उस के माल के वारिस बनने के लिये उस की मौत के मुन्तज़िर रहते, इस आयत में उन्हें इस से रोका गया । एक कौल येह है कि लोग यतीमों की विलायत से तो बे इन्साफ़ी हो जाने के अन्देशे से घबराते थे और जिना की परवा न करते थे । उन्हें बताया गया कि अगर तुम ना इन्साफ़ी के अन्देशे से यतीमों की विलायत से गुरैज़ करते हो तो जिना से भी ख़ौफ़ करो और इस से बचने के लिये जो औरतें तुम्हारे लिये हलाल हैं उन से निकाह करो और हराम के करीब मत जाओ । एक कौल येह है कि लोग यतीमों की विलायत व सर परस्ती में तो ना इन्साफ़ी का अन्देशा करते थे और बहुत से निकाह करने में कुछ बाक (ख़ौफ़) नहीं रखते थे, उन्हें बताया गया कि जब ज़ियादा औरतें निकाह में हों तो उन के हक़ में ना इन्साफ़ी से भी डरो, उतनी ही औरतों से निकाह करो जिन के हुक्क अदा कर सको । इकिरमा ने हज़रते इब्ने अब्बास से रिवायत की, कि कुरैश दस दस बल्कि इस से ज़ियादा औरतें करते थे और जब उन का बार न उठ सकता तो जो यतीम लड़कियां उन की सर परस्ती में होतीं उन के माल खर्च कर डालते । इस आयत में फ़रमाया गया कि अपनी इस्तिताअत देख लो और चार से ज़ियादा न करो ताकि तुम्हें यतीमों का माल खर्च करने की हाजत पेश न आए । **मस्अला** : इस आयत से मा'लूम हुवा कि आज़ाद मर्द के लिये एक वक़्त में चार औरतों तक से निकाह जाइज़ है ख़वाह वोह हुर्ग़ (आज़ाद) हों या अमह या'नी बांदी । **मस्अला** : तमाम उम्मत का इम्माअ है कि एक वक़्त में चार औरतों से ज़ियादा निकाह में रखना किसी के लिये जाइज़ नहीं सिवाए रसूले करीम **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** के, येह आप के ख़साइस में से है । अबू दावूद की हदीस में है कि एक शख़्स इस्लाम लाए उन की आठ बीबियां थीं हुज़ूर ने फ़रमाया : उन में से चार रखना । तिरमिज़ी की हदीस में है कि गैलान बिन सलमा सकफ़ी इस्लाम लाए उन के दस बीबियां थीं वोह साथ मुसल्मान हुई, हुज़ूर ने हुक्म दिया कि इन में से चार रखो । **10 मस्अला** : इस से मा'लूम हुवा कि बीबियों के दरमियान अदल फ़र्ज़ है । नई, पुरानी, बाकिरा (कुंवारी), सय्यिबा (शादी शुदा) सब इस इस्तिहकाक़ (हक़दारी) में बराबर हैं । येह अदल लिबास में, खाने पीने में, सक्ना या'नी रहने की जगह में और रात को रहने में लाज़िम है, इन उमूर में सब के साथ यक्सां सुलूक हो । **11** : इस से मा'लूम हुवा कि महर की मुस्तहिक़ औरतें हैं न कि इन के औलिया, अगर औलिया ने महर वुसूल कर लिया हो तो उन्हें लाज़िम है कि वोह महर उस की मुस्तहिक़ औरत को पहुंचा दें । **12 मस्अला** : औरतों को इख़्तियार है कि वोह अपने शोहरों को महर का कोई जुच्च हिबा करें या कुल महर मगर महर बख़्शवाने के लिये उन्हें मजबूर करना उन के साथ बद खुल्की करना न चाहिये क्यूं कि **अव्वाह** तआला ने **طَبْنَ** फ़रमाया जिस के मा'ना है दिल की खुशी से मुआफ़ करना । **13** : जो इतनी समझ नहीं रखते कि माल का मसरफ़ पहचानें, इस को बे महल खर्च करते हैं और अगर उन पर छोड़ दिया जाए तो वोह जल्द जाएअ कर देंगे ।

وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝۵ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

और उन से अच्छी बात कहो<sup>14</sup> और यतीमों को आजमाते रहो<sup>15</sup> यहां तक कि जब वोह निकाह के काबिल हों

فَإِنِ انْتُمْ مِنْهُمْ رُشَدًا فَأَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا

तो अगर तुम उन की समझ ठीक देखो तो उन के माल उन्हें सिपुर्द कर दो और उन्हें न खाओ

إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ

हृद से बढ़ कर और इस जल्दी में कि कहीं बड़े न हो जाएं और जिसे हाजत न हो वोह बचता रहे<sup>16</sup> और जो

كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

हाजत मन्द हो वोह ब कदरे मुनासिब खाए फिर जब तुम उन के माल उन्हें सिपुर्द करो

فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ۝۶ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا

तो उन पर गवाह कर लो और **اللَّهُ** काफी है हिसाब लेने को मर्दों के लिये हिस्सा है

تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ

उस में से जो छोड़ गए मां बाप और कराबत वाले और औरतों के लिये हिस्सा है उस में से जो छोड़ गए मां बाप

وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۝۷ وَإِذَا حَضَرَ

और कराबत वाले तर्का थोड़ा हो या बहुत हिस्सा है अन्दाज़ा बांधा हुवा<sup>17</sup> फिर बांटते वक्त

الْقِسَّةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا

अगर रिश्तेदार और यतीम और मिसकीन<sup>18</sup> आ जाएं तो उस में से उन्हें भी कुछ दो<sup>19</sup> और उन से

لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝۸ وَلِيخَشَ الَّذِينَ لَو تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً

अच्छी बात कहो<sup>20</sup> और डरे<sup>21</sup> वोह लोग कि अगर अपने बा'द नातुवान औलाद छोड़ते तो उन का कैसा उन्हें

14 : जिस से उन के दिल को तसल्ली हो और वोह परेशान न हों, मसलन येह कि माल तुम्हारा है और तुम होशियार हो जाओगे तो तुम्हें सिपुर्द किया जाएगा। 15 : कि उन में होशियारी और मुआमला फहमी पैदा हुई या नहीं 16 : यतीम का माल खाने से 17 : जमानए जाहिलियत में औरतों और बच्चों को विरसा न देते थे इस आयत में इस रस्म को बातिल किया गया। 18 : अजनबी जिन में से कोई मय्यित का वारिस न हो 19 : कबले तकसीम और येह देना मुस्तहब है। 20 : इस में उज़्रे जमील, वा'दाए हसना और दुआए खैर सब दाखिल हैं। इस आयत में मय्यित के तर्के से गैर वारिस रिश्तेदारों, यतीमों और मिसकीनों को कुछ बतौरै सदका देने और कौले मा'रुफ (अच्छी बात) कहने का हुक्म दिया, जमानए सहाबा में इस पर अमल था। मुहम्मद बिन सीरीन से मरबी है कि इन के वालिद ने तकसीमे मीरास के वक्त एक बकरी जुब्द करा के खाना पकाया और रिश्तेदारों और यतीमों और मिसकीनों को खिलायी और येह आयत पढ़ी, इन्ने सीरीन ने इसी मजमून की उबैदा सलमानी से भी रिवायत की है उस में येह भी है कि कहा कि अगर येह आयत न आई होती तो येह सदका मैं अपने माल से करता। तीजा जिस को सिवुम कहते हैं और मुसलमानों में मा'मूल है वोह भी इसी आयत का इत्तिबाअ है कि इस में रिश्तेदारों, यतीमों व मिसकीनों पर तसहुक

ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝٩ إِنَّ

खतरा होता तो चाहिये कि **अल्लाह** से डरें<sup>22</sup> और सीधी बात करें<sup>23</sup> वोह

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ

जो यतीमों का माल नाहक खाते हैं वोह तो अपने पेट में निरी आग भरते हैं<sup>24</sup>

وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ۝١٠ يُؤْصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِي كَرِمٌ حَظٌّ

और कोई दम जाता है कि भड़क्ते धड़े (भड़क्ती आग) में जाएंगे **अल्लाह** तुम्हें हुक्म देता है<sup>25</sup> तुम्हारी औलाद के बारे में<sup>26</sup> बेटे का हिस्सा

الْأُنثَىٰ ۖ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ

दो<sup>2</sup> बेटियों बराबर<sup>27</sup> फिर अगर निरी लड़कियां हों अगर्चे दो से ऊपर<sup>28</sup> तो उन को तर्के की दो तिहाई

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۖ وَلَا بَوَىٰهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

और अगर एक लड़की तो उस का आधा<sup>29</sup> और मरियत के मां बाप को हर एक को

السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ

उस के तर्के से छटा अगर मरियत के औलाद हो<sup>30</sup> फिर अगर उस की औलाद न हो और मां बाप

أَبَوَاهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ

छोड़े<sup>31</sup> तो मां का तिहाई फिर अगर उस के कई बहन भाई (हो)<sup>32</sup> तो मां का छटा<sup>33</sup> बा'द उस

होता है और कलिमे का खतम और कुरआने पाक की तिलावत और दुआ कौले मा'रुफ है, इस में बा'ज लोगों को बे जा इसरार हो गया है जो बुजुर्गों के इस अमल का माखज़ तो तलाश न कर सके बा वुजूदे कि इतना साफ़ कुरआने पाक में मौजूद था लेकिन उन्होंने ने अपनी राय को दीन में दखल दिया और अमले खैर को रोकने पर मुसिर हो गए। **अल्लाह** हिदायत करे। **21** : वसी और यतीमों के वली और वोह लोग जो करीबे मौत मरने वाले के पास मौजूद हों। **22** : और मरने वाले की जुर्रियत के साथ खिलाफ़े शफ़क़त कोई कारवाई न करें जिस से उस की औलाद परेशान हो। **23** : मरीज के पास उस की मौत के करीब मौजूद होने वालों की सीधी बात तो येह है कि उसे सदका व वसियत में येह राय दें कि वोह इतने माल से करे जिस से उस की औलाद तंगदस्त नादार न रह जाए और वसी व वली की सीधी बात येह है कि वोह मरने वाले की जुर्रियत से हुस्ने खुल्क के साथ कलाम करें जैसा अपनी औलाद के साथ करते हैं। **24** : या'नी यतीमों का माल नाहक खाना गोया आग खाना है क्यूं कि वोह सबब है अज़ाब का। हदीस शरीफ़ में है : रोज़े क्रियामत यतीमों का माल खाने वाले इस तरह उठाए जाएंगे कि उन की कब्रों से और उन के मुंह से और उन के कानों से धूआं निकलता होगा तो लोग पहचानेंगे कि येह यतीम का माल खाने वाला है। **25** : विरसे के मुतअल्लिक **26** : अगर मरियत ने बेटे बेटियां दोनों छोड़ी हों तो **27** : या'नी दुख़र का हिस्सा पिसर से आधा है और अगर मरने वाले ने सिर्फ़ लड़के छोड़े हों तो कुल माल उन का। **28** : या दो **29** : इस से मा'लूम हुवा कि अगर अकेला लड़का वारिस रहा हो तो कुल माल उस का होगा क्यूं कि ऊपर बेटे का हिस्सा बेटियों से दूना बताया गया है तो जब अकेली लड़की का निस्फ़ हुवा तो अकेले लड़के का इस से दूना हुवा और वोह कुल है। **30** : ख़्वाह लड़का हो या लड़की कि इन में से हर एक को औलाद कहा जाता है। **31** : या'नी सिर्फ़ मां बाप छोड़े और अगर मां बाप के साथ जौज या जौजा में से किसी को छोड़ा तो मां का हिस्सा जौज का हिस्सा निकालने के बा'द जो बाकी बचे उस का तिहाई होगा न कि कुल का तिहाई। **32** : सगे ख़्वाह सोतेले **33** : और एक ही भाई हो तो वोह मां का हिस्सा नहीं घटा सकता।

وَصِيَّةٌ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ <sup>ط</sup> أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ

वसियत के जो कर गया और दैन के<sup>34</sup> तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे तुम क्या जानो कि इन में कौन

أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا <sup>ط</sup> فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ <sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

तुम्हारे ज़ियादा काम आएगा<sup>35</sup> यह हिस्सा बांथा हुआ है **अल्लाह** की तरफ से बेशक **अल्लाह** इल्म वाला हिकमत वाला है

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ <sup>ج</sup> فَإِن كَانَ

और तुम्हारी बीबियां जो छोड़ जाएं उस में से तुम्हें आधा है अगर उन की औलाद न हो फिर अगर

لَّهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعَ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِيَنَّ بِهَا

उन की औलाद हो तो उन के तर्के में से तुम्हें चौथाई है जो वसियत वोह कर गई और दैन

أَوْ دَيْنٍ <sup>ط</sup> وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ <sup>ج</sup> فَإِن

निकाल कर और तुम्हारे तर्के में औरतों का चौथाई है<sup>36</sup> अगर तुम्हारे औलाद न हो फिर अगर

كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوَصُّونَ

तुम्हारे औलाद हो तो उन का तुम्हारे तर्के में से आठवां<sup>37</sup> जो वसियत तुम कर जाओ

بِهَا أَوْ دَيْنٍ <sup>ط</sup> وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخًا أَوْ

और दैन निकाल कर और अगर किसी ऐसे मर्द या औरत का तर्का बटता हो जिस ने मां बाप औलाद कुछ न छोड़े और मां की तरफ से उस का भाई या

أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ <sup>ج</sup> فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ

बहन है तो उन में से हर एक को छटा फिर अगर वोह बहन भाई एक से ज़ियादा हों

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ <sup>ل</sup> غَيْرِ

तो सब तिहाई में शरीक है<sup>38</sup> मय्यित की वसियत और दैन निकाल कर जिस में उस ने नुकसान न

مُضَائِرٍ <sup>ج</sup> وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ <sup>ط</sup> وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ <sup>ط</sup>

पहुंचाया हो<sup>39</sup> यह **अल्लाह** का इर्शाद है और **अल्लाह** इल्म वाला हिल्म वाला है यह **अल्लाह** की हदें हैं

34 : क्यूं कि वसियत और दैन या'नी कर्ज विरसे की तक्सीम से मुकद्दम है और दैन वसियत पर भी मुकद्दम है । हदीस शरीफ में है

“إِنَّ الدَّيْنَ قَبْلُ الوَصِيَّةِ” । 35 : इस लिये हिस्सों की ता'यीन तुम्हारी राय पर नहीं छोड़ी । 36 : ख्वाह एक बीबी हो या कई, एक होगी तो

वोह अकेली चौथाई पाएगी, कई होंगी तो सब उस चौथाई में बराबर शरीक होंगी ख्वाह बीबी एक हो या कई हों हिस्सा येही रहेगा । 37 :

ख्वाह बीबी एक हो या ज़ियादा । 38 : क्यूं कि वोह मां के रिश्ते की बदौलत मुस्तहिक हुए और मां तिहाई से ज़ियादा नहीं पाती और इसी लिये

इन में मर्द का हिस्सा औरत से ज़ियादा नहीं है । 39 : अपने वारिसों को तिहाई से ज़ियादा वसियत कर के या किसी वारिस के हक में वसियत

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

और जो हुक्म माने **अल्लाह** और **अल्लाह** के रसूल का **अल्लाह** उसे बागों में ले जाएगा जिन के नीचे नहरें रवां

خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

हमेशा उन में रहेंगे और येही है बड़ी काम्याबी और जो **अल्लाह** और उस के रसूल की ना फ़रमानी करे

وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

और उस की कुल हदों से बढ़ जाए **अल्लाह** उसे आग में दाखिल करेगा जिस में हमेशा रहेगा और उस के लिये ख़वारी का अज़ाब है<sup>40</sup>

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْرَهُدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً

और तुम्हारी औरतों में जो बदकारी करें उन पर ख़ास अपने में के<sup>41</sup> चार मर्दों की

مِّنْكُمْ فَإِنْ شَرَهُدُوا فَمَا مَسْكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّهُنَّ الْمَوْتُ

गवाही लो फिर अगर वोह गवाही दे दें तो उन औरतों को घर में बन्द रखो<sup>42</sup> यहां तक कि उन्हें मौत उठा ले

कर के। **मसाइले फ़राइज़ :-** वारिस कई किस्म हैं, **अस्हाबे फ़राइज़** : येह वोह लोग हैं जिन के लिये हिस्से मुकरर हैं मसलन बेटी एक हो तो आधे माल की मालिक, ज़ियादा हों तो सब के लिये दो तिहाई, पोती और परपोती और इस से नीचे की हर पोती अगर मय्यित के औलाद न हो तो बेटी के हुक्म में है और अगर मय्यित ने एक बेटी छोड़ी हो तो येह उस के साथ छटा पाएगी और अगर मय्यित ने बेटा छोड़ा तो साफ़ित हो जाएगी कुछ न पाएगी और अगर मय्यित ने दो बेटियां छोड़ीं तो भी पोती साफ़ित होगी लेकिन अगर उस के साथ या उस के नीचे दरजे में कोई लड़का होगा तो वोह उस को असबा बना देगा। सगी बहन मय्यित के बेटा या पोता न छोड़ने की सूरत में बेटियों के हुक्म में है। अल्लाती बहनें जो बाप में शरीक हों और उन की माएं अलाहदा अलाहदा हों वोह हकीकी बहनों के न होने की सूरत में उन की मिस्ल हैं और दोनों किस्म की बहनें या'नी अल्लाती व हकीकी मय्यित की बेटी या पोती के साथ असबा हो जाती हैं और बेटे और पोते और इस के मा तहत के पोते और बाप के साथ साफ़ित और इमाम साहिब के नज़्दीक दादा के साथ भी महरूम हैं। सोतेले भाई बहन जो फ़क़्त मां में शरीक हों उन में से एक हो तो छटा और ज़ियादा हों तो तिहाई और उन में मर्द व औरत बराबर हिस्सा पाएंगे और बेटे पोते और उस के मा तहत के पोते और बाप दादा के होते साफ़ित हो जाएंगे। बाप छटा हिस्सा पाएगा अगर मय्यित ने बेटा या पोता या इस से नीचे के पोते छोड़े हों और अगर मय्यित ने बेटी या पोती, या और नीचे की कोई पोती छोड़ी हो तो बाप छटा और वोह बाकी भी पाएगा जो अस्हाबे फ़र्ज़ को दे कर बचे। दादा या'नी बाप का बाप बाप के न होने की सूरत में मिस्ल बाप के है सिवाए इस के कि मां को सुल्स मा बका की तरफ़ रद न कर सकेगा। मां का छटा हिस्सा है अगर मय्यित ने अपनी औलाद या अपने बेटे या पोते या परपोते की औलाद या बहन भाई में से दो छोड़े हों ख़वाह वोह भाई सगे हों या सोतेले और अगर इन में से कोई न छोड़ा हो तो मां कुल माल का तिहाई पाएगी और अगर मय्यित ने जौज या जौजा और मां बाप छोड़े हों तो मां को जौज या जौजा का हिस्सा देने के बाद जो बाकी रहे उस का तिहाई मिलेगा और जदा का छटा हिस्सा है ख़वाह वोह मां की तरफ़ से हो या'नी नानी या बाप की तरफ़ से हो या'नी दादी एक हो या ज़ियादा हों और करीब वाली दूर वाली के लिये हाजिब हो जाती है और मां हर एक जदा को महज़ूब करती है और बाप की तरफ़ की जदात बाप के होने से महज़ूब होती हैं इस सूरत में कुछ न मिलेगा। जौज चहारूम पाएगा अगर मय्यित ने अपनी या अपने बेटे पोते परपोते वगैरा की औलाद छोड़ी हो और अगर इस किस्म की औलाद न छोड़ी हो तो शोहर निस्फ़ पाएगा। जौजा मय्यित की और उस के बेटे पोते वगैरा की औलाद होने की सूरत में आठवां हिस्सा पाएगी और न होने की सूरत में चौथाई। **असबात** : वोह वारिस हैं जिन के लिये कोई हिस्सा मुअय्यन नहीं अस्हाबे फ़र्ज़ से जो बाकी बचता है वोह पाते हैं, इन में सब से औला बेटा है फिर उस का बेटा फिर और नीचे के पोते फिर बाप फिर दादा फिर आबाई सिल्सिले में जहां तक कोई पाया जाए, फिर हकीकी भाई, फिर सोतेला या'नी बाप शरीक भाई फिर सगे भाई का बेटा फिर बाप शरीक भाई का बेटा, फिर चचा फिर बाप के चचा फिर दादा के चचा फिर आज़ाद करने वाला फिर उस के असबात तरतीब वार और जिन औरतों का हिस्सा निस्फ़ या दो तिहाई है वोह अपने भाइयों के साथ असबा हो जाती हैं और जो ऐसी न हों वोह नहीं। **जविल अरहाम** : अस्हाबे फ़र्ज़ और असबात के सिवा जो अकारिब हैं वोह जविल अरहाम में दाखिल हैं और इन की तरतीब असबात की मिस्ल है। **40** : क्यूं कि कुल हदों से तजावुज़ करने वाला काफ़िर है इस लिये कि मोमिन कैसा भी गुनहगार हो ईमान की हद से तो न गुज़रेगा। **41** : या'नी मुसल्मानों में के **42** : कि वोह बदकारी न

أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾ وَالَّذِينَ يَأْتِيَنَّاهُمْ فَأَذُوهُمْ

या **अल्लाह** उन की कुछ राह निकाले<sup>43</sup> और तुम में जो मर्द औरत ऐसा काम करें उन को ईजा दो<sup>44</sup>

فَإِنْ تَابَا وَأُصْحَفَا عَرَضُوا عَلَيْهِمَا ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿١٦﴾

फिर अगर वोह तौबा कर लें और नेक हो जाएं तो उन का पीछा छोड़ दो बेशक **अल्लाह** बड़ा तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है<sup>45</sup>

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ

वोह तौबा जिस का कबूल करना **अल्लाह** ने अपने फज़ल से लाज़िम कर लिया है वोह उन्हीं की है जो नादानी से बुराई कर बैठें फिर थोड़ी ही देर में

مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧﴾

तौबा कर लें<sup>46</sup> ऐसों पर **अल्लाह** अपनी रहमत से रूजू करता है और **अल्लाह** इल्म व हिकमत वाला है

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمْ

और वोह तौबा उन की नहीं जो गुनाहों में लगे रहते हैं<sup>47</sup> यहां तक कि जब उन में किसी को

الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ إِلَهُنَّ وَلَا الَّذِينَ يَسُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۗ أُولَٰئِكَ

मौत आए तो कहे अब मैं ने तौबा की<sup>48</sup> और न उन की जो काफ़िर मरें उन के लिये

أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ

हम ने दर्दनाक अज़ाब तय्यार कर रखा है<sup>49</sup> ऐ ईमान वालो तुम्हें हलाल नहीं कि

تَرثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا اتَّيَسَّرُوهُنَّ

औरतों के वारिस बन जाओ ज़बर दस्ती<sup>50</sup> और औरतों को रोको नहीं इस नियत से कि जो महर उन को दिया था उस में से कुछ ले लो<sup>51</sup>

करने पाएं 43 : या'नी हद मुकर्र फरमाए या तौबा और निकाह की तौफ़ीक़ दे । जो मुफ़स्सरीन इस आयत में "الْفَاحِشَةُ" (बदकारी) से जिना मुग़द लेते हैं वोह कहते हैं कि हब्स (औरतों को घर में कैद रखने) का हुक्म हुदूद नाज़िल होने से कबल था, हुदूद के साथ मन्सूख़ किया गया । 44 : झिड़को घुड़को बुरा कहो शर्म दिलाओ जूतियां मारो । (عازن وطارین واهمی) 45 : हसन का कौल है कि जिना की सजा पहले ईजा मुकर्र की गई फिर हब्स फिर कोड़े मारना या संगसार करना । इन्ने बहर का कौल है कि पहली आयत "وَالَّذِينَ يَأْتِيَنَّ" उन औरतों के बाब में है जो औरतों के साथ (ब त्रीके मुसाहक़त) बदकारी करती हैं और दूसरी आयत "وَالَّذِينَ" लिवातत करने वालों के हक़ में है और ज़ानी और ज़ानिया का हुक्म सूरए नूर में बयान फ़रमाया गया, इस तक्दीर पर येह आयतें ग़ैर मन्सूख़ हैं और इन में इमाम अबू हनीफ़ा के लिये दलील जाहिर है इस पर जो वोह फ़रमाते हैं कि लिवातत में ता'ज़ीर है हद नहीं । 46 : ज़ह्हाक़ का कौल है कि जो तौबा मौत से पहले हो वोह करीब है । 47 : और तौबा में ताख़ीर करते जाते हैं । 48 : कबूले तौबा का वा'दा जो ऊपर की आयत में गुज़रा वोह ऐसे लोगों के लिये नहीं है । **अल्लाह** मालिक है जो चाहे करे उन की तौबा कबूल करे या न करे बख़्शे या अज़ाब फ़रमाए उस की मरज़ी । (अहमदी) 49 : इस से मा'लूम हुवा कि वक्ते मौत काफ़िर की तौबा और उस का इमन मकबूल नहीं । 50 शाने नुज़ूल : जमानए जाहिलियत के लोग माल की तरह अपने अक़ारिब की बीबियों के भी वारिस बन जाते थे फिर अगर चाहते तो वे महर उन्हें अपनी जौजियत में रखते या किसी और के साथ शादी कर देते और खुद महर ले लेते या उन्हें कैद कर रखते कि जो विरसा उन्हीं ने पाया है वोह दे कर रिहाई हासिल करें या मर जाएं तो येह उन के वारिस हो जाएं, गुज़र वोह औरतें बिल्कुल उन के हाथ में मजबूर होती थीं और अपने इख़्तियार से कुछ भी



إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ

मगर इस सूत में कि सरीह बे हयाई का काम करे<sup>52</sup> और उन से अच्छा बरताव करो<sup>53</sup> फिर अगर

كِرِهْتُهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

वोह तुम्हें पसन्द न आए<sup>54</sup> तो करीब है कि कोई चीज तुम्हें ना पसन्द हो और **अल्लाह** उस में बहुत भलाई

كَثِيرًا ۱۹ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَّانٍ زَوْجٍ لَّا وَاتَيْتُمْ

रखे<sup>55</sup> और अगर तुम एक बीबी के बदले दूसरी बदलना चाहे<sup>56</sup> और उसे ढेरों

إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَ بِبُهْتَانٍ أَشْهَاءِ

माल दे चुके हो<sup>57</sup> तो उस में से कुछ वापस न लो<sup>58</sup> क्या उसे वापस लोगे झूट बांध कर और खुले

مُيَبِّنًا ۲۰ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ

गुनाह से<sup>59</sup> और क्यूंकर उसे वापस लोगे हालां कि तुम में एक दूसरे के सामने बे पर्दा हो लिया और वोह तुम

مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۲۱ وَلَا تَنْكِحُوا أُمَّهَاتِكُمْ أَبَاكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا

से गाढ़ा अहद ले चुकीं<sup>60</sup> और बाप दादा की मन्कूहा से निकाह न करो<sup>61</sup> मगर जो

قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۲۲ حُرِّمَتْ

हो गुजरा वोह बेशक बे हयाई<sup>62</sup> और गुजब का काम है और बहुत बुरी राह<sup>63</sup> हुराम हुई

न कर सकती थीं इस रस्म को मिटाने के लिये ये आयत नाज़िल फरमाई गई। 51 : हज़रते इब्ने अब्बास **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا** ने फरमाया : येह उस के मुतअल्लिक है जो अपनी बीबी से नफ़रत रखता हो और इस लिये बद सुलूकी करता हो कि औरत परेशान हो कर महर वापस कर दे या छोड़ दे इस को **अल्लाह** तआला ने मुमानअत फ़रमाई। एक क़ौल येह है कि लोग औरत को तलाक़ देते फिर रज्ज़अत करते फिर तलाक़ देते इस तरह उस को मुअल्लिक रखते थे कि न वोह उन के पास आराम पा सकती न दूसरी जगह ठिकाना कर सकती इस को मन्अ फ़रमाया गया। एक क़ौल येह है कि मथियत के औलिया को खिताब है कि वोह अपने मूरिस की बीबी को न रोके। 52 : शोहर की ना फ़रमानी या उस की या उस के घर वालों की ईज़ा व बद ज़बानी या हुराम कारी ऐसी कोई हालत हो तो खुलअ चाहने में मुजायका नहीं। 53 : खिलाने पहनाने में बातचीत में और जौजियत के उमूर में 54 : बद खुल्की या सूत ना पसन्द होने की वज्ह से तो सब करो और जुदाई मत चाहो। 55 : वलदे सालेह वगैरा। 56 : या'नी एक को तलाक़ दे कर दूसरी से निकाह करना। 57 : इस आयत से गिरां महर मुकरर करने के जवाज़ पर दलील लाई गई है। हज़रते उमर **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** ने बरसरे मिम्बर फ़रमाया कि औरतों के महर गिरां न करो। एक औरत ने येह आयत पढ़ कर कहा कि ऐ इब्ने ख़त्ताब ! **अल्लाह** हमें देता है और तुम मन्अ करते हो, इस पर अमीरुल मुअमिनीन हज़रते उमर **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** ने फ़रमाया : ऐ उमर ! तुज़ से हर शख्स ज़ियादा समझदार है जो चाहो मुकरर करो, **سُبْحَانَ اللَّهِ** ! ख़लीफ़ा रसूल की शाने इन्साफ़ और नफ़स शरीफ़ की पाकी **أَمِينَ** **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى بِإِسْمَاعِيلَ**। 58 : क्यूं कि जुदाई तुम्हारी तरफ़ से है। 59 : येह अहले जाहिलियत के उस फ़े'ल का रद है जब उन्हें कोई दूसरी औरत पसन्द आती तो वोह अपनी बीबी पर तोहमत लगाते ताकि वोह इस से परेशान हो कर जो कुछ ले चुकी है वापस दे दे, इस तरीके को इस आयत में मन्अ फ़रमाया और झूट और गुनाह बताया। 60 : वोह अहद **अल्लाह** तआला का येह इर्शाद है "فَأَمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُهُمْ بِإِحْسَانٍ"। मस्अला : येह आयत दलील है इस पर कि ख़ल्ते सहीहा से महर मुअक्कद हो जाता है। 61 : जैसा कि ज़मानए जाहिलियत में रवाज था कि अपनी मां के सिवा बाप के बा'द उस की दूसरी औरत को बेटा बियाह लेता था। 62 : क्यूं कि बाप की बीबी ब मन्ज़िलए मां के है, कहा गया है निकाह से वती मुराद है। इस से साबित होता है कि बाप की मौतूह या'नी जिस से उस ने सोहबत की हो ख़्वाह निकाह कर के या ब तरीके ज़िना या वोह बांदी हो उस का वोह मालिक हो कर इन में से हर सूत में बेटे का उस से निकाह हुराम है। 63 : अब इस के बा'द जिस क़दर औरतें

عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ

तुम पर तुम्हारी माएं<sup>64</sup> और बेटियां<sup>65</sup> और बहनें और फूफियां और खालाएं और भतीजियां

وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُ النِّسَاءِ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ

और भान्जियां<sup>66</sup> और तुम्हारी माएं जिन्होंने दूध पिलाया<sup>67</sup> और दूध की बहनें

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي

और औरतों की माएं<sup>68</sup> और उन की बेटियां जो तुम्हारी गोद में हैं<sup>69</sup> उन बीबियों से जिन से

دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنَّ لَكُمْ تَكْوِينَ أَدَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

तुम सोहबत कर चुके हो तो फिर अगर तुम ने उन से सोहबत न की हो तो उन की बेटियों में हरज नहीं<sup>70</sup>

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ

और तुम्हारी नस्ली बेटों की बीबियों<sup>71</sup> और दो बहनें इकट्ठी

الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝٢٣

करना<sup>72</sup> मगर जो हो गुज़रा बेशक **अब्लाह** बख़्शने वाला मेहरबान है

हराम हैं उन का बयान फ़रमाया जाता है इन में सात तो नसब से हराम हैं। 64 : और हर औरत जिस की तरफ़ बाप या मां के ज़रीए से नसब रूजू करता हो या'नी दादियां व नानियां ख़्वाह करीब की हों या दूर की सब माएं हैं और अपनी वालिदा के हुक्म में दाख़िल हैं। 65 : पोतियां और नवासियां किसी दरजे की हों बेटियों में दाख़िल हैं। 66 : यह सब सगी हों या सोतेली। इन के बा'द उन औरतों का बयान किया जाता है जो सबब से हराम हैं। 67 : दूध के रिश्ते : शीर ख़्वारी की मुदत में क़लील दूध पिया जाए या कसीर इस के साथ हुरमत मुतअल्लिक होती है। शीर ख़्वारी की मुदत हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा رضي الله عنه के नज़दीक तीस माह और साहिबैन के नज़दीक दो साल हैं। शीर ख़्वारी की मुदत के बा'द जो दूध पिया जाए उस से हुरमत मुतअल्लिक नहीं होती। **अब्लाह** तअ़ाला ने रज़ाअत (दूध पिलाने) को नसब के काइम मक़ाम किया है और दूध पिलाने वाली को शीर ख़्वार की मां और उस की लड़की को शीर ख़्वार की बहन फ़रमाया, इसी तरह दूध पिलाई का शोहर शीर ख़्वार का बाप और उस का बाप शीर ख़्वार का दादा और उस की बहन उस की फूफी और उस का हर बच्चा जो दूध पिलाई के सिवा और किसी औरत से भी हो ख़्वाह वोह क़ब्ल शीर ख़्वारी के पैदा हुवा या इस के बा'द वोह सब इस के सोतेले भाई बहन हैं और दूध पिलाई की मां शीर ख़्वार की नानी और उस की बहन इस की ख़ाला और उस शोहर से उस के जो बच्चे पैदा हों वोह शीर ख़्वार के रज़ाई भाई बहन और उस शोहर के इलावा दूसरे शोहर से जो हों वोह इस के सोतेले भाई बहन। इस में अस्ल येह हदीस है कि रज़ाअ से वोह रिश्ते हराम हो जाते हैं, जो नसब से हराम हैं इस लिये शीर ख़्वार पर उस के रज़ाई मां बाप और उन के नसबी व रज़ाई उसूल व फुरुअ सब हराम हैं। 68 : यहां से मुहरमात बिस्सेहरिय्यह (सुसराली रिश्तेदारी की वजह से जो औरतें हराम हैं उन) का बयान है वोह तीन ज़िक्र फ़रमाई गई बीबियों की माएं बीबियों की बेटियां और बेटों की बीबियां, बीबियों की माएं सिर्फ़ अक़दे निकाह से हराम हो जाती हैं ख़्वाह वोह बीबियां मदख़ूला हों या ग़ैर मदख़ूला (या'नी उन से हम बिस्ती हुई हो या न हुई हो)। 69 : गोद में होना ग़ालिब हाल का बयान है हुरमत के लिये शर्त नहीं। 70 : उन की मांओं से तलाक़ या मौत वग़ैरा के ज़रीए से क़ब्ले सोहबत जुदाई होने की सूरत में उन के साथ निकाह जाइज़ है। 71 : इस से मुतबन्ना (मुंहबोले बेटे) निकल गए। इन की औरतों के साथ निकाह जाइज़ है और रज़ाई बेटे की बीबी भी हराम है क्यूं कि वोह नसबी के हुक्म में है और पोते परपोते बेटों में दाख़िल हैं। 72 : येह भी हराम है ख़्वाह दोनों बहनों को निकाह में जम्अ किया जाए या मिल्के यमीन के ज़रीए से वती में, और हदीस शरीफ़ में फूफी भतीजी और ख़ाला भान्जी का निकाह में

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ

और हुराम हैं शोहर दार औरतें मगर काफ़िरो की औरतें जो तुम्हारी मिल्क में आ जाए<sup>73</sup> येह अल्लाह का नविश्ता (मुकरर कर्दा) है तुम पर

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرٍ

और उन<sup>74</sup> के सिवा जो रहीं वोह तुम्हें हलाल हैं कि अपने मालों के इवज़ तलाश करो कैद लाते<sup>75</sup> न

مُسْفِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ

पानी गिराते<sup>76</sup> तो जिन औरतों को निकाह में लाना चाहो उन के बंधे हुए महर उन्हें दो

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ

और क़रार दाद (तै शुदा) के बा'द अगर तुम्हारे आपस में कुछ रिज़ा मन्दी हो जाए तो इस में गुनाह नहीं<sup>77</sup> बेशक अल्लाह

كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ ٢٣ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ

इल्मो हिकमत वाला है और तुम में बे मक्दूरी के बाइस जिन के निकाह में

الْمُحْصَنَاتِ الْيُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَمْلُوكَاتٍ أَيْمَانُكُمْ ۚ فَتَيْتِكُمْ

आज़ाद औरतें ईमान वालीयां न हों तो उन से निकाह करे जो तुम्हारे हाथ की मिल्क हैं ईमान वाली

जम्अ करना भी हुराम फ़रमाया गया और जाबिता येह है कि निकाह में हर ऐसी दो औरतों का जम्अ करना हुराम है जिन में से हर एक को मर्द फ़र्ज़ करने से दूसरी उस के लिये हलाल न हो, जैसे कि फूफी भतीजी, कि अगर फूफी को मर्द फ़र्ज़ किया जाए तो चचा हुवा भतीजी उस पर हुराम है और अगर भतीजी को मर्द फ़र्ज़ किया जाए तो भतीजा हुवा फूफी इस पर हुराम है, हुरमत दोनों तरफ़ है और अगर सिर्फ़ एक तरफ़ से हो तो जम्अ हुराम न होगी, जैसे कि औरत और उस के शोहर की लड़की इन दोनों को जम्अ करना हलाल है क्यूं कि शोहर की लड़की को मर्द फ़र्ज़ किया जाए तो इस के लिये बाप की बीबी तो हुराम रहती है। मगर दूसरी तरफ़ से येह बात नहीं है या'नी शोहर की बीबी को अगर मर्द फ़र्ज़ किया जाए तो येह अज़नबी होगा और कोई रिश्ता ही न रहेगा। 73 : गिरिफ़्तार हो कर बिगैर अपने शोहरों के वोह तुम्हारे लिये बा'दे इस्तिब्रा (या'नी हैज़ आ जाने और बच्चा जनने के बा'द) हलाल हैं अगरचें दारुल हर्ब में उन के शोहर मौजूद हों क्यूं कि तबायुने दारैन (मुल्क बदल जाने) की वजह से उन की शोहरों से फ़ुरक़त हो चुकी। शाने नुज़ूल : हज़रते अबू सईद खुदरी رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ने फ़रमाया हम ने एक रोज़ बहुत सी कैदी औरतें पाई जिन के शोहर दारुल हर्ब में मौजूद थे तो हम ने उन से कुरबत में तअम्मूल किया और सय्यिदे आलम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ से मस्अला दरयाफ़्त किया, इस पर येह आयत नाज़िल हुई। 74 : मुहरमाते मज़कूरा 75 : निकाह से या मिल्के यमीन से। इस आयत से कई मस्अले साबित हुए। मस्अला : निकाह में महर ज़रूरी है। मस्अला : अगर महर मुअय्यन न किया हो जब भी वाजिब होता है। मस्अला : महर माल ही होता है न कि ख़िदमत व ता'लीम वगैरा जो चीजें माल नहीं हैं। मस्अला : इतना कलील जिस को माल न कहा जाए महर होने की सलाहियत नहीं रखता। हज़रते जाबिर और हज़रत अलिये मुर्तज़ा رَضِيَ اللهُ عَنْهُ से मरवी है कि महर की अदना मिक्दार दस दिरहम हैं इस से कम नहीं हो सकता। 76 : इस से हुराम कारी मुराद है और इस ता'बीर (मा'ना बयान करने) में तम्बीह है कि ज़ानी महूज़ शहवत रानी करता और मस्ती निकालता है और उस का फ़े'ल ग़रजे सहीह और मक्सदे हसन से ख़ाली होता है न औलाद हासिल करना न नस्ल व नसब महफूज़ रखना न अपने नफ़्स को हुराम से बचाना इन में से कोई बात उस को मदे नज़र नहीं होती, वोह अपने नुत्फे व माल को ज़ाएअ कर के दीनो दुन्या के ख़सारे में गिरिफ़्तार होता है। 77 : ख़्वाह औरत महर मुकरर शुदा से कम कर दे या बिल्कुल बख़्श दे या मर्द मिक्दार महर की और ज़ियादा कर दे।

الْمُؤْمِنَاتُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَإِنْ كُوِهِنَّ

कनीजें<sup>78</sup> और **अल्लाह** तुम्हारे ईमान को खूब जानता है तुम में एक दूसरे से है तो उन से निकाह करो<sup>79</sup>

بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ

उन के मालिकों की इजाजत से<sup>80</sup> और हस्बे दस्तूर उन के महर उन्हें दो<sup>81</sup> क़ैद में आतियां न

مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا آخُصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ

मस्ती निकालती और न यार बनाती<sup>82</sup> जब वोह क़ैद में आ जाए<sup>83</sup> फिर बुरा काम करें

فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكُمْ لِمَنْ خَشِيَ

तो उन पर उस सज़ा की आधी है जो आज़ाद औरतों पर है<sup>84</sup> यह<sup>85</sup> उस के लिये जिसे तुम में से जिना का

الْعَنَتِ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٢٥ يَرِيدُ

अन्देशा है और सब करना तुम्हारे लिये बेहतर है<sup>86</sup> और **अल्लाह** बख़्शने वाला मेहरबान है **अल्लाह** चाहता

اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنْنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ

है कि अपने अहकाम तुम्हारे लिये साफ़ बयान कर दे और तुम्हें अगलों की रविशों (तौर तरीके) बतावे<sup>87</sup> और तुम पर अपनी रहमत से

عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ ٢٦ وَاللَّهُ يَرِيدُ أَنْ يُتُوبَ عَلَيْكُمْ وَ

रुजूअ़ फ़रमाए और **अल्लाह** इल्मो हिकमत वाला है और **अल्लाह** तुम पर अपनी रहमत से रुजूअ़ फ़रमाना चाहता है और

يُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ٢٧ يَرِيدُ

जो अपने मजों के पीछे पड़े हैं वोह चाहते हैं कि तुम सीधी राह से बहुत अलग हो जाओ<sup>88</sup> **अल्लाह** चाहता

**78** : या'नी मुसल्मानों की ईमानदार कनीजें, ब्यू कि निकाह अपनी कनीज से नहीं होता वोह बिगैर निकाह ही मौला के लिये हलाल है, मा'ना येह हैं कि जो शख्स हुराए मोमिना से निकाह की मक्दरत (ताक़त) व वुस्अत न रखता हो वोह ईमानदार कनीज से निकाह करे येह बात आर की नहीं है। **मस्अला** : जो शख्स हुरा से निकाह की वुस्अत रखता हो उस को भी मुसल्मान बांदी से निकाह करना जाइज है, येह मस्अला इस आयत में तो नहीं है मगर ऊपर की आयत "وَأَحَلُّ لَكُمْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ" (और इन हराम की गई औरतों के सिवा जो रहीं वोह तुम्हें हलाल हैं) से साबित है। **मस्अला** : ऐसे ही किताबिया बांदी से भी निकाह जाइज है और मोमिना के साथ अफ़जल व मुस्तहब है जैसा कि इस आयत से साबित हुवा। **79** : येह कोई आर की बात नहीं, फ़ज़ीलत ईमान से है इसी को काफ़ी समझो। **80 मस्अला** : इस से मा'लूम हुवा कि बांदी को अपने मौला की इजाजत के बिगैर निकाह का हक़ नहीं, इसी तरह गुलाम को **81** : अगर्चे मालिक उन के महर के मौला हैं लेकिन बांदियों को देना मौला ही को देना है क्यू कि खुद वोह और जो कुछ उन के कब्जे में हो सब मौला की मिल्क है, या येह मा'ना हैं कि उन के मालिकों की इजाजत से महर उन्हें दो। **82** : या'नी अ़लानिया व खुपया किसी तरह बदकारी नहीं करती **83** : और शोहर दार हो जाएं **84** : जो शोहर दार न हों या'नी पचास ताज़ियाने (कोडे) क्यू कि हुरा के लिये सो ताज़ियाने हैं और बांदियों को रज्म नहीं किया जाता क्यू कि "रज्म" काबिले तन्सीफ़ (दो हिस्सों में तक्सीम के काबिल) नहीं है। **85** : बांदी से निकाह करना **86** : बांदी के साथ निकाह करने से क्यू कि उस से औलाद मम्लूक (गुलाम) पैदा होगी। **87** : अम्बिया व सालिहीन की **88** : और हराम में मुब्तला हो कर उन्हीं की तरह हो जाओ।

اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

है कि तुम पर तख़्फ़ीफ़ (आसानी) करे<sup>89</sup> और आदमी कमजोर बनाया गया<sup>90</sup> ऐ ईमान वाले

أَمْوَالًا تَاكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

आपस में एक दूसरे के माल नाहक़ न खाओ<sup>91</sup> मगर यह कि कोई सौदा

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

तुम्हारी बाहमी रिज़ा मन्दी का हो<sup>92</sup> और अपनी जानें क़त्ल न करो<sup>93</sup> बेशक **अल्लाह** तुम पर मेहरबान है

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عَدُوًّا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۗ وَكَانَ ذَلِكَ

और जो जुल्मो ज़ियादती से ऐसा करेगा तो अन्क़रीब हम उसे आग में दाख़िल करेंगे और यह

عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾ إِنَّ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ

**अल्लाह** को आसान है अगर बचते रहो कबीरा गुनाहों से जिन की तुम्हें मुमानअत है<sup>94</sup> तो तुम्हारे

عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾ وَلَا تَسْمُوا مَا فَضَّلَ

और गुनाह<sup>95</sup> हम बख़्श देंगे और तुम्हें इज़्ज़त की जगह दाख़िल करेंगे और उस की आरजू न करो जिस से **अल्लाह**

اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا ۗ وَ

ने तुम में एक को दूसरे पर बड़ाई दी<sup>96</sup> मर्दों के लिये उन की कमाई से हिस्सा है और

**89** : और अपने फ़ज़ल से अहक़ाम सहल (आसान) करे । **90** : इस को औरतों से और शहवात से सब्र दुश्वार है । हदीस में है : सय्यिदे आलम **صل الله عليه وسلم** ने फ़रमाया : औरतों में भलाई नहीं और उन की तरफ़ से सब्र भी नहीं हो सकता, नेकों पर वोह ग़ालिब आती हैं, बद उन पर ग़ालिब आ जाते हैं । **91** : चोरी, ख़ियानत, गुस्ब, जुवा, सूद जितने ह़राम तरीके हैं सब नाहक़ हैं सब की मुमानअत है **92** : वोह तुम्हारे लिये ह़लाल है **93** : ऐसे अफ़़ाल इख़्तियार कर के जो दुन्या या आख़िरत में हलाक़त का बाइस हों, इस में मुसल्मानों को क़त्ल करना भी आ गया और मोमिन का क़त्ल खुद अपना ही क़त्ल है क्यूं कि तमाम मोमिन नफ़से वाहिद की तरह हैं । **मस्अला** : इस आयत से खुदकुशी की हुरमत भी साबित हुई और नफ़स का इत्तिबाअ कर के ह़राम में मुब्तला होना भी अपने आप को हलाक़ करना है । **94** : और जिन पर वईद आई या 'नी वा'दए अज़ाब दिया गया मिस्ले क़त्ल, जिना, चोरी वगैरा के । **95** : सगाइर । **मस्अला** : कुफ़्रो शिकं तो न बख़्शा जाएगा अगर आदमी इसी पर मरा (**अल्लाह** की पनाह) बाकी तमाम गुनाह सगीरा हों या कबीरा **अल्लाह** की मशियत में हैं चाहे उन पर अज़ाब करे चाहे मुआफ़ फ़रमाए । **96** : ख़्वाह दुन्या की जिहत से या दीन की, कि आपस में ह़सद व बुग़ज़ न पैदा हो । ह़सद निहायत बुरी सिफ़त है ह़सद वाला दूसरे को अच्छे हाल में देखता है तो अपने लिये उस की ख़्वाहिश करता है और साथ में येह भी चाहता है कि उस का भाई इस ने'मत से मह़रूम हो जाए येह मम्नूअ है, बन्दे को चाहिये कि **अल्लाह** तआला की तक्दीर पर राज़ी रहे, उस ने जिस बन्दे को जो फ़ज़ीलत दी ख़्वाह दौलत व ग़ना की या दीनी मनासिब व मदारिज की, येह उस की ह़िक्मत है । **शाने नुज़ूल** : जब आयते मीरास में " **لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِي** " (बेटों का हिस्सा दो बेटियों बराबर है) नाज़िल हुवा और मय्यित के तर्के में मर्द का हिस्सा औरत से दूना मुक़र्र किया गया तो मर्दों ने कहा कि हमें उम्मीद है कि आख़िरत में नेकियों का सवाब भी हमें औरतों से दूना मिलेगा और औरतों ने कहा कि हमें उम्मीद है कि गुनाह का अज़ाब हमें मर्दों से आधा होगा, इस पर येह आयत नाज़िल हुई और इस में बताया गया कि **अल्लाह** तआला ने जिस को जो फ़ज़ल दिया वोह ऐन ह़िक्मत है, बन्दे को चाहिये कि वोह उस की क़ज़ा पर राज़ी रहे ।

لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ۖ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

औरतों के लिये उन की कमाई से हिस्सा<sup>97</sup> और **ALLAH** से उस का फ़ज़ल मांगो बेशक **ALLAH**

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝۳۲ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ

सब कुछ जानता है और हम ने सब के लिये माल के मुस्तहिक् बना दिये हैं जो कुछ छोड़ जाएं मां बाप

وَالْأَقْرَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۗ إِنَّ

और कराबत वाले और वोह जिन से तुम्हारा हल्फ़ बंध चुका<sup>98</sup> उन्हें उन का हिस्सा दो बेशक

اللَّهُ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝۳۳ الرَّجَالُ قَوْمُونَ عَلَىٰ النِّسَاءِ بِمَا

हर चीज़ **ALLAH** के सामने है मर्द अप्सर हैं औरतों पर<sup>99</sup> इस लिये कि

فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِأَنفُقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصُّلِحَاتُ

**ALLAH** ने इन में एक को दूसरे पर फ़ज़ीलत दी<sup>100</sup> और इस लिये कि मर्दों ने उन पर अपने माल खर्च किये<sup>101</sup> तो नेक बख़्त औरतें

قَتَيْتُ حِفْظًا لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ

अदब वालीयां हैं ख़ावन्द के पीछे हिफ़ाज़त रखती हैं<sup>102</sup> जिस तरह **ALLAH** ने हिफ़ाज़त का हुक्म दिया और जिन औरतों की ना फ़रमानी का तुम्हें अन्देशा हो

فِعْظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْبُضَائِجِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ

तो उन्हें समझाओ<sup>103</sup> और उन से अलग सोओ और उन्हें मारो<sup>104</sup> फिर अगर वोह तुम्हारे हुक्म में आ जाएं

97 : हर एक को उस के आ'माल की जज़ा। शाने नुज़ूल : उम्मुल मुअमिनीन हज़रते उम्मे सलमा **رضي الله تعالى عنها** ने फ़रमाया कि हम भी अगर

मर्द होते तो जिहाद करते और मर्दों की तरह जान फ़िदा करने का सवाब अज़ीम पाते, इस पर येह आयते करीमा नाज़िल हुई और उन्हें तस्कीन

दी गई कि मर्द जिहाद से सवाब हासिल कर सकते हैं तो औरतें शोहरों की इताअत और पाक दामनी से सवाब हासिल कर सकती हैं। 98 :

इस से अक्दे मुवालात मुराद है, इस की सूत येह है कि कोई मजहूलनुसब शख़म (जिस के नसब का कुछ पता न हो वोह) दूसरे से येह कहे

कि तू मेरा मौला है मैं मर जाऊं तो तू मेरा वारिस होगा और मैं कोई जिनायत करूँ तो तुझे दियत देनी होगी, दूसरा कहे मैं ने कबूल किया इस

सूत में येह अक्द सहीह हो जाता है और कबूल करने वाला वारिस बन जाता है और दियत भी उस पर आ जाती है और दूसरा भी उसी की

तरह से मजहूलनुसब हो और ऐसा ही कहे और येह भी कबूल कर ले तो इन में से हर एक दूसरे का वारिस और उस की दियत का जिम्मादार

होगा, येह अक्द साबित है, सहाबा **رضي الله عنهم** इस के काइल हैं। 99 : तो औरतों को उन की इताअत लाज़िम और मर्दों को हक़ है कि वोह

औरतों पर रिआया की तरह हुक्मरानी करें और उन के मसालेह और तदाबीर और तादीब व हिफ़ाज़त की सर अन्जाम देही करें। शाने नुज़ूल :

हज़रते सा'द बिन रबीअ ने अपनी बीबी हबीबा को किसी ख़ता पर एक तमांचा मारा, उन के वालिद उन्हें सय्यिदे आलम **صلّى الله تعالى عليه وآله وسلم**

की ख़िदमत में ले गए और उन के शोहर की शिकायत की, इस बाब में येह आयत नाज़िल हुई। 100 : या'नी मर्दों को औरतों पर अक्लो

दानाई और जिहाद और नुबुव्वत व ख़िलाफ़त व इमामत व अज़ान व ख़ुत्बा व जमाअत व जुमुआ व तक्बीर व तशरीक़ और हद व क़िसास

की शहादत के और विरसे में दूने हिस्से और ता'सीब और निकाह व तलाक़ के मालिक होने और नसबों के इन की तरफ़ निस्बत किये

जाने और नमाज़ व रोज़े के कामिल तौर पर काबिल होने के साथ कि इन के लिये कोई ज़माना ऐसा नहीं है कि नमाज़ व रोज़े के

काबिल न हों और दादियों और इमामों के साथ फ़ज़ीलत दी। 101 मस्अला : इस आयत से मा'लूम हुवा कि औरतों के नफ़के मर्दों पर

वाजिब हैं। 102 : अपनी इफ़त और शोहरों के घर, माल और उन के राज़ की 103 : उन्हें शोहर की ना फ़रमानी और उस के इताअत न

करने और उस के हुक्क़ का लिहाज़ न रखने के नताइज़ समझाओ जो दुन्या व आख़िरत में पेश आते हैं और **ALLAH** के अज़ाब का ख़ौफ़

दिलाओ और बताओ कि हमारा तुम पर शरअन हक़ है और हमारी इताअत तुम पर फ़र्ज़ है अगर इस पर भी न मानें 104 : ज़बें ग़ैर शदीद

فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٣﴾ وَإِنْ خِفْتُمْ

तो उन पर ज़ियादती की कोई राह न चाहो बेशक **अल्लाह** बुलन्द बड़ा है<sup>105</sup> और अगर तुम को मियां बीबी के

شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنَّ

झगड़े का खौफ हो<sup>106</sup> तो एक पन्च मर्द वालों की तरफ से भेजो और एक पन्च औरत वालों की तरफ से<sup>107</sup> यह दोनों

يُرِيدُ إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَيْرًا ﴿٣٥﴾

अगर सुल्ह कराना चाहेंगे तो **अल्लाह** उन में मेल (मुवाफकत पैदा) कर देगा बेशक **अल्लाह** जानने वाला खबरदार है<sup>108</sup>

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي

और **अल्लाह** की बन्दगी करो और उस का शरीक किसी को न ठहराओ<sup>109</sup> और मां बाप से भलाई करो<sup>110</sup> और

الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ

रिश्तेदारों<sup>111</sup> और यतीमों और मोहताजों<sup>112</sup> और पास के हमसाए और दूर के हमसाए<sup>113</sup>

وَالصَّاحِبِ بِالْجَنُبِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ

और करवट के साथी<sup>114</sup> और राहगीर<sup>115</sup> और अपनी बांदी गुलाम से<sup>116</sup> बेशक **अल्लाह**

لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُحْتَالًا فَخُورًا ۗ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ

को खुश (पसन्द) नहीं आता कोई इतराने वाला बड़ाई मारने वाला<sup>117</sup> जो आप बुख्ल करें और औरों

**105** : और तुम गुनाह करते हो फिर भी वोह तुम्हारी तौबा कबूल फरमाता है तो तुम्हारी जेरे दस्त औरते अगर कुसूर करने के बाद मुआफ़ी चाहें तो तुम्हें ब तरीके औला मुआफ़ करना चाहिये और **अल्लाह** की कुदरत व बरतरी का लिहाज रख कर जुल्म से मुज्त्निब (बचते) रहना चाहिये । **106** : और तुम देखो कि समझाना, अलाहदा सोना, मारना कुछ भी कारआमद न हुवा और दोनों की ना इत्तिफाकी रफ़अ न हुई । **107** : क्यूं कि अकारिब अपने रिश्तेदारों के खानगी हालात से वाकिफ़ होते हैं और जौजैन के दरमियान मुवाफ़कत की ख्वाहिश भी रखते हैं और फ़रीकैन को उन पर इत्मीनान भी होता है और उन से अपने दिल की बात कहने में तअम्मूल भी नहीं होता है । **108** : जानता है कि जौजैन में ज़ालिम कौन है । **मसअला** : पन्चों (किसी भी बिरादरी में फ़ैसले के लिये मुकरर कर्दा अप्पाद) को जौजैन में तफ़रीक कर देने का इख्तियार नहीं । **109** : न जानदार को न बेजान को न उस की रबूबियत में न उस की इबादत में । **110** : अदबो ता'जीम के साथ और उन की खिदमत में मुस्तइद रहना और उन पर खर्च करने में कमी न करो । मुस्लिम शरीफ़ की हदीस है : सय्यिदे आलम **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** ने तीन मरतबा फरमाया : उस की नाक खाक आलूद हो । हज़रते अबू हुरैरा **رَضِيَ اللهُ عَنْهُ** ने अर्ज़ किया : किस की या **رَسُولُ اللَّهِ** फरमाया : जिस ने बूढ़े मां बाप पाए या उन में से एक को पाया और जन्ती न हो गया । **111** : हदीस शरीफ़ में है : रिश्तेदारों के साथ अच्छे सुलूक करने वालों की उग्र दराज और रिज़्क वसीअ होता है । **112 हदीस** : सय्यिदे आलम **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** ने फरमाया : मैं और यतीम की सर परस्ती करने वाला ऐसे करीब होंगे जैसे अंगुशते शहादत और बीच की उंगली । **हदीस** : सय्यिदे आलम **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** ने फरमाया : बेवा और मिसकीन की इमदाद व खबर गीरी करने वाला मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह के मिसल है । **113** : सय्यिदे आलम **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** ने फरमाया की जिब्रील मुझे हमेशा हमसायों के साथ एहसान करने की ताकीद करते रहे इस हद तक कि गुमान होता था कि इन को वारिस करार दें । **114** : (बुख़री **وَمُسْلِم**) : या'नी बीबी या जो सोहबत में रहे या रफ़ीके सफ़र हो या साथ पढ़े या मजलिस व मस्जिद में बराबर बैठे **115** : और मुसाफ़िर व मेहमान । **हदीस** : जो **अल्लाह** और रोजे कियामत पर ईमान रखे उसे चाहिये कि मेहमान का इक्नाम करे । **116** : (बुख़री **وَمُسْلِم**) : कि उन्हें ताक़त से ज़ियादा तकलीफ़ न दो और सख़्त कलामी न करो और खाना कपड़ा ब कदरे ज़रूरत दो । **हदीस** : रसूले अकरम **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** ने फरमाया : जन्नत में बद खुल्क दाख़िल न होगा । **117** : (तर्मिज़ी) : मुतकब्बिर खुदबी जो रिश्तेदारों और हमसायों को ज़लील समझे ।

النَّاسِ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَأَعْتَدْنَا

से बुखल के लिये कहे<sup>118</sup> और **अल्लाह** ने जो उन्हें अपने फ़ज़ल से दिया है उसे छुपाए<sup>119</sup> और काफ़ि़रों के लिये

لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ۚ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ

हम ने ज़िल्लत का अज़ाब तय्यार कर रखा है और वोह जो अपने माल लोगों के दिखावे को खर्च करते हैं<sup>120</sup>

وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ

और ईमान नहीं लाते **अल्लाह** और न क़ियामत पर और जिस का मुसाहिब (साथी व मुशीर) शैतान हुआ<sup>121</sup>

قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ۚ وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

तो कितना बुरा मुसाहिब है और उन का क्या नुक़सान था अगर ईमान लाते **अल्लाह** और क़ियामत पर

وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُظْلِمُ

और **अल्लाह** के दिये में से उस की राह में खर्च करते<sup>122</sup> और **अल्लाह** उन को जानता है **अल्लाह** एक ज़रा भर

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۗ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُّضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا

जुल्म नहीं फ़रमाता और अगर कोई नेकी हो तो उसे दूनी करता और अपने पास से बड़ा सवाब

عَظِيمًا ۚ فَكَيْفَ إِذَا جُئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجُنَّابِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ

देता है तो कैसी होगी जब हम हर उम्मत से एक गवाह लाए<sup>123</sup> और ऐ महबूब तुम्हें उन सब पर गवाह और निगहबान

شَهِيدًا ۚ يَوْمَئِذٍ يَدْعُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصُوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ

बना कर लाए<sup>124</sup> उस दिन तमन्ना करेंगे वोह जिन्हों ने कुफ़ किया और रसूल की ना फ़रमानी की काश उन्हें मिट्टी में

**118** : बुखल यह है कि खुद खाए दूसरे को न दे । "शुद्ह" यह है कि न खाए न खिलाए, सख़्वा यह है कि खुद भी खाए और दूसरों को भी खिलाए, ज़ूद यह है कि आप न खाए दूसरे को खिलाए । शाने नुज़ूल : यह आयत यहूद के हक़ में नाज़िल हुई जो सय्यिद अलम عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ की सिफ़त बयान करने में बुख़ल करते और छुपाते थे । मस्अला : इस से मा'लूम हुआ कि इल्म को छुपाना मज़ूम है । **119** : हदीस शरीफ़ में है कि **अल्लाह** को पसन्द है कि बन्दे पर उस की ने'मत ज़ाहिर हो । मस्अला : **अल्लाह** की ने'मत का इज़हार इख़लास के साथ हो तो यह भी शुक्र है और इस लिये आदमी को अपनी हैसियत के लाइक़ जाइज़ लिबासों में बेहतर पहनना मुस्तहब है । **120** : बुख़ल के बाद सर्फ़े बे जा की बुराई बयान फ़रमाई कि जो लोग महज़ नुमूदो नुमाइश और नाम आवरी के लिये खर्च करते हैं और रिज़ाए इलाही उन्हें मक़सूद नहीं होती जैसे कि मुशिरकीन व मुनाफ़िक़ीन, यह भी उन्हीं के हुक्म में हैं जिन का हुक्म ऊपर गुज़र गया । **121** : दुन्या व आख़िरत में । दुन्या में तो इस तरह कि वोह शैतानी काम कर के उस को खुश करता रहा और आख़िरत में इस तरह कि हर काफ़िर एक शैतान के साथ आतिशी ज़न्जीर में जकड़ा हुआ होगा (عذاب) **122** : इस में सरासर उन का नफ़अ ही था । **123** : उस नबी को और वोह अपनी उम्मत के ईमान व कुफ़ व निफ़ाक़ और तमाम अपअ़ाल पर गवाही दें क्यूं कि अम्बिया अपनी उम्मतों के अपअ़ाल से बा ख़बर होते हैं । **124** : कि तुम नबियुल अम्बिया और सारा आलम तुम्हारी उम्मत ।



بِهِمُ الْأَرْضُ ۖ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ۚ ﴿١٢٥﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

दबा कर ज़मीन बराबर कर दी जाए और कोई बात **ALLAH** से न छुपा सकेगे<sup>125</sup> ऐ ईमान वाले

لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا

नशे की हालत में नमाज़ के पास न जाओ<sup>126</sup> जब तक इतना होश न हो कि जो कहे उसे समझो और न नापाकी की

إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ

हालत में बे नहाए मगर मुसाफ़िरी में<sup>127</sup> और अगर तुम बीमार हो<sup>128</sup> या सफ़र में या तुम में

أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لِمَسْتَمِ النَّسَاءِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَسَّؤُوا

से कोई कज़ाए हाज़त से आया<sup>129</sup> या तुम ने औरतों को छुवा<sup>130</sup> और पानी न पाया<sup>131</sup> तो पाक मिट्टी

صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا

से तयम्मूम करो<sup>132</sup> तो अपने मुंह और हाथों का मसह करो<sup>133</sup> बेशक **ALLAH** मुआफ़ फ़रमाने वाला

**125** : क्यूं कि जब वोह अपनी ख़ता से मुकरेंगे और क़सम खा कर कहेंगे कि हम मुश्रिक न थे और हम ने ख़ता न की थी तो उन के मुहों पर मोहर लगा दी जाएगी और उन के आ'ज़ा व जवारेह को गोयाई दी जाएगी, वोह उन के खिलाफ़ शहादत देंगे। **126 शाने नुज़ूल** : हज़रते अब्दुरहमान बिन औफ़ ने एक जमाअते सहाबा की दा'वत की, उस में खाने के बा'द शराब पेश की गई, बा'जों ने पी क्यूं कि उस वक़्त तक शराब हराम न हुई थी, फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ी, इमाम नशे में "قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ مَا تَعْبُدُونَ وَأَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا آغَدُوا" पढ़ गए और दोनों जगह "لَا" तर्क कर दिया और नशे में ख़बर न हुई और मा'ना फ़ासिद हो गए, इस पर येह आयत नाज़िल हुई और उन्हें नशे की हालत में नमाज़ पढ़ने से मन्अ फ़रमा दिया गया तो मुसल्मानों ने नमाज़ के अन्वकात में शराब तर्क कर दी इस के बा'द शराब बिल्कुल हराम कर दी गई। **मस्अला** : इस से साबित हुवा कि आदमी नशे की हालत में कलिमाए कुफ़्र ज़बान पर लाने से काफ़िर नहीं होता इस लिये कि "قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ" में दोनों जगह "لَا" का तर्क कुफ़्र है, लेकिन इस हालत में हज़ूर ने इस पर कुफ़्र का हुक्म न फ़रमाया बल्कि कुरआने पाक में उन को "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا" से ख़िताब फ़रमाया गया। **127** : जब कि पानी न पाओ तयम्मूम कर लो **128** : और पानी का इस्ति'माल जरूर करता हो **129** : येह किनाया है बे वुजू होने से **130** : या'नी जिमाअ किया **131** : उस के इस्ति'माल पर कादिर न होने, ख़्वाह पानी मौजूद न होने के बाइस या दूर होने के सबब या उस के हासिल करने का आला न होने के सबब या सांप, दरिन्दा, दुश्मन वगैरा कोई मानेअ होने के बाइस **132** : येह हुक्म मरीजों, मुसाफ़िरो, जनाबत और हृदस वालों को शामिल है जो पानी न पाएं या उस के इस्ति'माल से आजिज़ हों। **मस्अला** : हैजो निफ़ास से त्हातर के लिये भी पानी से आजिज़ होने की सूत में तयम्मूम जाइज़ है जैसा कि हदीस शरीफ़ में आया है। **133 तरीक़ए तयम्मूम** : तयम्मूम करने वाला दिल से पाकी हासिल करने की नियत करे, तयम्मूम में नियत बिल इज्माअ शर्त है क्यूं कि वोह नस्स से साबित है। जो चीज़ मिट्टी की जिन्स से हो जैसे गर्द, रेत, पथ्थर इन सब पर तयम्मूम जाइज़ है ख़्वाह पथ्थर पर गुबार भी न हो लेकिन पाक होना इन चीज़ों का शर्त है। तयम्मूम में दो ज़बे हैं : एक भरतबा हाथ मार कर चेहरे पर फेर लें दूसरी भरतबा हाथों पर। **मस्अला** : पानी के साथ त्हातर अस्ल है और तयम्मूम पानी से आजिज़ होने की हालत में इस का पूरा पूरा काइम मक़ाम है, जिस तरह हृदस पानी से जाइल होता है इसी तरह तयम्मूम से, हत्ता कि एक तयम्मूम से बहुत से फ़राइजो नवाफ़िल पढ़े जा सकते हैं। **मस्अला** : तयम्मूम करने वाले के पीछे गुस्ल और वुजू करने वाले की इक्तदा सहीह है। **शाने नुज़ूल** : ग़ञ्चए बनी अल मुस्तलिक् में जब लश्करे इस्लाम शब को एक बयाबान में उतरा जहां पानी न था और सुब्द वहां से कूच करने का इरादा था वहां उम्मुल मुअमिनीन हज़रत आइशा رضي الله عنها का हार गुम हो गया, उस की तलाश के लिये सय्यिदे आलम صلی الله عليه وسلم ने वहां इक़ामत फ़रमाई, सुब्द हुई तो पानी न था, **ALLAH** तआला ने आयते तयम्मूम नाज़िल फ़रमाई। उसैद बिन हज़ैर رضي الله تعالى عنه ने कहा कि ऐ आले अबू बक्र ! येह तुम्हारी पहली ही बरकत नहीं है या'नी तुम्हारी बरकत से मुसल्मानों को बहुत आसानियां हुई और बहुत फ़वाइद पहुंचे, फिर ऊंट उठाया गया तो उस के नीचे हार मिला। हार गुम होने और सय्यिदे आलम صلی الله عليه وسلم के न बताने में बहुत हिक़मतें हैं, हज़रते सिदीक़ा के हार की वजह से क़ियाम इन की फ़जौलतो मन्ज़िलत का मुश़र (जाहिर करने वाला) है, सहाबा का जुस्तूज़ फ़रमाना, इस में हिदायत है कि हज़ूर की अज़्वाज की ख़िदमत मोमिनीन की सआदत है और फिर हुक्मे तयम्मूम होना मा'लूम होता है कि हज़ूर की अज़्वाज की ख़िदमत का ऐसा सिला है जिस से क़ियामत तक मुसल्मान मुन्तफ़ेअ होते रहेंगे। سُبْحٰنَ اللّٰهِ

عَفْوَرًا ۝۳۳ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتُرُونَ

बख़्शने वाला है क्या तुम ने उन्हें न देखा जिन को किताब से एक हिस्सा मिला<sup>134</sup> गुमराही मोल

الصَّلَاةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضَلُّوا السَّبِيلَ ۝۳۴ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ ط

लेते हैं<sup>135</sup> और चाहते हैं<sup>136</sup> कि तुम भी राह से बहक जाओ और **अल्लाह** ख़ूब जानता है तुम्हारे दुश्मनों को<sup>137</sup>

وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا ۝۳۵ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ۝۳۶

और **अल्लाह** काफ़ी है वाली<sup>138</sup> और **अल्लाह** काफ़ी है मददगार कुछ यहूदी कलामों (इर्शादाते खुदावन्दी)

يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَسْمَعُ

को उन की जगह से फेरते हैं<sup>139</sup> और<sup>140</sup> कहते हैं हम ने सुना और न माना और<sup>141</sup> सुनिये

غَيْرِ مُسْمِعٍ وَرَاعِيَ الْيَتِيمَ بِالسِّنْتِهِمْ وَطَعَنَّا فِي الدِّينِ ط وَلَوْ أَنَّهُمْ

आप सुनाए न जाएं<sup>142</sup> और राइना कहते हैं<sup>143</sup> ज़बानें फेर कर<sup>144</sup> और दीन में ता'ने के लिये<sup>145</sup> और अगर वोह<sup>146</sup>

قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُ وَاَنْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ لَا

कहते कि हम ने सुना और माना और हुज़ूर हमारी बात सुनें और हुज़ूर हम पर नज़र फ़रमाएं तो उन के लिये भलाई और रास्ती में ज़ियादा होता

وَلَكِنْ لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝۳۷ يَا أَيُّهَا

लेकिन उन पर तो **अल्लाह** ने ला'नत की उन के कुफ़्र के सबब तो यकीन नहीं रखते मगर थोड़ा<sup>147</sup> ऐ

الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمَنُوا بِآنزِلْنَا مَصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّن قَبْلِ

किताब वालो ईमान लाओ उस पर जो हम ने उतारा तुम्हारे साथ वाली किताब<sup>148</sup> की तस्दीक़ फ़रमाता क़ब्ल इस के

**134** : वोह येह कि तौरैत से उन्हों ने सिर्फ़ हज़रते मूसा **عَلَيْهِ السَّلَام** की नुबुव्वत को पहचाना और सय्यिदे आ़लम **عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** का जो उस में बयान था उस हिस्से से वोह महरूम रहे और आप की नुबुव्वत के मुन्किर हो गए। **शाने नुज़ूल** : येह आयत रिफ़ाआ बिन ज़ैद और मालिक बिन दुख़्शुम यहूदियों के हक़ में नाज़िल हुई, येह दोनों जब रसूले करीम **عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** से बात करते तो ज़बान टेढ़ी कर के बोलते **135** : हुज़ूर की नुबुव्वत का इन्कार कर के। **136** : ऐ मुसल्मानो ! **137** : और उस ने तुम्हें भी उन की अ़दावत पर ख़बरदार कर दिया तो चाहिये कि उन से बचते रहो। **138** : और जिस का कारसाज़ **अल्लाह** हो उसे क्या अन्देशा। **139** : जो तौरैत शरीफ़ में **अल्लाह** तआला ने सय्यिदे आ़लम से बचते रहे। **140** : जब सय्यिदे आ़लम **عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** उन्हें कुछ हुक्म फ़रमाते हैं तो **141** : कहते हैं : **142** : येह कलिमा ज़ू जिहतैन है (या'नी) मदह व ज़म के दोनों पहलू रखता है। मदह का पहलू तो येह है कि कोई ना गवार बात आप के सुनने में न आए और ज़म का पहलू येह कि आप को सुनना नसीब न हो। **143** : बा वुजूदे कि इस कलिमे के साथ ख़िताब की मुमानअत की गई है, क्यूं कि येह उन की ज़बान में ख़राब मा'ना रखता है। **144** : हक़ से बातिल की तरफ़। **145** : कि वोह अपने रफ़ीकों से कहते थे कि हम हुज़ूर की बदगोई करते हैं अगर आप नबी होते तो आप इस को जान लेते **अल्लाह** तआला ने उन के खुबसे ज़माइर को ज़ाहिर फ़रमा दिया। **146** : बजाए इन कलिमात के अहले अदब के तरीके पर **147 : इतना कि **अल्लाह** ने उन्हें पैदा किया और रोज़ी दी और इस क़दर काफ़ी नहीं जब तक कि तमाम ईमानिय्यात को न मानें और सब की तस्दीक़ न करें। **148** : तौरैत।**

أَنْ تُطِيسَ وُجُوهًا فَتَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نُلْعَمَهُمْ كَمَا لَعَنَّا

कि हम बिगाड़ दें कुछ मूँहों को<sup>149</sup> तो उन्हें फेर दें उन की पीठ की तरफ़ या उन्हें ला'नत करें जैसी ला'नत की

أَصْحَابِ السَّبْتِ ۖ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٤﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ

हफ़्ते वालों पर<sup>150</sup> और खुदा का हुक़्म हो कर रहे बेशक **अल्लाह** इसे नहीं बख़्शता कि

يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرَ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ

उस के साथ कुफ़्र किया जाए और कुफ़्र से नीचे जो कुछ है जिसे चाहे मुआफ़ फ़रमा देता है<sup>151</sup> और जिस ने खुदा का शरीक ठहराया

فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٣٨﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ ۗ

उस ने बड़े गुनाह का तूफ़ान बांधा क्या तुम ने उन्हें न देखा जो खुद अपनी सुथराई बयान करते हैं<sup>152</sup>

بَلِ اللَّهِ يُزَيِّجُ مَنِ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٣٩﴾ أَنْظِرْ كَيْفَ

बल्कि **अल्लाह** जिसे चाहे सुथरा करे और उन पर जुल्म न होगा दानए खुरमा के डोरे बराबर<sup>153</sup> देखो कैसा

يُفْتَرُونَ عَلَىٰ اللَّهِ الْكُذِبَ ۗ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا ۗ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ

**अल्लाह** पर झूठ बांध रहे हैं<sup>154</sup> और यह काफ़ी है सरीह (खुला) गुनाह क्या तुम ने वोह न देखे

الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ

जिन्हें किताब का एक हिस्सा मिला ईमान लाते हैं बुत और शैतान पर

**149** : आंख, नाक, अब्रू वगैरा नक्शा मिटा कर **150** : इन दोनों बातों में से एक जरूर लाज़िम है और ला'नत तो उन पर ऐसी पड़ी कि दुनिया उन्हें मलूज़न कहती है, यहां मुफ़रिसरीन के चन्द अक्वाल हैं : बा'ज इस वईद का वुकूअ दुनिया में बताते हैं, बा'ज आखिरत में, बा'ज कहते हैं कि ला'नत हो चुकी और वईद वाकेअ हो गई, बा'ज कहते हैं : अभी इन्तिज़ार है, बा'ज का कौल है कि येह वईद उस सूरत में थी जब कि यहूद में से कोई ईमान न लाता और चूँकि बहुत से यहूद ईमान ले आए इस लिये शर्त नहीं पाई गई और वईद उठ गई। हज़रते अब्दुल्लाह बिन सलाम जो आ'ज़म उलमाए यहूद से हैं उन्होंने ने मुल्के शाम से वापस आते हुए राह में येह आयत सुनी और अपने घर पहुंचने से पहले इस्लाम ला कर सय्यिदे आलम **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया : **يا رسولل्लाह!** मैं नहीं खयाल करता था कि मैं अपना मुंह पीठ की तरफ़ फिर जाने से पहले और चेहरे का नक्शा मिट जाने से कब्ल आप की खिदमत में हाज़िर हो सकूंगा या'नी इस खौफ़ से ईमान लाने में जल्दी की क्यूँ कि तौरैत शरीफ़ से उन्हें आप के रसूले बरहक़ होने का यकीनी इल्म था, इसी खौफ़ से हज़रते का'ब अहबार जो उलमाए यहूद में बड़ी मन्ज़िलत रखते थे हज़रते उमर **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** से येह आयत सुन कर मुसलमान हो गए। **151** : मा'ना येह हैं कि जो कुफ़्र पर मरे उस की बख़्शिश नहीं इस के लिये हमेशगी का अज़ाब है और जिस ने कुफ़्र न किया हो वोह ख़्वाह कितना ही गुनाहगार, मुरतकिबे कबाइर हो और बे तौबा भी मर जाए तो उस के लिये खुलूद नहीं उस की मग़फ़रत **अल्लाह** की मशियत में है चाहे मुआफ़ फ़रमाए या उस के गुनाहों पर अज़ाब करे फिर अपनी रहमत से जन्नत में दाख़िल फ़रमाए। इस आयत में यहूद को ईमान की तरगीब है और इस पर भी दलालत है कि यहूद पर उफ़े शरअ में मुशिरक का इत्लाक़ दुरुस्त है। **152** : येह आयत यहूदो नसारा के हक़ में नाज़िल हुई जो अपने आप को **अल्लाह** का बेटा और उस का प्यारा बताते थे और कहते थे कि यहूदो नसारा के सिवा कोई जन्नत में न दाख़िल होगा। इस आयत में बताया गया कि इन्सान का दीनदारी और सलाह व तक्वा और कुर्ब व मक्बूलियत का मुद्दई होना और अपने मुंह से अपनी ता'रीफ़ करना काम नहीं आता। **153** : या'नी बिल्कुल जुल्म न होगा वोही सज़ा दी जाएगी जिस के वोह मुस्तहक़ हैं। **154** : अपने आप को बे गुनाह और मक्बूले बारगाह बता कर।

وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا

और काफ़िरों को कहते हैं कि यह मुसलमानों से ज़ियादा राह

سَبِيلًا ﴿٥١﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ۖ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ

पर हैं यह हैं जिन पर **اللَّهُ** ने ला'नत की और जिसे खुदा ला'नत करे तो हरगिज़

تَجِدَلَهُ نَصِيرًا ﴿٥٢﴾ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ

उस का कोई यार न पाएगा<sup>155</sup> क्या मुल्क में उन का कुछ हिस्सा है<sup>156</sup> ऐसा हो तो लोगों

النَّاسِ نَصِيرًا ﴿٥٣﴾ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

को तिल भर न दें या लोगों से हसद करते हैं<sup>157</sup> उस पर जो **اللَّهُ** ने उन्हें अपने फ़ज़ल से दिया<sup>158</sup>

فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ﴿٥٤﴾

तो हम ने तो इब्राहीम की औलाद को किताब और हिक्मत अता फ़रमाई और उन्हें बड़ा मुल्क दिया<sup>159</sup>

فِيهِمْ مِّنْ أَمْنٍ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ ۖ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴿٥٥﴾

तो उन में कोई उस पर ईमान लाया<sup>160</sup> और किसी ने उस से मुंह फेरा<sup>161</sup> और दोखज़ काफ़ी है भड़कती आग<sup>162</sup>

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِّيهِمْ نَارًا ۖ كُلُّ مَا نَضَبْتَ

जिन्होंने ने हमारी आयतों का इन्कार किया अन्करीब हम उन को आग में दाखिल करेंगे जब कभी उन की खालें

جُلُودَهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَ هَٰلِكَ ۖ وَتَوَالُّ الْعَذَابِ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

पक जाएगी हम उन के सिवा और खालें उन्हें बदल देंगे कि अज़ाब का मज़ा लें बेशक **اللَّهُ**

**155** शाने नुज़ूल : यह आयत का'ब बिन अशरफ़ वग़ैरा उलमाए यहूद के हक़ में नाज़िल हुई जो सत्तर सुवारों की जम्ड़यत ले कर कुरैश से सय्यिदे आलम **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** के साथ जंग करने पर हल्फ़ लेने पहुंचे, कुरैश ने इन से कहा चूंकि तुम किताबी हो इस लिये तुम सय्यिदे आलम **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** के साथ ज़ियादा कुर्ब रखते हो हम कैसे इत्मीनान करें कि तुम हम से फ़रेब के साथ नहीं मिल रहे हो अगर इत्मीनान दिलाना हो तो हमारे बुतों को सज्दा करो तो उन्होंने ने शैतान की इताअत कर के बुतों को सज्दा किया, फिर अबू सुफ़यान ने कहा कि हम ठीक राह पर हैं या मुहम्मद मुस्तफ़ा **(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)** ? का'ब बिन अशरफ़ ने कहा : तुम ही ठीक राह पर हो। इस पर यह आयत नाज़िल हुई और **اللَّهُ** तआला ने उन पर ला'नत फ़रमाई कि उन्होंने ने हुज़ूर की अदावत में मुशिरकीन के बुतों तक को पूजा। **156** : यहूद कहते थे कि हम मुल्क व नुबुव्वत के ज़ियादा हक़दार हैं तो हम कैसे अरबों का इत्तिबाअ करें ! **اللَّهُ** तआला ने इन के इस दा'वे को झुटला दिया कि इन का मुल्क में हिस्सा ही क्या है और अगर बिलफ़र्ज़ कुछ होता तो इन का बुख़ल इस दरजे का है कि **157** : नबी **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** और अहले ईमान से **158** : नुबुव्वत व नुसरत व ग़लबा व इज़्ज़त वग़ैरा ने'मतें। **159** : जैसा कि हज़रते यूसुफ़ और हज़रते दावूद और हज़रते सुलैमान **عليهم السلام** को, तो फिर अगर अपने हबीब सय्यिदे आलम **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** पर करम किया तो इस से क्यूं जलते और हसद करते हो। **160** : जैसे कि हज़रते अब्दुल्लाह बिन सलाम और इन के साथ वाले सय्यिदे आलम **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** पर ईमान लाए। **161** : और ईमान से महरूम रहा **162** : उस के लिये जो सय्यिदे आलम **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** पर ईमान न लाए।

عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥٦﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سُدَّ خَلْمُهُمْ

गालिब हिकमत वाला है और जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किये अन्करीब हम उन्हें

جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا إِلَّا نُهُرُ خُلْدَيْنِ فِيهَا أَبَدًا لَّهُمْ فِيهَا

बागों में ले जाएंगे जिन के नीचे नहरें रवां उन में हमेशा रहेंगे उन के लिये वहां

أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ۖ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴿٥٧﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ

सुथरी बीबियां हैं<sup>163</sup> और हम उन्हें वहां दाखिल करेंगे जहां साया ही साया होगा<sup>164</sup> बेशक **اللَّهُ** तुम्हें हुक्म देता है कि

تُؤَدُّوا إِلَى الْأَمْنِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

अमानतें जिन की हैं उन्हीं के सिपुर्द करो<sup>165</sup> और यह कि जब तुम लोगों में फैसला करो तो इन्साफ़ के

بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَبِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

साथ फैसला करो<sup>166</sup> बेशक **اللَّهُ** तुम्हें क्या ही खूब नसीहत फ़रमाता है बेशक **اللَّهُ** सुनता देखता है

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ

ऐ ईमान वालो हुक्म मानो **اللَّهُ** का और हुक्म मानो रसूल का<sup>167</sup> और उन का जो तुम में हुक्मत

مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ

वाले हैं<sup>168</sup> फिर अगर तुम में किसी बात का झगडा उठे तो उसे **اللَّهُ** व रसूल के हुजूर रुजूअ़ करो अगर

**163** : जो हर नजासत व गन्दगी और काबिले नफ़रत चीज़ से पाक हैं। **164** : या'नी सायए जन्नत जिस की राहत व आसाइश, रसाइये फ़हम व इहातए बयान से बाला तर है। **165** : अस्हाबे अमानात और हुक्काम को अमानतें दियात दारी के साथ हकदार को अदा करने और फैसलों में इन्साफ़ करने का हुक्म दिया, बा'ज मुफ़रिसरीन का कौल है कि फ़राइज़ भी **اللَّهُ** तआला की अमानतें हैं इन की अदा भी इस हुक्म में दाखिल है। **166** : फ़रीकैन में से अस्लन किसी की रिआयत न हो। उलमा ने फ़रमाया कि हाकिम को चाहिये कि पांच बातों में फ़रीकैन के साथ बराबर सुलूक करे (1) अपने पास आने में जैसे एक को मौक़अ़ दे दूसरे को भी दे। (2) निशस्त दोनों को एक सी दे (3) दोनों की तरफ़ बराबर मुतवज्जेह रहे (4) कलाम सुनने में हर एक के साथ एक ही तरीका रखे (5) फैसला देने में हक़ की रिआयत करे जिस का दूसरे पर हक़ हो पूरा पूरा दिलाए। हदीस शरीफ़ में है : इन्साफ़ करने वालों को कुबे इलाही में नूरी मिम्बर अता होंगे। **शाने नुजूल** : बा'ज मुफ़रिसरीन ने इस के शाने नुजूल में इस वाकिए का ज़िक्र किया है कि फ़त्हे मक्का के वक़्त सथियदे आलम **عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَام** ने उस्मान बिन तल्हा ख़ादिमे का'बा से का'बाए मुअज़्ज़मा की कलीद (चाबी) ले ली, फिर जब यह आयत नाज़िल हुई तो आप ने वोह कलीद उन्हें वापस दी और फ़रमाया कि अब यह कलीद हमेशा तुम्हारी नस्ल में रहेगी, इस पर उस्मान बिन तल्हा हज़बी इस्लाम लाए। अगर्चे यह वाकिआ थोड़े थोड़े तग़य्युरात के साथ बहुत से मुहद्दिसीन ने ज़िक्र किया है मगर अहादीस पर नज़र करने से येह काबिले वुसूक (काबिले यकीन) नहीं मा'लूम होता क्यूं कि इब्ने अब्दुल्लाह और इब्ने मन्दा और इब्ने असीर की रिवायतों से मा'लूम होता है कि उस्मान बिन तल्हा 8 हि. में मदीनए तथियबा हाज़िर हो कर मुशरफ़ ब इस्लाम हो चुके थे और इन्हों ने फ़त्हे मक्का के रोज़ कुन्नी खुद अपनी खुशी से पेश की थी, बुखारी और मुस्लिम की हदीसों से येही मुस्तफ़ाद होता है। **167** : कि रसूल की इताअत **اللَّهُ** ही की इताअत है। बुखारी व मुस्लिम की हदीस है : सथियदे आलम **عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَام** ने फ़रमाया : जिस ने मेरी इताअत की उस ने **اللَّهُ** की इताअत की और जिस ने मेरी ना फ़रमानी की उस ने **اللَّهُ** की ना फ़रमानी की। **168** : इसी हदीस में हुजूर फ़रमाते हैं : जिस ने अमीर की इताअत की उस ने मेरी इताअत की और जिस ने अमीर की ना फ़रमानी की उस ने मेरी ना फ़रमानी की, इस आयत से साबित हुवा कि मुस्लिम उमरा व हुक्काम की इताअत वाजिब है जब तक

تَوْمُنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝۵۹ أَلَمْ

अल्लाह व क़ियामत पर ईमान रखते हो<sup>169</sup> यह बेहतर है और इस का अन्जाम सब से अच्छा क्या तुम ने

تَرَأَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا نُزِّلَ

उन्हें न देखा जिन का दा'वा है कि वोह ईमान लाए उस पर जो तुम्हारी तरफ़ उतरा और उस पर जो तुम

مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ

से पहले उतरा फिर चाहते हैं कि शैतान को अपना पन्च बनाएं और उन को तो हुक्म येह था कि

يَكْفُرُوا بِهِ ۗ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ۝۶۰ وَإِذَا

उसे अस्लन न मानें और इब्लीस येह चाहता है कि उन्हें दूर बहका दे<sup>170</sup> और जब

قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُسْفِكِينَ

उन से कहा जाए कि अल्लाह की उतारी किताब और रसूल की तरफ़ आओ तो तुम देखोगे कि मुनाफ़िक

يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ۝۶۱ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ بِمَا

तुम से मुंह मोड़ कर फिर जाते हैं कैसी होगी जब उन पर कोई उफ़ताद (मुसीबत) पड़े<sup>171</sup> बदला उस का

قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا

जो उन के हाथों ने आगे भेजा<sup>172</sup> फिर ऐ महबूब तुम्हारे हुजूर हाज़िर हों अल्लाह की क़सम खाते कि हमारा मक़सूद तो भलाई

वोह हक़ के मुवाफ़िक़ रहें और अगर हक़ के खिलाफ़ हुक्म करें तो उन की इताअत नहीं। 169 : इस आयत से मा'लूम हुवा कि अहकाम तीन किस्म के हैं : एक वोह जो ज़ाहिर किताब या'नी कुरआन से साबित हों, एक वोह जो ज़ाहिर हदीस से, एक वोह जो कुरआन व हदीस की तरफ़ ब तरीके क़ियास रुजूअ़ करने से। "أولى الأمر" में इमाम, अमीर, बादशाह, हाक़िम, काजी सब दाख़िल हैं। खिलाफ़ते कामिला तो ज़मानए रिसालत के बा'द तीस साल रही मगर खिलाफ़ते नाक़िसा खुलफ़ाए अब्बासिया में भी थी और अब तो इमामत भी नहीं पाई जाती क्यूं कि इमाम के लिये कुरैश में से होना शर्त है और येह बात अक्सर मक़ामत में मा'दूम है, लेकिन सल्तनत व इमारत बाकी है और चूकि सुल्तान व अमीर भी **أولى الأمر** में दाख़िल हैं इस लिये हम पर इन की इताअत भी लाज़िम है। 170 शाने नुज़ूल : बिशर नामी एक मुनाफ़िक़ का एक यहूदी से झगड़ा था यहूदी ने कहा : चलो सथियदे आलम **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** से तै करा लें, मुनाफ़िक़ ने ख़याल किया कि हुजूर तो बे रिआयत महज़ हक़ फ़ैसला देंगे उस का मतलब हासिल न होगा इस लिये उस ने बा वुजूद मुद्दइये ईमान होने के येह कहा कि का'ब बिन अशरफ़ यहूदी को पन्च बनाओ (कुरआने करीम में ताग़ूत से इस का'ब बिन अशरफ़ के पास फ़ैसला ले जाना मुग़द है) यहूदी जानता था कि का'ब रिश्वत ख़ोर है इस लिये उस ने बा वुजूद हम मज़हब होने के उस को पन्च (फ़ैसला करने वाला) तस्लीम न किया, नाचार (मजबूरन) मुनाफ़िक़ को फ़ैसले के लिये सथियदे आलम **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** के हुजूर आना पड़ा। हुजूर ने जो फ़ैसला दिया वोह यहूदी के मुवाफ़िक़ हुवा, यहां से फ़ैसला सुनने के बा'द फिर मुनाफ़िक़ यहूदी के दरपै हुवा और उसे मजबूर कर के हज़रते उमर **رَضِيَ اللهُ عَنْهُ** के पास लाया, यहूदी ने आप से अर्ज़ किया कि मेरा इस का मुआमला सथियदे आलम **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** तै फ़रमा चुके लेकिन येह हुजूर के फ़ैसले से राज़ी नहीं आप से फ़ैसला चाहता है, फ़रमाया कि हां मैं अभी आ कर इस का फ़ैसला करता हूं, येह फ़रमा कर मकान में तशरीफ़ ले गए और तलवार ला कर उस को क़त्ल कर दिया और फ़रमाया : जो **अल्लाह** और उस के रसूल के फ़ैसले से राज़ी न हो उस का मेरे पास येह फ़ैसला है। 171 : जिस से भागने बचने की कोई राह न हो, जैसी कि बिशर मुनाफ़िक़ पर पड़ी कि उस को हज़रते उमर **رَضِيَ اللهُ عَنْهُ** ने क़त्ल कर दिया। 172 : कुफ़्र व निफ़ाक़ और मअ़ासी, जैसा कि बिशर मुनाफ़िक़ ने रसूल के करीम **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** के फ़ैसले से ए'राज़ कर के किया।

وَتَوْفِيْقًا ۞ ۲۲ ۞ اُولَئِكَ الَّذِيْنَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ ۚ فَاَعْرَضْ

और मेल ही था<sup>173</sup> उन के दिलों की तो बात **अल्लाह** जानता है तो तुम उन से चश्म पोशी

عَنْهُمْ وَعَظْمُهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِيْ اَنْفُسِهِمْ تَوَلَّآ اَبْلِيْغًا ۞ ۲۳ ۞ وَمَا اَرْسَلْنَا

करो और उन्हें समझाओ और उन के मुआमले में उन से रसा (असर करने वाली) बात कहे<sup>174</sup> और हम ने कोई

مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيَطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَلَوْ اَنَّهٗمْ اِذْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ

रसूल न भेजा मगर इस लिये कि **अल्लाह** के हुक्म से उस की इताअत की जाए<sup>175</sup> और अगर जब वोह अपनी जानों पर जुल्म करे<sup>176</sup>

جَاءُوْكَ فَاسْتَغْفِرُوْا اللّٰهَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوْ جَدَّوَاللّٰهُ

तो ऐ महबूब तुम्हारे हुजूर हाज़िर हों और फिर **अल्लाह** से मुआफ़ी चाहें और रसूल उन की शफ़ाअत फ़रमाए तो ज़रूर **अल्लाह** को बहुत

تَوَّابًا رَّحِيْمًا ۞ ۲۴ ۞ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يَحْكُمُوْكَ فِىْ مَا شَجَرَ

तौबा क़बूल करने वाला मेहरबान पाए<sup>177</sup> तो ऐ महबूब तुम्हारे रब की क़सम वोह मुसल्मान न होंगे जब तक अपने आपस के झगड़े में तुम्हें

بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا

हाकिम न बनाएं फिर जो कुछ तुम हुक्म फ़रमा दो अपने दिलों में उस से रुकावट न पाएं और जी से

تَسْلِيْمًا ۞ ۲۵ ۞ وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنْ اَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اَوْ اَخْرَجُوْا مِّنْ

मान लें<sup>178</sup> और अगर हम उन पर फ़र्ज़ करते कि अपने आप को क़त्ल कर दो या अपने घरबार छोड़ कर

**173 :** और वोह उज़्र व नदामत कुछ काम न दे जैसा कि बिशर मुनाफ़िक के मारे जाने के बा'द उस के औलिया उस के खून का बदला त़लब करने आए और वे जा मा'ज़िरतें करने और बातें बनाने लगे। **अल्लाह** तआला ने उस के खून का कोई बदला नहीं दिलाया क्यूं कि वोह कुशतनी ही (क़त्ल ही के लाइक) था। **174 :** जो उन के दिल में असर कर जाए। **175 :** जब कि रसूल का भेजना ही इस लिये है कि वोह मुताअ (लाइके इताअत) बनाए जाएं और उन की इताअत फ़र्ज़ हो तो जो उन के हुक्म से राज़ी न हो उस ने रिसालत को तस्तीम न किया वोह काफ़िर वाजिबुल क़त्ल है। **176 :** मा'सियत व ना फ़रमानी कर के **177 :** इस से मा'लूम हुवा कि बारगाहे इलाही में रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ का वसीला और आप की शफ़ाअत कार बरआरी (हाज़त रवाई) का ज़रीआ है। सय्यिदे आलम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ की वफ़ात शरीफ़ के बा'द एक आ'राबी रौज़ए अक्दस पर हाज़िर हुवा और रौज़ए शरीफ़ की ख़ाके पाक अपने सर पर डाली और अर्ज़ करने लगा : **या रसूलुल्लाह !** जो आप ने फ़रमाया हम ने सुना और जो आप पर नाज़िल हुवा उस में येह आयत भी है "وَلَوْ اَنَّهٗمْ اِذْ ظَلَمُوْا" मैं ने बेशक अपनी जान पर जुल्म किया और मैं आप के हुजूर में **अल्लाह** से अपने गुनाह की बख़्शिश चाहने हाज़िर हुवा तो मेरे रब से मेरे गुनाह की बख़्शिश कराइये, इस पर क़ब्र शरीफ़ से निदा आई कि तेरी बख़्शिश की गई। इस से चन्द मसाइल मा'लूम हुए। **मसअला :** **अल्लाह** तआला की बारगाह में अर्ज़ हाज़त के लिये उस के मक्बूलों को वसीला बनाना ज़रीअए काम्याबी है। **मसअला :** क़ब्र पर हाज़त के लिये जाना भी "جَاءُوْكَ" में दाख़िल और "خَيْرُكُمْ" का मा'मूल है। **मसअला :** बा'दे वफ़ात मक्बूलाने हक़ को "या" के साथ निदा करना जाइज़ है। **मसअला :** मक्बूलाने हक़ मदद फ़रमाते हैं और इन की दुआ से हाज़त रवाई होती है। **178 :** मा'ना येह हैं कि जब तक आप के फ़ैसले और हुक्म को सिद्के दिल से न मान लें मुसल्मान नहीं हो सकते। **سُبْحٰنَ اللّٰهِ !** इस से रसूले अकरम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ की शान मा'लूम होती है। **शाने नुज़ूल :** पहाड़ से आने वाला पानी जिस से बाग़ों में आब रसानी करते हैं उस में एक अन्सारी का हज़रते जुबैर رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ से झगड़ा हुवा, मुआमला सय्यिदे आलम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ के हुजूर पेश किया गया, हुजूर ने फ़रमाया : ऐ जुबैर ! तुम अपने बाग़ को पानी दे कर अपने पड़ोसी की तरफ़ पानी छोड़ दो, येह अन्सारी को गिरां गुज़रा और उस की ज़बान से येह कलिमा निकला कि जुबैर आप के फूफ़ीज़ाद भाई हैं, बा वुजूदे





فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ

फिर अगर तुम पर कोई उफ़ताद (मुसीबत) पड़े तो कहे खुदा का मुझ पर एहसान था कि मैं उन के साथ

شَهِيدًا ٤٢) وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فُضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَّمْ تَكُنْ

हाज़िर न था और अगर तुम्हें अल्लाह का फ़ज़ल मिले 187 तो ज़रूर कहे 188 गोया

بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَلْبِغُنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ٤٣)

तुम में उस में कोई दोस्ती न थी ऐ काश मैं उन के साथ होता तो बड़ी मुराद पाता

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ط

तो उन्हें अल्लाह की राह में लड़ना चाहिये जो दुनिया की ज़िन्दगी बेच कर आखिरत लेते हैं

وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا

और जो अल्लाह की राह में लड़े फिर मारा जाए या ग़ालिब आए तो अन्क़रीब हम उसे बड़ा

عَظِيمًا ٤٤) وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالسُّتَظْعَفِينَ مَنِ

सवाब देंगे और तुम्हें क्या हुआ कि न लड़ो अल्लाह की राह में 189 और कमजोर

الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ

मर्दों और औरतों और बच्चों के वासिते जो यह दुआ कर रहे हैं कि ऐ रब हमारे हमें इस बस्ती

هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلِهَا جَ وَاجْعَلْ لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ

से निकाल जिस के लोग ज़ालिम हैं और हमें अपने पास से कोई हिमायती दे दे और हमें

لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ٤٥) الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ج

अपने पास से कोई मददगार दे दे ईमान वाले अल्लाह की राह में लड़ते हैं 190

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ

और कुफ़र शैतान की राह में लड़ते हैं तो शैतान के दोस्तों

187 : तुम्हारी फ़ल्ह हो और ग़नीमत हाथ आए 188 : वोही जिस के मकूले से यह साबित होता है कि 189 : या'नी जिहाद फ़र्ज़ है और इस के तर्क का तुम्हारे पास कोई उज़्र नहीं 190 : इस आयत में मुसलमानों को जिहाद की तरगीब दी गई ताकि वोह उन कमजोर मुसलमानों को कुफ़र के पन्ज़ए जुल्म से छुड़ाए जिन्हें मक्कए मुकर्रमा में मुशिरकीन ने कैद कर लिया था और तरह तरह की ईजाएं दे रहे थे और उन की औरतों और बच्चों तक पर बे रहूमाना मज़ालिम करते थे और वोह लोग उन के हाथों में मजबूर थे, इस हालत में वोह अल्लाह तआला से अपनी ख़लासी और मददे इलाही की दुआएं करते थे। येह दुआ क़बूल हुई और अल्लाह तआला ने अपने हबीब صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ को उन का

الشَّيْطَانُ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٤٦﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ

से<sup>191</sup> लड़ो बेशक शैतान का दाव कमजोर है<sup>192</sup> क्या तुम ने उन्हें न देखा जिन से कहा गया

كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ

अपने हाथ रोक लो<sup>193</sup> और नमाज़ काइम रखो और ज़कात दो फिर जब उन पर जिहाद फ़र्ज़

الْقِتَالِ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشِيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً

किया गया<sup>194</sup> तो उन में बा'जे लोगों से ऐसा डरने लगे जैसे **अल्लाह** से डरे या इस से भी जाइद<sup>195</sup>

وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ

और बोले ऐ रब हमारे तूने हम पर जिहाद क्यूं फ़र्ज़ कर दिया<sup>196</sup> थोड़ी मुदत तक हमें और जीने

قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ۖ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَلَا

दिया होता तुम फ़रमा दो कि दुनिया का बरतना थोड़ा है<sup>197</sup> और डर वालों के लिये आखिरत अच्छी और तुम

تُظَلَمُونَ فَتِيلاً ﴿٤٧﴾ أَيُّنَ مَا تَكُونُوا يَدْرَأَكُمُ الْمَوْتَ وَلَوْ كُنْتُمْ

पर तागे बराबर जुल्म न होगा<sup>198</sup> तुम जहां कहीं हो मौत तुम्हें आ लेगी<sup>199</sup> अगर्चे

فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ ۗ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ

मज़बूत क़लों में हो और उन्हें कोई भलाई पहुंचे<sup>200</sup> तो कहे यह **अल्लाह** की तरफ़ से

اللَّهِ ۗ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ۗ قُلْ كُلٌّ مِّنْ

है और उन्हें कोई बुराई पहुंचे<sup>201</sup> तो कहे यह हुजूर की तरफ़ से आई<sup>202</sup> तुम फ़रमा दो सब **अल्लाह** की

वली व नासिर किया और उन्हें मुशिरकीन के हाथों से छुड़ाया और मक्कए मुकर्रमा फ़त्ह कर के उन की ज़बर दस्त मदद फ़रमाई । 191 : ए'लाए दीन और रिज़ाए इलाही के लिये 192 : या'नी काफ़िरों का, और वोह **अल्लाह** की मदद के मुकाबले में क्या चीज़ है । 193 : क़िताल से । शाने नुज़ूल : मुशिरकीन मक्कए मुकर्रमा में मुसलमानों को बहुत ईजाएँ देते थे, हिजरत से क़ब्ल अस्थाबे रसूल **عَلَيْهِ السَّلَام** की एक जमाअत ने हुजूर की खिदमत में अर्ज़ किया कि आप हमें काफ़िरों से लड़ने की इजाज़त दीजिये उन्होंने ने हमें बहुत सताया है और बहुत ईजाएँ देते हैं । हुजूर ने फ़रमाया कि उन के साथ जंग करने से हाथ रोको, नमाज़ और ज़कात जो तुम पर फ़र्ज़ है वोह अदा करते रहो । फ़ाएदा : इस से साबित हुवा कि नमाज़ व ज़कात जिहाद से पहले फ़र्ज़ हुई । 194 : मदीनए तय्यिबा में और बद्र की हाज़िरी का हुक्म दिया गया । 195 : यह ख़ौफ़ तब्दी था कि इन्सान की जिबिल्लत (फ़ितरत) है कि मौत व हलाकत से घबराता और डरता है । 196 : इस की हिकमत क्या है ? यह सुवाल वज्हे हिकमत दरयाफ़्त करने के लिये था न ब तरीके ए'तिराज़, इसी लिये उन को इस सुवाल पर तौबीख़ व जज़्र न फ़रमाया गया बल्कि जवाब तस्क़ीन बख़्शा अता फ़रमा दिया गया । 197 : जाइल व फ़ानी है । 198 : और तुम्हारे अज़्र कम न किये जाएंगे तो जिहाद में अन्देशा व तअम्मुन न करो । 199 : और इस से रिहाई पाने की कोई सूरत नहीं और जब मौत ना गुज़ीर है तो बिस्तर पर मर जाने से राहे खुदा में जान देना बेहतर है कि येह सआदते आखिरत का सबब है । 200 : अरज़ानी व कस्रते पैदावार वग़ैरा की 201 : गिरानी क़हूत-साली वग़ैरा 202 : येह हाल मुनाफ़िकीन का है कि जब उन्हें कोई सख़्ती पेश आती तो उस को सय्यिदे आलम **عَلَيْهِ السَّلَام** की तरफ़ निस्वत करते और कहते जब से येह आए हैं ऐसी ही सख़्तियां पेश आया करती हैं ।

عُنْدَ اللَّهِ ۖ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿٤٨﴾ مَا

तरफ़ से है<sup>203</sup> तो उन लोगों को क्या हुआ कोई बात समझते मा'लूम ही नहीं होते ऐ सुनने वाले

أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۗ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ ۗ

तुझे जो भलाई पहुंचे वोह **अल्लाह** की तरफ़ से है<sup>204</sup> और जो बुराई पहुंचे वोह तेरी अपनी तरफ़ से है<sup>205</sup>

وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ۖ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٤٩﴾ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ

और ऐ महबूब हम ने तुम्हें सब लोगों के लिये रसूल भेजा<sup>206</sup> और **अल्लाह** काफी है गवाह<sup>207</sup> जिस ने रसूल का हुक्म माना

فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۗ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۗ وَ

बेशक उस ने **अल्लाह** का हुक्म माना<sup>208</sup> और जिस ने मुंह फेरा<sup>209</sup> तो हम ने तुम्हें उन के बचाने को न भेजा और

يَقُولُونَ طَاعَةٌ ۗ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ

कहते हैं हम ने हुक्म माना<sup>210</sup> फिर जब तुम्हारे पास से निकल कर जाते हैं तो उन में एक गुरौह जो कह गया था

الَّذِي تَقُولُ ۗ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ۚ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ

उस के खिलाफ़ रात को मन्सूबे गांठता है और **अल्लाह** लिख रखता है उन के रात के मन्सूबे<sup>211</sup> तो ऐ महबूब तुम उन से चश्म पोशी करो और **अल्लाह**

عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٥١﴾ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ ۗ وَلَوْ كَانَ

पर भरोसा रखो और **अल्लाह** काफी है काम बनाने को तो क्या गौर नहीं करते कुरआन में<sup>212</sup> और अगर वोह

**203** : गिरानी हो या अरजानी, क़हत् हो या अरख़ ह़ाली, रन्ज हो या राहत, आराम हो या तक्लीफ़, फ़त्ह हो या शिकस्त, हकीकत में सब **अल्लाह** की तरफ़ से है। **204** : उस का फ़ज़्लो रहमत है **205** : कि तूने ऐसे गुनाहों का इरतिकाब किया कि तू इस का मुस्तहिक़ हुवा। **मस्अला** : यहां बुराई की निस्वत बन्दे की तरफ़ मजाज़ है और ऊपर जो मज़्कूर हुवा वोह हकीकत थी। बा'ज मुफ़स्सरीन ने फ़रमाया कि बदी की निस्वत बन्दे की तरफ़ बर सबीले अदब है। खुलासा येह कि बन्दा जब फ़ाइले हकीकी की तरफ़ नज़र करे तो हर चीज़ को उसी की तरफ़ से जाने और जब अस्बाब पर नज़र करे तो बुराइयों को अपनी शामते नफ़्स के सबब से समझे। **206** : अ़रब हों या अ़जम आप तमाम ख़ल्क के लिये रसूल बनाए गए और कुल ज़हान आप का उम्मीत किया गया, येह सथियदे आलम **عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** की जलालते मन्सब और रिफ़अते मन्ज़िलत का बयान है **207** : आप की रिसालते आम्मा पर, तो सब पर आप की इताअत और आप का इत्तिबाअ फ़र्ज़ है। **208** शाने नुज़ूल : रसूले करीम **عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** ने फ़रमाया : जिस ने मेरी इताअत की उस ने **अल्लाह** की इताअत की और जिस ने मुझ से महब्वत की उस ने **अल्लाह** से महब्वत की। इस पर आज कल के गुस्ताख़ बद दीनों की तरह उस ज़माने के बा'ज मुनाफ़िकों ने कहा कि मुहम्मद मुस्तफ़ा **عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** येह चाहते हैं कि हम इन्हें रब मान लें जैसा नसारा ने ईसा बिन मरयम को रब माना, इस पर **अल्लाह** तआला ने उन के रद में येह आयत नाज़िल फ़रमा कर अपने नबी **عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** के कलाम की तस्दीक़ फ़रमा दी कि बेशक रसूल की इताअत **अल्लाह** की इताअत है। **209** : और आप की इताअत से ए'राज़ किया। **210** शाने नुज़ूल : येह आयत मुनाफ़िकीन के हक़ में नाज़िल हुई जो सथियदे आलम **عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** के हुज़ूर में ईमान व इताअत शिआरी का इज़हार करते थे और कहते थे : हम हुज़ूर पर ईमान लाए हैं, हम ने हुज़ूर की तस्दीक़ की है, हुज़ूर जो हमें हुक्म फ़रमाएँ उस की इताअत हम पर लाज़िम है। **211** : उन के आ'माल नामों में और इस का उन्हें बदला देगा। **212** : और इस के उलूम व हिक़म को नहीं देखते कि इस ने अपनी फ़साहत से तमाम ख़ल्क को आज़िज़ कर दिया है और ग़ैबी ख़बरों से मुनाफ़िकीन के अहवाल और उन के मक्रो कैद का इफ़शाएँ राज़ कर दिया है और अब्बलीनो आख़िरीन की ख़बरें दी हैं।

مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوْ جَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾ وَإِذَا جَاءَهُمْ

गैरे खुदा के पास से होता तो ज़रूर उस में बहुत इख़्तिलाफ़ पाते<sup>213</sup> और जब उन के पास

أَمْرٍ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدْعُوهُمْ لِوَسَادُوهٖ إِلَى الرَّسُولِ

कोई बात इत्मीनान<sup>214</sup> या डर<sup>215</sup> की आती है उस का चरचा कर बैठते हैं<sup>216</sup> और अगर उस में रसूल

وَإِلَى أَوْلِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَّهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ط وَلَوْ لَا

और अपने ज़ी इख़्तियार लोगों<sup>217</sup> की तरफ़ रुजूअ लाते<sup>218</sup> तो ज़रूर उन से उस की हक़ीक़त जान लेते यह जो बात में काविश करते हैं<sup>219</sup> और अगर

فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَاحَتَهُ لَا تَبِعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾ فَقَاتِلْ

तुम पर **अल्लाह** का फ़ज़ल<sup>220</sup> और उस की रहमत<sup>221</sup> न होती तो ज़रूर तुम शैतान के पीछे लग जाते<sup>222</sup> मगर थोड़े<sup>223</sup> तो ऐ महबूब

فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تَكُفَّ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى

**अल्लाह** की राह में लड़ें<sup>224</sup> तुम तकलीफ़ न दिये जाओगे मगर अपने दम की<sup>225</sup> और मुसलमानों को आमादा करो<sup>226</sup> करीब है

اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بِأَسِّ الَّذِينَ كَفَرُوا ط وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ

कि **अल्लाह** काफ़ि़रों की सख़्ती रोक दे<sup>227</sup> और **अल्लाह** की आंच (गिरिफ़्त) सब से सख़्त तर है और उस का अज़ाब सब

**213** : और ज़मानए आयिन्दा के मुतअल्लिक़ ग़ैबी ख़बरें मुताबिक़ न होतीं और जब ऐसा न हुवा और कुरआने पाक की ग़ैबी ख़बरों से आयिन्दा पेश आने वाले वाकिआत मुताबक़त करते चले गए तो साबित हुवा कि यकीनन वोह किताब **अल्लाह** की तरफ़ से है। नीज़ उस के मज़ामीन में भी बाहम इख़्तिलाफ़ नहीं इसी तरह फ़साहतो बलागत में भी क्यू कि मख़्लूक़ का कलाम फ़सीह भी हो तो सब यकसां नहीं होता कुछ बलीग़ होता है तो कुछ ककीक़ होता है जैसा कि शुअरा और ज़बान दानों के कलाम में देखा जाता है कि कोई बहुत मलीह (दिलचस्प) और कोई निहायत फीका। येह **अल्लाह** तआला ही के कलाम की शान है कि इस का तमाम कलाम फ़साहतो बलागत की आ'ला मर्तबत पर है। **214** : या'नी फ़ह्दे इस्लाम **215** : या'नी मुसलमानों की हज़ीमत की ख़बर **216** : जो मफ़सदे (फ़ितने फ़साद) का मूजिब होता है कि मुसलमानों की फ़ह्द की शोहरत से तो कुफ़्फ़ार में जोश पैदा होता है और शिकस्त की ख़बर से मुसलमानों की हौसला शिकनी होती है। **217** : अकाबिर सहाबा जो साहिबे राय और साहिबे बसीरत हैं **218** : और खुद कुछ दख़ल न देते **219** मस'अला : मुफ़स्सरीन ने फ़रमाया : इस आयत में दलील है जवाज़े क़ियास पर और येह भी मा'लूम होता है कि एक इल्म तो वोह है जो ब नस्से कुरआनो हदीस हासिल हो, और एक इल्म वोह है जो कुरआनो हदीस से इस्तिम्बात व क़ियास के ज़रीए हासिल होता है। मस'अला : येह भी मा'लूम हुवा कि उमूरे दीनिया में हर शख़्स को दख़ल देना जाइज़ नहीं, जो अहल हो उस को तप्वीज़ (सिपुद) करना चाहिये। **220** : रसूले करीम **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** की बि'सत **221** : नुज़ूले कुरआन **222** : और कुफ़्रो ज़लाल में गिरिफ़्तार रहते **223** : वोह लोग जो सय्यिदे आलम **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** की बि'सत और कुरआने पाक के नुज़ूल से पहले आप पर ईमान लाए जैसे ज़ैद बिन अग्र बिन नुफ़ैल और वरक़ा बिन नौफ़ल और कैस बिन साइदा **224** : ख़्वाह कोई तुम्हारा साथ दे या न दे और तुम अकेले रह जाओ **225** शाने नुज़ूल : बद्रे सुगरा की जंग जो अबू सुफ़यान से ठहर चुकी थी जब उस का वक़्त आ पहुंचा तो रसूले करीम **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** ने वहां जाने के लिये लोगों को दा'वत दी, बा'ज़ों पर येह गिरां हुवा तो **अल्लाह** तआला ने येह आयत नाज़िल फ़रमाई और अपने हबीब **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** को हुक्म दिया कि वोह जिहाद न छोड़ें अगर्चे तन्हा हों **अल्लाह** आप का नासिर है **अल्लाह** का वा'दा सच्चा है येह हुक्म पा कर रसूले करीम **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** बद्रे सुगरा की जंग के लिये ख़ाना हुए सिफ़ सत्तर सुवार हमराह थे। **226** : उन्हें जिहाद की तरगीब दो और बस। **227** : चुनान्ते, ऐसा ही हुवा कि मुसलमानों का येह छोटा सा लश्कर काम्याब आया और कुफ़्फ़ार ऐसे मरऊब हुए कि वोह मुसलमानों के मुक़ाबिल मैदान में न आ सके। फ़ाएदा : इस आयत से साबित हुवा कि सय्यिदे आलम **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** शुजाअत में सब से आ'ला हैं कि आप को तन्हा कुफ़्फ़ार के मुक़ाबिल तशरीफ़ ले जाने का हुक्म हुवा और आप आमादा हो गए।

تَكَيْلًا ۱۸۲) مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَ

और 229 है हिस्सा उस में से उसके लिए उसे अच्छी सिफारिश करे 228 जो (ज़बर दस्त सख्त) से करा

مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ

और 230 है हिस्सा उस में से उसके लिए उस बुरी सिफारिश करे जो

شَيْءٍ مُّقِيَّتًا ۱۸۵) وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِمَّا أَوْ

कहो या लफ़्ज़ जवाब में उस से बेहतर लफ़्ज़ से सलाम करे तो तुम उस कोई किसी लफ़्ज़ से

رُدُّوهَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ۱۸۶) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ

नहीं बन्दगी किसी के सिवा उस है कि 231 है हिस्सा लेने वाला हर चीज़ पर अल्लाह बेशक

لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ

और बात किस ज़ियादा से अल्लाह और नही शक कुछ में जिस दिन क़ियामत करेगा इकट्ठा तुम्हें ज़रूर

حَدِيثًا ۱۸۷) فَالَكُمْ فِي السُّفَقِينَ فِتْنِينَ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا

उनके 234 कर दिया उन्हें अल्लाह ने और 233 गए फ़रीक़ दो बारों के मुनाफ़ि़कों कि क्या तुम्हें सच्ची

كَسَبُوا ۚ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ۚ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ

करे गुमराह अल्लाह जिसे और किया गुमराह अल्लाह जिसे क्या यह चाहते हो कि उसे राह दिखाओ

228 : किसी से किसी की, कि उस को नपुं पहुंचाए या किसी मुसीबत व बला से ख़लास कराए और हो वोह मुवाफ़िक़े शरअ तो 229 : अज़्र व जज़ा 230 : अज़ाब व सज़ा 231 मसाइले सलाम : सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना फ़र्ज़ और जवाब में अफ़ज़ल यह है कि सलाम करने वाले के सलाम पर कुछ बढ़ाए मसलन पहला शख्स وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ कहे तो दूसरा शख्स وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ भी कहा था तो येह बड़ाए और बड़ाए, पस इस से ज़ियादा सलाम व जवाब में और कोई इज़ाफ़ा नहीं है। काफ़िर, गुमराह, फ़ासिक़ और इस्तिन्ज़ा करते मुसल्मानों को सलाम न करें। जो शख्स खुल्बा या तिलावते कुरआन या हदीस या मुजाकरए इल्म या अज़ान या तक्वीर में मशगूल हो, इस हाल में उन को सलाम न किया जाए और अगर कोई सलाम करे तो उन पर जवाब देना लाज़िम नहीं और जो शख्स शतरन्ज, चोसर, ताश, गन्जफ़ा वगैरा कोई ना जाइज़ खेल खेला रहा हो या गाने बजाने में मशगूल हो या पाख़ाने या गुस्ल खाने में हो या बे उज़्र बरहना हो उस को सलाम न किया जाए। मसअला : आदमी जब अपने घर में दाख़िल हो तो बीबी को सलाम करे। हिन्दूस्तान में येह बड़ी ग़लत रस्म है कि जून व शो के इतने गहरे तअल्लुकात होते हुए भी एक दूसरे को सलाम से महरूम करते हैं बा वुजूदे कि सलाम जिस को किया जाता है उस के लिये सलामती की दुआ है। मसअला : बेहतर सुवारी वाला कमतर सुवारी वाले को और कमतर सुवारी वाला पैदल चलने वाले को और पैदल बैठे हुए को और छोटे बड़े को और थोड़े ज़ियादा को सलाम करें। 232 : या'नी उस से ज़ियादा सच्चा कोई नहीं, इस लिये कि उस का किज़ब ना मुम्किन व मुहाल है क्यूं कि किज़ब ऐब है और हर ऐब अल्लाह पर मुहाल है वोह जुम्ला उयूब से पाक है। 233 शाने नुज़ूल : मुनाफ़ि़कीन की एक जमाअत सय्यिदे आलम صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ के साथ जिहाद में जाने से रुक गई थी उन के बाब में अस्हाबे किराम के दो फ़िक़े हो गए, एक फ़ि़क़ा क़त्ल पर मुसिर था और एक उन के क़त्ल से इन्कार करता था, इस मुआमले में येह आयत नाज़िल हुई। 234 : कि वोह हुज़ूर के साथ जिहाद में जाने से महरूम रहे। 235 : उन के कुफ़्रो इरतिदाद और मुशिरकीन के साथ मिलने के बाइस तो चाहिये कि मुसल्मान भी उन के कुफ़्र में इख़िलाफ़ न करें।

فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿٨٨﴾ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَاتَّكُونُونَ

तो हरगिज़ तू उस के लिये कोई राह न पाएगा वोह तो येह चाहते हैं कि कहीं तुम भी काफ़िर हो जाओ जैसे वोह काफ़िर हुए तो तुम सब

سَوَاءٌ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ط

एक से हो जाओ तो उन में किसी को अपना दोस्त न बनाओ<sup>236</sup> जब तक **अल्लाह** की राह में घरबार न छोड़ें<sup>237</sup>

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوا مِنْهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا

फिर अगर वोह मुंह फेरें<sup>238</sup> तो उन्हें पकड़ो और जहां पाओ क़त्ल करो और उन में किसी को

مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٨٩﴾ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ

न दोस्त ठहराओ न मददगार<sup>239</sup> मगर वोह जो ऐसी क़ौम से अ़लाक़ा (तअल्लुक) रखते हैं कि तुम में

وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ

उन में मुआहदा है<sup>240</sup> या तुम्हारे पास यूं आए कि उन के दिलों में सकत (ताक़त) न रही कि तुम से लड़ें<sup>241</sup> या

يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ قَوْمَهُمْ ط وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ فَإِنْ

अपनी क़ौम से लड़ें<sup>242</sup> और **अल्लाह** चाहता तो ज़रूर उन्हें तुम पर क़ाबू देता तो वोह बेशक तुम से लड़ते<sup>243</sup> फिर अगर

اعْتَرَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقَوَا إِلَيْكُمُ السَّلَامُ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ

वोह तुम से किनारा करें और न लड़ें और सुल्ह का पयाम डालें तो **अल्लाह** ने तुम्हें उन पर कोई

عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿٩٠﴾ سَتَجِدُونَ آخِرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ

राह न रखी<sup>244</sup> अब कुछ और तुम ऐसे पाओगे जो येह चाहते हैं कि तुम से भी अमान में रहें

وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ ط كَلِمًا رُدُّوْا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكَسُوا فِيهَا فَإِنَّ لَكُمْ

और अपनी क़ौम से भी अमान में रहें<sup>245</sup> जब कभी उन की क़ौम उन्हें फ़साद<sup>246</sup> की तरफ़ फेरे तो उस पर औंधे गिरते हैं फिर अगर

**236** : इस आयत में कुफ़ार के साथ मुवालात मन्अ की गई ख़वाह वोह ईमान का इज़हार ही करते हों **237** : और इस से उन के ईमान की तहकीक न हो ले। **238** : ईमान व हिज़रत से और अपनी हालत पर काइम रहें। **239** : और अगर तुम्हारी दोस्ती का दा'वा करें और मदद के लिये तय्यार हों तो उन की मदद न क़बूल करो। **240** : येह इस्तिस्ना क़त्ल की तरफ़ राजेअ है क्यूं कि कुफ़ार व मुनाफ़िक्कीन के साथ मुवालात किसी हाल में जाइज़ नहीं और अहद से येह अहद मुवाद है कि उस क़ौम को और जो उस क़ौम से जा मिले उस को अमन है जैसा कि सय्यिदे आलम **عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** ने मक्कए मुकर्रमा तशरीफ़ ले जाते वक़्त हिलाल बिन इवैमिर अस्लमी से मुआमला किया था। **241** : अपनी क़ौम के साथ हो कर **242** : तुम्हारे साथ हो कर **243** : लेकिन **अल्लाह** तआला ने उन के दिलों में रो'ब डाल दिया और मुसलमानों को उन के शर से महफूज़ रखा। **244** : कि तुम उन से जंग करो। बा'ज मुफ़रिसरीन का क़ौल है कि येह हुक्म आयत "اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ" (उन्हें पकड़ो और जहां पाओ क़त्ल करो) से मन्सूख़ हो गया। **245** शाने नुज़ूल : मदीनए तथ्यिबा में कबीलए असद व ग़तफ़ान के लोग रियाअन कलिमए इस्लाम पढ़ते और अपने आप को मुसलमान जाहिर करते और जब उन में से कोई अपनी क़ौम से मिलता और वोह लोग उन से कहते कि तुम किस चीज़ पर ईमान लाए तो वोह लोग कहते कि बन्दरों बिच्छूओं वगैरा पर, इस अन्दाज़ से उन का मतलब येह था कि

يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ وَيَكْفُوا أَيْدِيَهُمْ فَخَذُواهُمْ وَ

वोह तुम से किनारा न करें और<sup>247</sup> सुल्ह की गरदन न डालें और अपने हाथ न रोके तो उन्हें पकड़ो और

أَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا

जहां पाओ क़त्ल करो और यह हैं जिन पर हम ने तुम्हें सरीह (खुला)

مُسِيْنًا ٩١ وَمَا كَانَ لِيَوْمٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ

इख़्तियार दिया<sup>248</sup> और मुसलमानों को नहीं पहुंचता कि मुसलमान का खून करे मगर हाथ बहक कर<sup>249</sup> और जो किसी मुसलमान को

مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا إِلَّا

ना दानिस्ता क़त्ल करे तो उस पर एक मम्लूक मुसलमान (मुस्लिम गुलाम) का आज़ाद करना है और खूबहा कि मक़तूल के लोगों को सिपुर्द की जाए<sup>250</sup> मगर

أَنْ يَصَدَّقُوا ٩٢ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوِّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ

यह कि वोह मुआफ़ कर दें फिर अगर वोह<sup>251</sup> उस क़ौम से हो जो तुम्हारी दुश्मन है<sup>252</sup> और खुद मुसलमान है तो सिर्फ़ एक

رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فِدْيَةٌ

मम्लूक मुसलमान का आज़ाद करना<sup>253</sup> और अगर वोह उस क़ौम में हो कि तुम में उन में मुआहदा है तो उस के लोगों को

مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ٩٣ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ

खू-बहा सिपुर्द की जाए और एक मुसलमान मम्लूक आज़ाद करना<sup>254</sup> तो जिस का हाथ न पहुंचे<sup>255</sup> वोह लगातार

شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ٩٤ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٩٥

दो महीने के रोज़े रखे<sup>256</sup> यह **अल्लाह** के यहां उस की तौबा है और **अल्लाह** जानने वाला हिकमत वाला है

246 : दोनों तरफ़ से रस्मो राह रखें और किसी जानिब से उन्हें नुक़सान न पहुंचे, यह लोग मुनाफ़िकीन थे इन के हक़ में यह आयत नाज़िल हुई। 247 : शिर्क या मुसलमानों से जंग 248 : जंग से बाज़ आ कर 249 : उन के कुफ़्र, ग़द और मुसलमानों की ज़रर रसानी के सबब 250 : या'नी मोमिन काफ़िर की मिस्ल मुबाहुदम नहीं है जिस का हुक्म ऊपर की आयत में मज़हूर हो चुका तो मुसलमान का क़त्ल करना बिगैर हक़ के रवा नहीं और मुसलमान की शान नहीं कि उस से किसी मुसलमान का क़त्ल सरज़द हो बजुज़ इस के कि ख़ताअन हो इस तरह कि मारता था शिकार को या काफ़िरे हर्बी को और हाथ बहक कर ज़द पड़ी मुसलमान पर या यह कि किसी शख़्स को काफ़िरे हर्बी जान कर मारा और था वोह मुसलमान। 251 : या'नी उस के वारिसों को दी जाए वोह उसे मिस्ल मीरास के तक्सीम कर लें। दियत मक़तूल के तर्के के हुक्म में है इस से मक़तूल का दैन भी अदा किया जाएगा, वसियत भी जारी की जाएगी। 252 : जो ख़ताअन क़त्ल किया गया 253 : या'नी काफ़िर 254 : लाज़िम है और दियत नहीं 255 : या'नी अगर मक़तूल जिम्मी हो तो इस का वोही हुक्म है जो मुसलमान का। 256 : या'नी वोह किसी गुलाम का मालिक न हो 257 : लगातार रोज़ा रखना यह है कि इन रोज़ों के दरमियान रमज़ान और अय्यामे तशरीक न हों और दरमियान में रोज़ों का सिल्सिला ब उज़्र या बिला उज़्र किसी तरह तोड़ा न जाए। शाने नुज़ूल : यह आयत अय्याश बिन रबी'आ मख़ज़ूमि के हक़ में नाज़िल हुई, वोह कब्ले हिजरत मक्कए मुकर्रमा में इस्लाम लाए और घर वालों के ख़ौफ़ से मदीनए तय्यिबा जा कर पनाह गुज़ीं हुए, उन की मां को इस से बहुत बे करारी हुई और उस ने हारिस और अबू जहल अपने दोनों बेटों से जो अय्याश के सोतेले भाई थे येह कहा कि खुदा की क़सम न मैं साए में बैठूँ न खाना चखूँ न पानी पियूँ जब तक तुम अय्याश को मेरे पास न ले आओ। वोह दोनों हारिस बिन ज़ैद बिन अबी उनैसा को साथ ले कर तलाश के लिये निकले और मदीनए तय्यिबा पहुंच कर अय्याश को पा लिया और उन को मां की जज़अ फ़ज़अ बे करारी और

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ مَا جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ

और जो कोई मुसलमान को जान बूझ कर कत्ल करे तो उस का बदला जहन्नम है कि मुद्दतों उस में रहे<sup>257</sup> और **अल्लाह** ने

اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَةُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا

उस पर गज़ब किया और उस पर ला'नत की और उस के लिये तय्यार रखा बड़ा अज़ाब ऐ ईमान वालो जब

ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ آتَىٰ إِلَيْكُمُ

तुम जिहाद को चलो तो तहकीक कर लो और जो तुम्हें सलाम करे उस से यह न

السَّلَامَ لَسْتُمْ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعُذَّ اللَّهُ

कहो कि तू मुसलमान नहीं<sup>258</sup> तुम जीती दुन्या का अस्बाब चाहते हो तो **अल्लाह** के पास

مَغَانِمٍ كَثِيرَةً ۖ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا ۗ

बहुतेरी गनीमतें हैं पहले तुम भी ऐसे ही थे<sup>259</sup> फिर **अल्लाह** ने तुम पर एहसान किया<sup>260</sup> तो तुम पर तहकीक करना लाज़िम है<sup>261</sup>

खाना पीना छोड़ने की खबर सुनाई और **अल्लाह** को दरमियान दे कर यह अहद किया कि हम दीन के बाब में तुझ से कुछ न कहेंगे, इस तरह वोह अय्याश को मदीने से निकाल लाए और मदीने से बाहर आ कर उस को बांधा और हर एक ने सो सो कोड़े मारे फिर मां के पास लाए तो मां ने कहा कि मैं तेरी मुश्कें न खोलूंगी जब तक तू अपना दीन तर्क न करे, फिर अय्याश को धूप में बंधा हुवा डाल दिया और इन मुसीबतों में मुब्तला हो कर अय्याश ने उन का कहा मान लिया और अपना दीन तर्क कर दिया तो हारिस बिन जैद ने अय्याश को मलामत की और कहा तू इसी दीन पर था अगर यह हक था तो तुने हक को छोड़ दिया और अगर बातिल था तो तू बातिल दीन पर रहा, यह बात अय्याश को बड़ी ना गवार गुजरी और अय्याश ने कहा कि मैं तुझ को अकेला पाऊंगा तो खुदा की कसम जरूर कत्ल कर दूंगा। इस के बाद अय्याश इस्लाम लाए और उन्होंने मदीने हिजरत की और इन के बाद हारिस भी इस्लाम लाए और हिजरत कर के रसूल करीम **صلی اللہ علیہ وسلم** की खिदमत में पहुंचे लेकिन उस रोज अय्याश मौजूद न थे न उन्हें हारिस के इस्लाम की इत्तिलाअ हुई। कुबा के करीब अय्याश ने हारिस को देख लिया और कत्ल कर दिया तो लोगों ने कहा कि ऐ अय्याश! तुम ने बहुत बुरा किया हारिस इस्लाम ला चुके थे, इस पर अय्याश को बहुत अपसोस हुवा और उन्होंने सय्यिदे आलम **صلی اللہ علیہ وسلم** की खिदमत अक्दस में हाजिर हो कर वाकिआ अर्जु किया और कहा कि मुझे ता वक्ते कत्ल उन के इस्लाम लाने की खबर ही न हुई, इस पर यह आयए करीमा नाज़िल हुई। **257** : मुसलमान को अमदन कत्ल करना सख्त गुनाह और अशद कबीरा है। हदीस शरीफ में है कि दुन्या का हलाक होना **अल्लाह** के नज़्दीक एक मुसलमान के कत्ल होने से हलका है। फिर यह कत्ल अगर ईमान की अदावत से हो या कातिल उस कत्ल को हलाल जानता हो तो यह कुफ़ भी है। **फ़ाएदा** : **خُلُود** मुद्दे दराज़ के मा'ना में भी मुस्ता'मल है और कातिल अगर सिर्फ दुन्यवी अदावत से मुसलमान को कत्ल करे और उस के कत्ल को मुबाह न जाने जब भी इस की जज़ा मुद्दे दराज़ के लिये जहन्नम है। **फ़ाएदा** : **خُلُود** का लफज़ मुद्दे तबीला के मा'ना में होता है तो कुरआने करीम में इस के साथ लफ़्जे **أَبَد** मज़कूर नहीं होता और कुफ़्फ़ार के हक में **خُلُود** ब मा'ना दवाम (हमेशगी) आया है तो इस के साथ **أَبَد** भी ज़िक्र फरमाया गया है। **शाने नुज़ूल** : यह आयत मक़ीस बिन सुबाबा के हक में नाज़िल हुई, इस के भाई कबीलाए बनी नज्जार में मक्तूल पाए गए थे और कातिल मा'लूम न था, बनी नज्जार ने ब हुक्मे रसूलुल्लाह **صلی اللہ علیہ وسلم** दियत अदा कर दी, इस के बाद मक़ीस ने ब इग़्वाए शैतान एक मुसलमान को बे ख़बरी में कत्ल कर दिया और दियत के ऊंट ले कर मक्का को चलता हो गया और मुरतद हो गया यह इस्लाम में पहला शख्स है जो मुरतद हुवा।

**258** : या जिस में इस्लाम की अलामत व निशानी पाओ उस से हाथ रोकें और जब तक उस का कुफ़ साबित न हो जाए उस पर हाथ न डालो। अबू दावूद व तिरमिज़ी की हदीस में है : सय्यिदे आलम **صلی اللہ علیہ وسلم** जब कोई लश्कर रवाना फ़रमाते हुक्म देते कि अगर तुम मस्जिद देखो या अज़ान सुनो तो कत्ल न करना। **मस्अला** : अक्सर फुक़हा ने फ़रमाया कि अगर यहूदी या नसरानी यह कहे कि मैं मोमिन हूँ तो उस को मोमिन न माना जाएगा क्यूं कि वोह अपने अक़ीदे ही को ईमान कहता है और अगर "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ" कहे जब भी उस के मुसलमान होने का हुक्म न किया जाएगा जब तक कि वोह अपने दीन से बेज़ारी का इज़हार और उस के बातिल होने का ए'तिराफ न करे। इस से मा'लूम हुवा कि जो शख्स किसी कुफ़ में मुब्तला हो उस के लिये उस कुफ़ से बेज़ारी और उस को कुफ़ जानना जरूरी है। **259** : या'नी जब तुम इस्लाम में दाख़िल हुए थे तो तुम्हारी ज़बान से कलिमए शहादत सुन कर तुम्हारे जानो माल महफूज़ कर दिये गए थे और तुम्हारा इज़हार बे ए'तिबार न क़ार दिया गया था, ऐसा ही इस्लाम में दाख़िल होने वालों के साथ तुम्हें भी सुलूक करना चाहिये। **शाने नुज़ूल** : यह आयत



إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٩٣﴾ لَا يَسْتَوِي الْقَعْدُونَ وَمَنْ

बेशक **अल्लाह** को तुम्हारे कामों की खबर है बराबर नहीं वोह मुसलमान कि

السُّومِنِينَ غَيْرِ أُولِي الضَّرَبِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ

वे उज़्र जिहाद से बैठ रहें और वोह कि राहे खुदा में अपने मालों और जानों

وَأَنْفُسِهِمْ ۖ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَعْدِينَ

से जिहाद करते हैं<sup>262</sup> **अल्लाह** ने अपने मालों और जानों के साथ जिहाद वालों का दरजा बैठने वालों

دَرَجَةً ۗ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۗ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى

से बड़ा किया<sup>263</sup> और **अल्लाह** ने सब से भलाई का वा'दा फ़रमाया<sup>264</sup> और **अल्लाह** ने जिहाद वालों को<sup>265</sup> बैठने वालों पर

الْقَعْدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۙ ﴿٩٥﴾ دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۗ وَكَانَ

बड़े सवाब से फ़ज़ीलत दी है उस की तरफ़ से दरजे और बख़्शिश और रहमत<sup>266</sup> और

اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۙ ﴿٩٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ ظَالِمًا لِّنَفْسِهِمْ

**अल्लाह** बख़्शने वाला मेहरबान है वोह लोग जिन की जान फ़िरिश्ते निकालते हैं इस हाल में कि वोह अपने ऊपर जुल्म करते थे

قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ ۖ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۗ قَالُوا أَلَمْ

उन से फ़िरिश्ते कहते हैं तुम काहे में थे कहते हैं हम ज़मीन में कमज़ोर थे<sup>267</sup> कहते हैं क्या

मिरदास बिन नहीक के हक़ में नाज़िल हुई जो अहले फ़िदक में से थे और इन के सिवा इन की कौम का कोई शख्स इस्लाम न लाया था, उस कौम को खबर मिली कि लश्करे इस्लाम उन की तरफ़ आ रहा है तो कौम के सब लोग भाग गए मगर मिरदास ठहरे रहे, जब उन्होंने ने दूर से लश्कर को देखा तो ब ई खयाल कि मबादा (ऐसा न हो कि) कोई ग़ैर मुस्लिम जमाअत हो येह पहाड़ की चोटी पर अपनी बकरियां ले कर चढ़ गए, जब लश्कर आया और इन्होंने ने अल्लाहु अक्बर के ना'रों की आवाजें सुनीं तो खुद भी तकबीर पढ़ते हुए उतर आए और कहने लगे "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" मुसलमानों ने खयाल किया कि अहले फ़िदक तो सब काफ़िर हैं येह शख्स मुग़ालता देने के लिये इन्हारे ईमान करता है, ब ई खयाल उसामा बिन ज़ैद ने इन को क़त्ल कर दिया और बकरियां ले आए, जब सय्यिदे आलम **عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ** के हुज़ूर में हाज़िर हुए तो तमाम माजरा अर्ज़ किया, हुज़ूर को निहायत रन्ज हुवा और फ़रमाया : तुम ने उस के सामान के सबब उस को क़त्ल कर दिया, इस पर येह आयत नाज़िल हुई और रसूलुल्लाह **عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ** ने उसामा को हुक्म दिया कि मक्तूल की बकरियां उस के अहल को वापस करें। 260 : कि तुम को इस्लाम पर इस्तिक्ामत बख़्शी और तुम्हारा मोमिन होना मशहूर किया। 261 : ताकि तुम्हारे हाथ से कोई ईमानदार क़त्ल न हो। 262 : इस आयत में जिहाद की तरगीब है कि बैठ रहने वाले और जिहाद करने वाले बराबर नहीं हैं, मुजाहिदीन के लिये बड़े दरजात व सवाब हैं और येह मस्अला भी साबित होता है कि जो लोग बीमारी या पीरी व ना ताक़ती या नाबीनाई या हाथ पाउं के नाकारा होने और उज़्र की वजह से जिहाद में हाज़िर न हों वोह फ़ज़ीलत से महरूम न किये जाएंगे अगर निय्यते सालेह् रखते हों। हदीसे बुख़ारी में है : सय्यिदे आलम **عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ** ने ग़ज्वए तबूक से वापसी के वक्त फ़रमाया : कुछ लोग मदीने में रह गए हैं, हम किसी घाटी या आबादी में नहीं चलते मगर वोह हमारे साथ होते हैं, उन्हें उज़्र ने रोक लिया है। 263 : जो उज़्र की वजह से जिहाद में हाज़िर न हो सके अगर्चे वोह निय्यत का सवाब पाएंगे लेकिन जिहाद करने वालों को अमल की फ़ज़ीलत इस से ज़ियादा हासिल है। 264 : जिहाद करने वाले हों या उज़्र से रह जाने वाले। 265 : बिग़ैर उज़्र के 266 : हदीस शरीफ़ में है **अल्लाह** तआला ने मुजाहिदीन के लिये जन्नत में सो दरजे मुहय्या फ़रमाए, हर दो दरजों में इतना फ़ासिला है जैसे आस्मान व ज़मीन में। 267 शाने नुज़ूल : येह आयत उन लोगों के हक़ में नाज़िल हुई जिन्होंने ने कलिमए

تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتَهَا جِرْ وَأَفِيهَا ط فَأُولَئِكَ مَا وَلَّهُمْ جَهَنَّمَ ط

अल्लाह की ज़मीन कुशादा न थी कि तुम उस में हिजरत करते तो ऐसों का ठिकाना जहन्म है

وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۙ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

और बहुत बुरी जगह पलटने की<sup>268</sup> मगर वोह जो दबा लिये गए मर्द और औरतें

وَالْوِلْدَانَ لَيْسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ۙ فَأُولَئِكَ

और बच्चे जिन्हें न कोई तदबीर बन पड़े<sup>269</sup> न रास्ता जानें तो

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ ط وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا غَفُورًا ۙ وَمَنْ

क़रीब है कि अल्लाह ऐसों को मुआफ़ फ़रमाए<sup>270</sup> और अल्लाह मुआफ़ फ़रमाने वाला बख़्शने वाला है और जो

يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعًا كَثِيرًا وَسِعَةً ط

अल्लाह की राह में घरबार छोड़ कर निकलेगा वोह ज़मीन में बहुत जगह और गुन्जाइश पाएगा

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ

और जो अपने घर से निकला<sup>271</sup> अल्लाह व रसूल की तरफ़ हिजरत करता फिर उसे मौत

الْبُوتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ط وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۙ وَ

ने आ लिया तो उस का सवाब अल्लाह के ज़िम्मे पर हो गया<sup>272</sup> और अल्लाह बख़्शने वाला मेहरबान है और

इस्लाम तो ज़बान से अदा किया मगर जिस ज़माने में हिजरत फर्ज़ थी उस वक़्त हिजरत न की और जब मुशिरकीन जंगे बद्र में मुसल्मानों के मुक़ाबले के लिये गए तो येह लोग उन के साथ हुए और कुफ़्फ़ार के साथ ही मारे भी गए उन के हक़ में येह आयत नाज़िल हुई और बताया गया कि कुफ़्फ़ार के साथ होना और फर्ज़ हिजरत तर्क करना अपनी जान पर जुल्म करना है। **268 मस्अला** : येह आयत दलालत करती है कि जो शख्स किसी शहर में अपने दीन पर काइम न रह सकता हो और येह जाने कि दूसरी जगह जाने से अपने फ़राइजे दीनी अदा कर सकेगा उस पर हिजरत वाजिब हो जाती है। हदीस में है : जो शख्स अपने दीन की हिफ़ाज़त के लिये एक जगह से दूसरी जगह मुन्तकिल हो अगर्चे एक बालिशत ही क्यूं न हो उस के लिये जन्नत वाजिब हुई और उस को हज़रते इब्राहीम और सय्यिदे आलम عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ की रफ़ाक़त मुयस्सर होगी। **269** : ज़मीने कुफ़्र से निकलने और हिजरत करने की। **270** : कि वोह करीम है और करीम जो उम्मीद दिलाता है पूरी करता है और यकीनन मुआफ़ फ़रमाएगा। **271 शाने नुज़ूल** : इस से पहली आयत जब नाज़िल हुई तो जुन्दअ बिन ज़म्तुल्लैसी ने इस को सुना येह बहुत बूढ़े शख्स थे, कहने लगे कि मैं मुस्तस्ना लोगों में तो हूँ नहीं क्यूं कि मेरे पास इतना माल है कि जिस से मदीने तय्यिबा हिजरत कर के पहुंच सकता हूँ, खुदा की क़सम ! मक़ए मुकर्रमा में अब एक रात न ठहरूंगा मुझे ले चलो। चुनान्वे, उन को चारपाई पर ले कर चले, मक़ामे तर्दूम में आ कर उन का इन्तिक़ाल हो गया, आख़िर वक़्त उन्होंने ने अपना दाहना हाथ बाएं हाथ पर रखा और कहा : या रब ! येह तेरा और येह तेरे रसूल का, मैं उस पर बैअत करता हूँ जिस पर तेरे रसूल ने बैअत की, येह खबर पा कर सहाबए किराम ने फ़रमाया : काश ! वोह मदीने पहुंचते तो उन का अज़्र कितना बड़ा होता और मुशिरक हंसे और कहने लगे कि जिस मतलब के लिये निकले थे वोह न मिला, इस पर येह आयते करीमा नाज़िल हुई। **272** : उस के वा'दे और उस के फ़ज़लो करम से, क्यूं कि ब त्रीके इस्तिहकाक़ कोई चीज़ उस पर वाजिब नहीं, उस की शान इस से आली है। **मस्अला** : जो कोई नेकी का इरादा करे और उस को पूरा करने से आज़िज़ हो जाए वोह उस ताअत का सवाब पाएगा। **मस्अला** : तलबे इल्म, जिहाद, हज़, ज़ियारत, ताअत, ज़ोहदो क़नाअत और रिज़्के हलाल की तलब के लिये तर्के वतन करना

إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ

जब तुम ज़मीन में सफ़र करो तो तुम पर गुनाह नहीं कि बा'ज नमाज़ें क़स्

الصَّلَاةِ ۗ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا

से पढ़े<sup>273</sup> अगर तुम्हें अन्देशा हो कि काफ़िर तुम्हें ईजा देंगे<sup>274</sup> बेशक कुफ़्फ़ार

لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۗ وَإِذَا كُنْتُمْ فِيهِمْ فَأَقْبِتْ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ

तुम्हारे खुले दुश्मन हैं और ऐ महबूब जब तुम उन में तशरीफ़ फ़रमा हो<sup>275</sup> फिर नमाज़ में उन की इमामत करो<sup>276</sup> तो चाहिये कि

طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلِيَأْخُذُوا بِأَسْلِحَتِهِمْ ۗ فَاذْأَسْجِدُوا فَلْيَكُونُوا

उन में एक जमाअत तुम्हारे साथ हो<sup>277</sup> और वोह अपने हथियार लिये रहे<sup>278</sup> फिर जब वोह सज्दा कर लें<sup>279</sup> तो हट कर

مِنْ وَرَائِكُمْ ۗ وَلَتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ

तुम से पीछे हो जाए<sup>280</sup> और अब दूसरी जमाअत आए जो उस वक़्त नमाज़ में शरीक न थी<sup>281</sup> अब वोह तुम्हारे मुक़्तदी हों

खुदा व रसूल की तरफ़ हिजरत है, इस राह में मर जाने वाला अज़्र पाएगा। 273 : या'नी चार रक्अत वाली दो रक्अत। 274 मस्अला : ख़ौफ़ कुफ़्फ़ार क़स् के लिये शर्त नहीं। हदीस : या'ला बिन उमय्या ने हज़रते उमर رضي الله عنه से कहा कि हम तो अमन में हैं, फिर हम क्यूं क़स् करते हैं? फ़रमाया : इस का मुझे भी तअज़्जुब हुवा था तो मैं ने सय्यिदे आलम صلّى الله عليه وسلّم से दरयाफ़्त किया : हज़ूर ने फ़रमाया : कि तुम्हारे लिये येह **اَللّٰهُ** की तरफ़ से सदका है तुम उस का सदका कबूल करो, इस से येह मस्अला मा'लूम होता है कि सफ़र में चार रक्अत वाली नमाज़ को पूरा पढ़ना जाइज़ नहीं है, क्यूं कि जो चीज़ें काबिले तम्लीक नहीं हैं उन का सदका इस्काते महज़ है, रद का एहतिमाल नहीं रखता, आयत के नुज़ूल के वक़्त सफ़र अन्देशे से ख़ाली न होते थे इस लिये आयत में इस का ज़िक्र बयाने हाल है शर्त क़स् नहीं। हज़रते अब्दुल्लाह बिन उमर की क़िराअत भी इस की दलील है जिस में "أَنْ يُفْتِنَكُمْ" बिगैर "إِنْ خِفْتُمْ" के है, सहाबा का भी येही अमल था कि अमन के सफ़रों में भी क़स् फ़रमाते, जैसा कि ऊपर की हदीस से साबित होता है और अहादीस से भी येह साबित है और पूरी चार पढ़ने में **اَللّٰهُ** तआला के सदके का रद करना लाज़िम आता है लिहाज़ा क़स् ज़रूरी है। मुद्दते सफ़र :— मस्अला : जिस सफ़र में क़स् किया जाता है उस की अदना मुद्दत तीन रात दिन की मसाफ़त है जो ऊंट या पैदल की मुतवस्सित रफ़्तार से तै की जाती हो और इस की मिक्दारें ख़ुशकी और दरिया और पहाड़ों में मुख़ालिफ़ हो जाती हैं, जो मसाफ़त मुतवस्सित रफ़्तार से चलने वाले तीन रोज़ में तै करते हों उस के सफ़र में क़स् होगा। मस्अला : मुसाफ़िर की जल्दी और देर का ए'तिबार नहीं ख़्वाह वोह तीन रोज़ की मसाफ़त तीन घन्टे में तै करे जब भी क़स् होगा और अगर एक रोज़ की मसाफ़त तीन रोज़ से ज़ियादा में तै करे तो क़स् न होगा, गरज़ ए'तिबार मसाफ़त का है। 275 : या'नी अपने अस्हाब में 276 : इस में बा जमाअत नमाज़े ख़ौफ़ का बयान है। शाने नुज़ूल : जिहाद में जब रसूले करीम صلّى الله عليه وسلّم को मुशिरकीन ने देखा कि आप ने मअ़ तमाम अस्हाब के नमाज़े जोहर ब जमाअत अदा फ़रमाई तो उन्हें अफ़सोस हुवा कि उन्होंने ने इस वक़्त में क्यूं न हम्ला किया और आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि क्या ही अच्छा मौक़अ था, बा'जों ने उन में से कहा : इस के बा'द एक और नमाज़ है जो मुसल्मानों को अपने मां बाप से ज़ियादा प्यारी है या'नी नमाज़े अ़स्। जब मुसल्मान उस नमाज़ के लिये खड़े हों तो पूरी कुव्वत से हम्ला कर के उन्हें क़त्ल कर दो, उस वक़्त हज़रते ज़िब्रील नाज़िल हुए और उन्होंने ने सय्यिदे आलम صلّى الله عليه وسلّم से अर्ज़ किया : या रसूलल्लाह ! येह नमाज़े ख़ौफ़ है और **اَللّٰهُ** फ़रमाता है : الْآيَةُ "وَإِذَا حُكِّتَ فِيهِمْ" 277 : या'नी हाज़िरीन को दो जमाअतों में तक्सीम कर दिया जाए, एक उन में से आप के साथ रहे आप उन्हें नमाज़ पढ़ाएं और एक जमाअत दुश्मन के मुकाबले में काइम रहे। 278 : या'नी जो लोग दुश्मन के मुकाबिल हों, और हज़रते इब्ने अब्बास رضي الله عنهما से मरवी है कि अगर जमाअत के नमाज़ी मुराद हों तो वोह लोग ऐसे हथियार लगाए रहें जिन से नमाज़ में कोई ख़लल न हो जैसे तलवार ख़न्जर वगैरा। बा'ज मुफ़स्सिरन का क़ौल है कि हथियार साथ रखने का हुक्म दोनों फ़रीक़ों के लिये है और येह एहतियात के क़रीब है। 279 : या'नी दोनों सज्दे कर के रक्अत पूरी कर लें। 280 : ताकि दुश्मन के मुकाबले में खड़े हो सकें। 281 : और अब तक दुश्मन के मुकाबिल थी।

وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّالِّينَ كَفَرُوا وَالْوَتَّعِفُونَ

और चाहिये कि अपनी पनाह और अपने हथियार लिये रहें<sup>282</sup> काफ़ि़रों की तमन्ना है कि कहीं तुम अपने

عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَبِيلُونَكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ط

हथियारों और अपने अस्बाब से गाफ़िल हो जाओ तो एक दफ़आ तुम पर झुक पड़ें<sup>283</sup>

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى

और तुम पर मुजायका नहीं अगर तुम्हें मीह (बारिश) के सबब तकलीफ़ हो या बीमार हो

أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ

कि अपने हथियार खोल रखो और अपनी पनाह लिये रहो<sup>284</sup> बेशक अल्लाह ने काफ़ि़रों के लिये ख़वारी (ज़िल्लत)

عَذَابًا مُهِينًا ١٠٢ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا

का अज़ाब तय्यार कर रखा है फिर जब तुम नमाज़ पढ़ चुको तो अल्लाह की याद करो खड़े और बैठे

وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ

और करवटों पर लैटे<sup>285</sup> फिर जब मुत्मइन हो जाओ तो हस्बे दस्तूर नमाज़ काइम करो बेशक नमाज़

**282** : पनाह से ज़िरह वगैरा ऐसी चीज़ें मुराद हैं जिन से दुश्मन के हम्ले से बचा जा सके, इन का साथ रखना बहर हाल वाजिब है, जैसा कि क़रीब ही इशाद होगा "وَحُذْرًا حِذْرًا" और हथियार साथ रखना मुस्तहब है। नमाज़े ख़ौफ़ का मुख़सर त़रीका यह है कि पहली जमाअत इमाम के साथ एक रकअत पूरी कर के दुश्मन के मुक़ाबिल जाए और दूसरी जमाअत जो दुश्मन के मुक़ाबिल खड़ी थी वोह आ कर इमाम के साथ दूसरी रकअत पढ़े फिर फ़क़त इमाम सलाम फेरे और पहली जमाअत आ कर दूसरी रकअत बिगैर क़िराअत के पढ़े और सलाम फेर दे और दुश्मन के मुक़ाबिल चली जाए फिर दूसरी जमाअत अपनी जगह आ कर एक रकअत जो बाकी रही थी उस को क़िराअत के साथ पूरा कर के सलाम फेरे क्यूं कि यह लोग मस्बूक हैं और पहले लाहिक़। हज़रते इब्ने मस्ऊद رضي الله عنه से सय्यदे आलम صلی الله علیه وسلم का इसी तरह नमाज़े ख़ौफ़ अदा फ़रमाना मरवी है। हज़ूर के बा'द भी नमाज़े ख़ौफ़ सहाबा पढ़ते रहे हैं। हालते ख़ौफ़ में दुश्मन के मुक़ाबिल इस एहतियाम के साथ नमाज़ अदा करने से मा'लूम होता है कि जमाअत किस क़दर ज़रूरी है। मसाइल : हालते सफ़र में अगर सूरते ख़ौफ़ पेश आए तो इस का येह बयान हुवा लेकिन अगर मुक़ीम को ऐसी हालत पेश आए तो वोह चार रकअत वाली नमाज़ों में हर हर जमाअत को दो दो रकअत पढ़ाए और तीन रकअत वाली नमाज़ में पहली जमाअत को दो रकअत और दूसरी को एक। **283** शाने नुज़ूल : नबिय्ये करीम صلی الله علیه وسلم ग़ज्वए जातुरिकाअ से जब फ़ारिग़ हुए और दुश्मन के बहुत आदमियों को गिरिफ़तार किया और अम्वाले गनीमत हाथ आए और कोई दुश्मन मुक़ाबिल बाकी न रहा तो हज़ूर صلی الله علیه وسلم क़ज़ाए हाज़त के लिये जंगल में तन्हा तशरीफ़ ले गए तो दुश्मन की जमाअत में से गुवैरिस बिन हर्स मुहारिबी येह खबर पा कर तलवार लिये हुए छुपा छुपा पहाड़ से उतरा और अचानक हज़रत के पास पहुंचा और तलवार खींच कर कहने लगा : या मुहम्मद ! صلی الله علیه وسلم अब तुम्हें मुझ से कौन बचाएगा ? हज़ूर ने फ़रमाया : **अल्लाह** तआला, और दुआ फ़रमाई, जब ही उस ने हज़ूर पर तलवार चलाने का इरादा किया औंधे मुंह गिर पड़ा और तलवार हाथ से छूट गई। हज़ूर ने वोह तलवार ले कर फ़रमाया कि तुझ को मुझ से कौन बचाएगा ? कहने लगा : मेरा बचाने वाला कोई नहीं है। फ़रमाया : "أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ" पढ़ तो तेरी तलवार तुझे दे दूंगा, उस ने इस से इन्कार किया और कहा कि इस की शहादत देता हूँ कि मैं कभी आप से न लडूंगा और ज़िन्दगी भर आप के किसी दुश्मन की मदद न करूंगा, आप ने उस की तलवार उस को दे दी, कहने लगा : या मुहम्मद ! صلی الله علیه وسلم आप मुझ से बहुत बेहतर हैं। फ़रमाया : हां हमारे लिये येही सज़ावार है, इस पर येह आयत नाज़िल हुई और हथियार और बचाव साथ रखने का हुक्म दिया गया (मयी) **284** : कि इस का साथ रखना हमेशा ज़रूरी है। शाने नुज़ूल : इब्ने अब्बास رضي الله عنهما ने फ़रमाया कि अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ज़ख़ी थे और उस वक़्त हथियार रखना उन के लिये बहुत तकलीफ़ और बार था, उन के हक़ में येह आयत नाज़िल हुई और हालते उज़्र में हथियार खोल रखने की इजाज़त दी गई। **285** : या'नी ज़िक्रे इलाही की हर हाल में

كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ۝ وَلَا تَهْنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ط

मुसलमानों पर वक्त बांधा हुआ फर्ज है<sup>286</sup> और काफ़िरों की तलाश में सुस्ती न करो

إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ

अगर तुम्हें दुख पहुंचता है तो उन्हें भी दुख पहुंचता है जैसा तुम्हें पहुंचता है और तुम **अल्लाह** से

اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ط وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْكَ

वोह उम्मीद रखते हो जो वोह नहीं रखते और **अल्लाह** जानने वाला हिकमत वाला है<sup>287</sup> ऐ महबूब बेशक हम ने तुम्हारी तरफ़

الْكِتَابِ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أُرْسِكَ اللَّهُ ط وَلَا تَكُنْ

सच्ची किताब उतारी कि तुम लोगों में फैसला करो<sup>288</sup> जिस तरह तुम्हें **अल्लाह** दिखाए<sup>289</sup> और दगा वालों

لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ۝ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

की तरफ़ से न झगड़ो और **अल्लाह** से मुआफ़ी चाहो बेशक **अल्लाह** बख़्शने वाला

رَّحِيمًا ۝ وَلَا تَجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ ط إِنَّ اللَّهَ

मेहरबान है और उन की तरफ़ से न झगड़ो जो अपनी जानों को ख़ियानत में डालते हैं<sup>290</sup> बेशक **अल्लाह**

मुदावमत करो और किसी हाल में **अल्लाह** के ज़िक्र से गाफ़िल न रहो। हज़रते इब्ने अब्बास رضي الله عنهما ने फरमाया : **अल्लाह** तआला ने हर फ़र्ज की एक हद मुअय्यन फ़रमाई सिवाए ज़िक्र के, इस की कोई हद न रखी। फ़रमाया : ज़िक्र करो खड़े, बैठे, करवटों पर लैटे, रात में हो या दिन में, खुशकी हो या तरी में, सफ़र में और हज़र में, गुना में और फ़क्द में, तन्दुरुस्ती और बीमारी में, पोशीदा और ज़ाहिर। **मस्अला** : इस से नमाज़ों के बा'द बिगैर फ़स्ल के कलिमाए तौहीद पढ़ने पर इस्तिदलाल किया जा सकता है जैसा कि मशाइख़ की आदत है और अहादीसे सहीहा से साबित है। **मस्अला** : ज़िक्र में तस्बीह, तहमीद, तहलील, तक्बीर, सना, दुआ सब दाख़िल हैं। **286** : तो लाज़िम है कि इस के अवकात की रिआयत की जाए। **287** शाने नुज़ूल : उहुद की जंग से जब अबू सुफ़्यान और उन के साथी वापस हुए तो रसूले करीम صلی الله علیه وسلم ने जो सहाबा उहुद में हाज़िर हुए थे उन्हें मुशिरकीन के तआकुब में जाने का हुक्म दिया। अस्हाब ज़ख़्मी थे उन्होंने अपने ज़ख़्मों की शिकायत की, इस पर ये आयेत करीमा नाज़िल हुई। **288** शाने नुज़ूल : अन्सार के कबीले बनी ज़फ़र के एक शख्स तु'मह बिन उबैरिक् ने अपने हमसाए क़तादा बिन नो'मान की ज़िरह चुरा कर आटे की बोरी में ज़ैद बिन समीन यहूदी के यहां छुपाई, जब ज़िरह की तलाश हुई और तु'मह पर शुबा किया गया तो वोह इन्कार कर गया और क़सम खा गया। बोरी फ़टी हुई थी और आटा उस में से गिरता जाता था, उस के निशान से लोग यहूदी के मकान तक पहुंचे और बोरी वहां पाई गई, यहूदी ने कहा कि तु'मह उस के पास रख गया है और यहूद की एक जमाअत ने इस की गवाही दी और तु'मह की क़ौम बनी ज़फ़र ने येह अज़म कर लिया कि यहूदी को चोर बताएंगे और इस पर क़सम खा लेंगे ताकि क़ौम रुस्वा न हो और उन की ख़्वाहिश थी कि रसूले करीम صلی الله علیه وسلم तु'मह को बरी कर दें और यहूदी को सज़ा दें, इसी लिये उन्होंने ने हुज़ूर के सामने तु'मह के मुवाफ़िक़ और यहूदी के ख़िलाफ़ झूटी गवाही दी और इस गवाही पर कोई ज़ह्व व क़दह न हुई, इस वाक़िए के मुतअल्लिक़ येह आयत नाज़िल हुई। (इस वाक़िए के मुतअल्लिक़ मुतअहद रिवायात आई हैं और उन में बाहम इख़्तलाफ़ात भी हैं)

**289** : और इल्म अता फ़रमाए। इल्मे यकीनी को कुव्वते जुहूर की वजह से रूयत से ता'बीर फ़रमाया। हज़रते उमर رضي الله عنه से मरवी है कि हरगिज़ कोई न कहे जो **अल्लाह** ने मुझे दिखाया उस पर मैं न फैसला किया, क्यूं कि **अल्लाह** तआला ने येह मन्सब ख़ास अपने नबी صلی الله علیه وسلم को अता फ़रमाया, आप की राय हमेशा सवाब होती है क्यूं कि **अल्लाह** तआला ने ह़काइक़ व ह्वादिसे आप के पेशे नज़र कर दिये हैं और दूसरे लोगों की राय ज़न का मर्तबा रखती है। **290** : मा'सियत का इरतिकाब कर के।

لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿١٠٤﴾ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا

नहीं चाहता किसी बड़े दगाबाज गुनहगर को आदमियों से छुपते हैं और **अल्लाह**

يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ

से नहीं छुपते<sup>291</sup> और **अल्लाह** उन के पास है<sup>292</sup> जब दिल में वोह बात तज्वीज करते हैं जो **अल्लाह**

الْقَوْلُ ۖ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿١٠٥﴾ هَآنَتُمْ هَآءِ جَدَلْتُمْ

को ना पसन्द है<sup>293</sup> और **अल्लाह** उन के कामों को घेरे हुए है सुनते हो येह जो तुम हो<sup>294</sup>

عَنَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ فَمَنْ يُجَادِلِ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ

दुन्या की ज़िन्दगी में तो उन की तरफ़ से झगड़े तो उन की तरफ़ से कौन झगड़ेगा **अल्लाह** से क़ियामत के दिन या कौन

يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكَيْلًا ﴿١٠٦﴾ وَمَنْ يَعْصِلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ

उन का वकील होगा और जो कोई बुराई या अपनी जान पर जुल्म करे फिर

يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ يَجِدِ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٠٧﴾ وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا

**अल्लाह** से बख़्शिश चाहे तो **अल्लाह** को बख़्शने वाला मेहरबान पाएगा और जो गुनाह कमाए तो

يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٠٨﴾ وَمَنْ يَكْسِبْ

उस की कमाई उसी की जान पर पड़े और **अल्लाह** इल्मो हिकमत वाला है<sup>295</sup> और जो कोई

خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا

ख़ता या गुनाह कमाए<sup>296</sup> फिर उसे किसी बे गुनाह पर थोप दे उस ने ज़रूर बोहतान और खुला गुनाह

مُبِينًا ﴿١٠٩﴾ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ

उठाया और ऐ महबूब अगर **अल्लाह** का फ़ज़लो रहमत तुम पर न होता<sup>297</sup> तो उन में के कुछ लोग येह चाहते

أَنْ يُضْلُوكَ ۖ وَمَا يُضْلُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَصُرُونَكَ مِنْ شَيْءٍ ۖ

कि तुम्हें धोका दे दें और वोह अपने ही आप को बहका रहे हैं<sup>298</sup> और तुम्हारा कुछ न बिगाड़ेंगे<sup>299</sup>

291 : हया नहीं करते 292 : उन का हाल जानता है उस पर उन का कोई राज़ छुप नहीं सकता 293 : जैसे तु'मह की तरफ़दारी में झूटी कसम और झूटी शहादत । 294 : ऐ कौमे तु'मह ! 295 : किसी को दूसरे के गुनाह पर अज़ाब नहीं फ़रमाता । 296 : सगीरा या कबीरा 297 : तुम्हें नबी व मा'सूम कर के और राज़ों पर मुत्तलअ़ फ़रमा के 298 : क्यूं कि इस का वबाल उन्हीं पर है 299 : क्यूं कि **अल्लाह** ने आप को हमेशा के लिये मा'सूम किया है ।

وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۗ

और **अल्लाह** ने तुम पर किताब<sup>300</sup> और हिक्मत उतारी और तुम्हें सिखा दिया जो कुछ तुम न जानते थे<sup>301</sup>

وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١١٣﴾ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُّجُوهُمْ إِلَّا

और **अल्लाह** का तुम पर बड़ा फ़ज़ल है<sup>302</sup> उन के अक्सर मश्वरों में कुछ भलाई नहीं<sup>303</sup> मगर

مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ

जो हुक्म दे खैरात या अच्छी बात या लोगों में सुल्ह करने का और जो **अल्लाह** की रिज़ा

ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾ وَمَنْ

चाहने को ऐसा करे उसे अन्करीब हम बड़ा सवाब देंगे और जो

يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ

रसूल का खिलाफ़ करे बा'द इस के कि हक़ रास्ता उस पर खुल चुका और मुसलमानों की राह से

الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِمْ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾ إِنَّ

जुदा राह चले हम उसे उस के हाल पर छोड़ देंगे और उसे दोज़ख़ में दाख़िल करेंगे और क्या ही बुरी जगह पलटने की<sup>304</sup>

اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ

**अल्लाह** इसे नहीं बख़्शता कि उस का कोई शरीक ठहराया जाए और इस से नीचे जो कुछ है जिसे चाहे मुआफ़ फ़रमा देता है<sup>305</sup>

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا بَعِيدًا ﴿١١٦﴾ إِنَّ يَدْعُونَ مِنْ

और जो **अल्लाह** का शरीक ठहराए वोह दूर की गुमराही में पड़ा यह शिर्क वाले **अल्लाह** के

**300** : या'नी कुरआने करीम **301** : उमूरे दीन व अहकामे शरअ व इलूम गैब । **मसअला** : इस आयत से साबित हुवा कि **अल्लाह** तआला ने अपने हबीब صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ को तमाम काएनात के उलूम अता फ़रमाए और किताबो हिक्मत के असरारो हकाइक़ पर मुत्तलअ किया । येह मस्अला कुरआने करीम की बहुत आयत और अहादीसे कसीरा से साबित है । **302** : कि तुम्हें इन ने'मतों के साथ मुमतानज़ किया । **303** : येह सब लोगों के हक़ में आम है । **304** : येह आयत दलील है इस की, कि इज्माअ हुज्जत है इस की मुख़ालफ़त जाइज़ नहीं जैसे कि किताब व सुन्नत की मुख़ालफ़त जाइज़ नहीं । (साक) और इस से साबित हुवा कि तरीक़े मुस्लिमीन ही सिराते मुस्तक़ीम है । हदीस शरीफ़ में वारिद हुवा कि जमाअत पर **अल्लाह** का हाथ है । एक और हदीस में है कि सवादे आ'ज़म या'नी बड़ी जमाअत का इतिबाअ करो जो जमाअते मुस्लिमीन से जुदा हुवा वोह दोज़ख़ी है । इस से वाजेह है कि हक़ मज़हबे अहले सुन्नत व जमाअत है । **305** शाने नुज़ूल : हज़ुरते इब्ने अब्बास رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا की ख़िदमत में हाज़िर हो कर अर्ज़ किया : या **नबिय्यल्लाह** ! मैं बूढ़ा हूँ, गुनाहों में ग़र्क़ हूँ, बजुज़ इस के कि जब से मैं ने **अल्लाह** को पहचाना और उस पर ईमान लाया उस वक़्त से कभी मैं ने उस के साथ शिर्क न किया और उस के सिवा किसी और को वली न बनाया और जुरअत के साथ गुनाहों में मुब्तला न हुवा और एक पल भी मैं ने येह गुमान न किया कि मैं **अल्लाह** से भाग सकता हूँ । शरमिन्दा हूँ, ताइब हूँ, मरिफ़त चाहता हूँ, **अल्लाह** के यहाँ मेरा क्या हाल होगा, इस पर येह आयत नाज़िल हुई, येह आयत नस्से सरीह है इस पर कि शिर्क से बख़्शा न जाएगा अगर मुशिरक अपने शिर्क पर मरे, क्यूं कि येह साबित हो चुका है कि मुशिरक जो अपने शिर्क से तौबा करे और ईमान लाए तो उस की तौबा व ईमान मक्बूल है ।

دُونَهُ إِلَّا ابْتِغَاءً وَان يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا ﴿١١٦﴾ لَعَنَهُ اللَّهُ م

सिवा नहीं पूजते मगर कुछ औरतों को<sup>306</sup> और नहीं पूजते मगर सरकश शैतान को<sup>307</sup> जिस पर **अल्लाह** ने ला'नत की

وَقَالَ لَا تَخْذَنْ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿١١٨﴾ وَلَا ضَلَمَهُمْ

और बोला<sup>308</sup> कसम है मैं ज़रूर तेरे बन्दों में से कुछ ठहराया हुआ हिस्सा लूंगा<sup>309</sup> कसम है मैं ज़रूर उन्हें बहका दूंगा

وَلَا مُبِينَهُمْ وَلَا مَرْتَبَهُمْ فَلْيَبْتِكِنِ أذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْتَبَهُمْ

और ज़रूर उन्हें आरजूएं दिलाऊंगा<sup>310</sup> और ज़रूर उन्हें कहूंगा कि वोह चौपायों के कान चीरेगा<sup>311</sup> और ज़रूर उन्हें कहूंगा

فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ ط وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ

कि वोह **अल्लाह** की पैदा की हुई चीज़ बदल देंगे<sup>312</sup> और जो **अल्लाह** को छोड़ कर शैतान को दोस्त बनाए

فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ﴿١١٩﴾ يَعِدُهُمْ وَيُمَبِّئُهُمْ ط وَمَا يَعِدُهُمْ

वोह सरीह टोटे (खुले नुक्सान) में पड़ा शैतान उन्हें वा'दे देता है और आरजूएं दिलाता है<sup>313</sup> और शैतान उन्हें

الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢٠﴾ أُولَئِكَ مَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا

वा'दे नहीं देता मगर फ़रेब के<sup>314</sup> उन का ठिकाना दोख है और उस से बचने की

مَحِيصًا ﴿١٢١﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سُدَّ خَلْمُ جَنَّتِ تَجْرِي

जगह न पाएंगे और जो ईमान लाए और अच्छे काम किये कुछ देर जाती है कि हम उन्हें बागों में ले जाएंगे

مِنْ تَحْتِهَا إِلَّا نَهْرٌ خَلِيلٌ يَنْ فِيهَا أَبَدًا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ

जिन के नीचे नहरें बहें हमेशा हमेशा उन में रहें **अल्लाह** का सच्चा वा'दा और

**306** : या'नी मुअन्नस बुतों को जैसे लात, उज़्ज़ा, मनात वगैरा, ये सब मुअन्नस हैं और अरब के हर कबीले का बुत था जिस की वोह इबादत करते थे और उस को उस कबीले की उन्सा (औरत) कहते थे, हज़ुरते आइशा **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا** की किराअत में **رَبِّ أَرْوَاحٍ** और हज़ुरते इब्ने अब्बास **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا** की किराअत में **رَبِّ أَرْوَاحٍ** आया है, इस से भी साबित होता है कि **أَرْوَاحٍ** से मुराद बुत हैं। एक कौल ये भी है कि मुशिरकीने अरब अपने बातिल मा'बूदों को खुदा की बेटियां कहते थे और एक कौल ये है कि मुशिरकीने बुतों को जेवर वगैरा पहना कर औरतों की तरह सजाते थे **307** : क्यूं कि उसी के इरावा (बहकाने) से बुत परस्ती करते हैं **308** : शैतान **309** : उन्हें अपना मुतीअ बनाऊंगा **310** : तरह तरह की, कभी उम्रे तवील की, कभी लज़्ज़ाते दुन्या की, कभी ख़्वाहिशाते बातिला की, कभी और कभी और **311** : चुनाचे उन्हों ने ऐसा किया कि ऊंटनी जब पांच मरतबा बियाह लेती तो वोह उस को छोड़ देते और उस से नफ़ उठाना अपने ऊपर हारम कर लेते और उस का दूध बुतों के लिये कर लेते और उस को बहीरा कहते थे, शैतान ने उन के दिल में ये डाल दिया था कि ऐसा करना इबादत है। **312** : मर्दों का औरतों की शक़्त में ज़नाना लिबास पहनना, औरतों की तरह बातचीत और हरकात करना, जिस्म को गोद कर सुरमा या सिन्दूर (सुखं रंग का एक पाउडर जिसे हिन्दू औरतें मांग में लगाती हैं) वगैरा जिल्द में पैवस्त कर के नक्शो निगार बनाना, बालों में बाल जोड़ कर बड़ी बड़ी जटें बनाना भी इस में दाख़िल है। **313** : और दिल में तरह तरह की उम्मीदें और वस्वसे डालता है ताकि इन्सान गुमराही में पड़े **314** : कि जिस चीज़ के नफ़ और फ़ाएदे की तक्क़ोअ दिलाता है दर हक़ीक़त उस में सख़्त ज़र और नुक्सान होता है।



أَصْدَقَ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ۝۱۳۲ لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ ط

अल्लाह से ज़ियादा किस की बात सच्ची काम न कुछ तुम्हारे खयालों पर है<sup>315</sup> और न किताब वालों की हवस पर<sup>316</sup>

مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزِ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا

जो बुराई करेगा<sup>317</sup> उस का बदला पाएगा और अल्लाह के सिवा न कोई अपना हिमायती पाएगा न

نَصِيرًا ۝۱۳۳ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْشَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ

मददगार<sup>318</sup> और जो कुछ भले काम करेगा मर्द हो या औरत और हो मुसलमान<sup>319</sup>

فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ۝۱۳۴ وَمَنْ أَحْسَنُ

तो वोह जन्नत में दाखिल किये जाएंगे और उन्हें तिल भर नुकसान न दिया जाएगा और उस से बेहतर

دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مَلَّةَ إِبْرَاهِيمَ

किस का दीन जिस ने अपना मुंह अल्लाह के लिये झुका दिया<sup>320</sup> और वोह नेकी वाला है और इब्राहीम के दीन पर चला<sup>321</sup>

حَنِيفًا ۝۱۳۵ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ۝۱۳۶ وَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ

जो हर बातिल से जुदा था और अल्लाह ने इब्राहीम को अपना गहरा दोस्त बनाया<sup>322</sup> और अल्लाह ही का है जो कुछ आस्मानों में है

وَمَا فِي الْأَرْضِ ۝۱۳۷ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا ۝۱۳۸ وَيَسْتَفْتُونَكَ

और जो कुछ ज़मीन में और हर चीज़ पर अल्लाह का काबू है<sup>323</sup> और तुम से औरतों के बारे

فِي النِّسَاءِ ۝۱۳۹ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ۝۱۴۰ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ

में फ़तवा पूछते हैं<sup>324</sup> तुम फ़रमा दो कि अल्लाह तुम्हें उन का फ़तवा देता है और वोह जो तुम पर कुरआन में पढ़ा जाता है

315 : जो तुम ने सोच रखा है कि बुत तुम्हें नफ़अ पहुंचाएंगे। 316 : जो कहते कि हम अल्लाह के बेटे और उस के प्यारे हैं, हमें आग चन्द रोज़ से ज़ियादा न जलाएगी, यहूदो नसारा का येह खयाल भी मुशिरकीन की तरह बातिल है। 317 : ख़्वाह मुशिरकीन में से हो या यहूदो नसारा में से 318 : येह वईद कुफ़्फ़ार के लिये है 319 मस्अला : इस में इशारा है कि आ'माल दाखिले ईमान नहीं। 320 : या'नी इताअत व इख़्लास इख़्तियार किया 321 : जो मिल्लते इस्लाम के मुवाफ़िक है। हज़रते इब्राहीम की शरीअत व मिल्लत सय्यिदे अम्बिया صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ की मिल्लत में दाखिल है और खुसूसिय्याते दीने मुहम्मदी कि इस के इलावा हैं, दीने मुहम्मदी का इत्तिबाअ करने से शरअ व मिल्लते इब्राहीम عَلَيْهِ السَّلَام का इत्तिबाअ हासिल होता है, चूँकि अरब और यहूदो नसारा सब हज़रते इब्राहीम عَلَيْهِ السَّلَام से इन्तिसाब (निस्वत रखने) पर फ़ख़र करते थे और आप की शरीअत इन सब को मकबूल थी और शरए मुहम्मदी इस पर हावी है तो इन सब को दीने मुहम्मदी में दाखिल होना और इस को कबूल करना लाज़िम है। 322 : खुल्लत सफ़ए मुवद्दत (सच्ची महब्बत) और गैर से इन्किताअ को कहते हैं, हज़रते इब्राहीम عَلَيْهِ السَّلَام यह औसाफ़ रखते थे, इस लिये आप को ख़लील कहा गया, एक कौल येह भी है कि ख़लील उस मुहिब को कहते हैं जिस की महब्बत कामिला हो और उस में किसी किस्म का ख़लल और नुक़सान न हो, येह मा'ना भी हज़रते इब्राहीम عَلَيْهِ السَّلَام में पाए जाते हैं। तमाम अम्बिया के जो कमालात हैं सब सय्यिदे अम्बिया صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ को हासिल हैं। हुज़ूर अल्लाह के ख़लील भी हैं जैसा कि बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में है। और हबीब भी जैसा कि तिरमिज़ी शरीफ़ की हदीस में है कि मैं अल्लाह का हबीब हूँ और येह फ़ख़र नहीं कहता। 323 : और वोह उस के इहातए इल्मो कुदरत में है। इहाता बिल इल्म येह है कि किसी शे के लिये जितने वुजूह हो सकते हैं उन में से कोई वच्ह इल्म से ख़ारिज न हो। 324 : शाने नुज़ूल : ज़मानए जाहिलियत में अरब के लोग औरत और छोटे बच्चों को मय्यित के माल का

فِي يَتَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُؤْتُونَ هُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ

उन यतीम लड़कियों के बारे में कि तुम उन्हें नहीं देते जो उन का मुकर्रर है<sup>325</sup> और उन्हें निकाह में भी

تَتَّكِحُونَهُنَّ وَالسُّتْضَعْفَيْنِ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى

लाने से मुंह फेरते हो और कमजोर<sup>326</sup> बच्चों के बारे में और यह कि यतीमों के हक में

بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿١٢٥﴾ وَإِنْ

इन्साफ़ पर काइम रहो<sup>327</sup> और तुम जो भलाई करो तो **اللَّهُ** को उस की खबर है और अगर

امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ

कोई औरत अपने शोहर की ज़ियादती या बे रग्वती का अन्देशा करे<sup>328</sup> तो उन पर गुनाह नहीं कि

يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صِدْقًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ط

आपस में सुल्ह कर ले<sup>329</sup> और सुल्ह खूब है<sup>330</sup> और दिल लालच के फन्दे में हैं<sup>331</sup>

وَإِنْ تَحْسَبُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٦﴾ وَلَنْ

और अगर तुम नेकी और परहेज गारी करो<sup>332</sup> तो **اللَّهُ** को तुम्हारे कामों की खबर है<sup>333</sup> और तुम से

تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَبِيلُوا أَكْلًا

हरगिज़ न हो सकेगा कि औरतों को बराबर रखो चाहे कितनी ही हिर्स करो<sup>334</sup> तो यह तो न हो कि एक तरफ़ पूरा

वारिस नहीं करार देते थे, जब आयते मीरास नाज़िल हुई तो उन्होंने ने अर्ज़ किया : **يا رسولل्लाह!** क्या औरत और छोटे बच्चे वारिस होंगे ?

आप ने उन को इस आयत से ज़वाब दिया। हज़रते आइशा **رضي الله عنها** ने फ़रमाया कि यतीमों के औलिया का दस्तूर यह था कि अगर यतीम

लड़की साहिबे मालो जमाल होती तो उस से थोड़े महर पर निकाह कर लेते और अगर हुस्नो माल न रखती तो उसे छोड़ देते और अगर हुस्ने

सूरत न रखती और होती मालदार तो उस से निकाह न करते और इस अन्देशे से दूसरे के निकाह में भी न देते कि वोह माल में हिस्सेदार हो

जाएगा। **اللَّهُ** तअलाला ने यह आयतें नाज़िल फ़रमा कर उन्हें इन आदतों से मन्ज़ फ़रमाया। 325 : मीरास से 326 : यतीम 327 : उन

के पूरे हुक्क उन को दो। 328 : ज़ियादती तो इस तरह कि उस से अलाहदा रहे, खाने पहनने को न दे या कमी करे या मारे या बद ज़बानी

करे और ए'राज़ यह कि महबबत न रखे, बोलचाल तर्क कर दे या कम कर दे। 329 : और इस सुल्ह के लिये अपने हुक्क का बार कम करने

पर राजी हो जाएं। 330 : और ज़ियादती और जुदाई दोनों से बेहतर है। 331 : हर एक अपनी राहतो आसाइश चाहता और अपने ऊपर कुछ

मशक्कत गवारा कर के दूसरे की आसाइश को तरजीह नहीं देता। 332 : और बा वुजूद ना मरगूब होने के अपनी मौजूदा औरतों पर सब्र करो

और ब रिआयते हक्के सोहबत उन के साथ अच्छा बरताव करो और उन्हें ईजा व रन्ज देने से और ज़गड़ा पैदा करने वाली बातों से बचते रहो

और सोहबतो मुआशरत में नेक सुलूक करो और यह जानते रहो कि वोह तुम्हारे पास अमानतें हैं 333 : वोह तुम्हें तुम्हारे आ'माल की जज़ा

देगा। 334 : या'नी अगर कई बीबियां हों तो यह तुम्हारी मक्दरत (ताक़त) में नहीं कि हर अम्र में तुम उन्हें बराबर रखो और किसी अम्र में

किसी को किसी पर तरजीह न होने दो न मैलो महबबत में न ख़्वाहिशो रग़बत में न इशरतो इख़िलात में न नज़रो तवज्जोह में, तुम कोशिश कर

के येह तो कर नहीं सकते, लेकिन अगर इतना तुम्हारे मक्दूर में नहीं है और इस वजह से इन तमाम पाबन्दियों का बार तुम पर नहीं रखा गया

और महबबते क़ल्बी और मैले तर्ब्द जो तुम्हारा इख़्तियारी नहीं है इस में बराबरी करने का तुम्हें हुक्म नहीं दिया गया।

السَّيْلِ فَتَدَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۖ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ

झुक जाओ कि दूसरी को अधर (दरमियान) में लटकती छोड़ दो<sup>335</sup> और अगर तुम नेकी और परहेज गारी करो तो बेशक **اللَّهُ**

غَفُورًا رَحِيمًا ۝ ١٢٩ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَكَانَ

बख़्शने वाला मेहरबान है और अगर वोह दोनों<sup>336</sup> जुदा हो जाएं तो **اللَّهُ** अपनी कशाइश से तुम में हर एक को दूसरे से बे नियाज कर देगा<sup>337</sup> और

اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ۝ ١٣٠ وَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَلَقَدْ

**اللَّهُ** कशाइश वाला हिक्मत वाला है और **اللَّهُ** ही का है जो कुछ आस्मानों में है और जो कुछ ज़मीन में और बेशक

وَصَيِّنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنْ اَتَّقُوا اللّٰهَ ۖ

ताकीद फ़रमा दी है हम ने उन से जो तुम से पहले किताब दिये गए और तुम को कि **اللَّهُ** से डरते रहो<sup>338</sup>

وَ اِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ

और अगर कुफ़र करो तो बेशक **اللَّهُ** ही का है जो कुछ आस्मानों में है और जो कुछ ज़मीन में<sup>339</sup> और **اللَّهُ**

غَنِيًّا حَمِيْدًا ۝ ١٣١ وَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ

बे नियाज है<sup>340</sup> सब खूबियों वाला और **اللَّهُ** ही का है जो कुछ आस्मानों में है और जो कुछ ज़मीन में और **اللَّهُ** काफी है

وَ كَيْلًا ۝ ١٣٢ اِنْ يَّشَآءْ يُدْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَاْتِ بِآخَرِيْنَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ

कारसाज (काम बनाने वाला) ऐ लोगो वोह चाहे तो तुम्हें ले जाए<sup>341</sup> और औरों को ले आए और **اللَّهُ** को

عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيْرًا ۝ ١٣٣ مَنْ كَانَ يُّرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابٌ

इस की कुदरत है जो दुनिया का इन्आम चाहे तो **اللَّهُ** ही के पास दुनिया व आख़िरत

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ۝ ١٣٤ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا

दोनों का इन्आम है<sup>342</sup> और **اللَّهُ** सुनता देखता है ऐ ईमान वालो

**335** : बल्कि येह ज़रूर है कि जहां तक तुम्हें कुदरतो इख़्तियार है वहां तक यकसां बरताव करो, महब्वत इख़्तियारी शै नहीं तो बातचीत, हुस्ने अख़्लाक, खाने, पहनने, पास रखने और ऐसे उमूर में बराबरी करना इख़्तियारी है, इन उमूर में दोनों के साथ यकसां सुलूक करना लाज़िम व ज़रूरी है। **336** : जून व शो (मियां बीबी) बाहम सुल्ह न करें और वोह जुदाई ही बेहतर समझें और खुलअ के साथ तफ़रीक हो जाए, या मर्द औरत को तलाक़ दे कर उस का महर और इद्दत का नफ़का अदा कर दे और इस तरह वोह **337** : और हर एक को बेहतर बदल अत्ता फ़रमाएगा **338** : उस की फ़रमां बरदारी करो और उस के हुक्म के ख़िलाफ़ न करो, तौहीद व शरीअत पर काइम रहो। इस आयत से मा'लूम हुवा कि तक्वा और परहेज गारी का हुक्म क़दीम है, तमाम उम्मतों को इस की ताकीद होती रही है। **339** : तमाम जहान उस के फ़रमां बरदारों से भरा है, तुम्हारे कुफ़र से उस का क्या ज़रूर। **340** : तमाम ख़ल्क से और उन की इबादत से। **341** : मा'दूम कर दे **342** : मा'ना येह हैं कि जिस को अपने अमल से दुनिया मक़सूद हो और उस की मुराद इतनी है जो **اللَّهُ** उस को दे देता है और सवाबे आख़िरत से वोह महरूम रहता है और जिस ने अमल रिज़ाए इलाही और सवाबे आख़िरत के लिये किया तो **اللَّهُ** दुनिया व आख़िरत दोनों में सवाब देने वाला

كُونُوا قَوْمِينَ بِالْقِسْطِ شَهِدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوَالِدَيْنِ

इन्साफ़ पर खूब काइम हो जाओ **अल्लाह** के लिये गवाही देते चाहे इस में तुम्हारा अपना नुकसान हो या मां बाप का

وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا

या रिश्तेदारों का जिस पर गवाही दो वोह गनी हो या फ़कीर हो<sup>343</sup> बहर हाल **अल्लाह** को इस का सब से ज़ियादा इख्तियार है तो ख्वाहिश के पीछे

الهُوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانُ بِمَا

न जाओ कि हक़ से अलग पड़ो और अगर तुम हेर फेर करो<sup>344</sup> या मुंह फेरो<sup>345</sup> तो **अल्लाह** को तुम्हारे

تَعْمَلُونَ خَيْرًا ۝ (١٣٥) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

कामों की ख़बर है<sup>346</sup> ऐ ईमान वालो ईमान रखो **अल्लाह** और **अल्लाह** के रसूल पर<sup>347</sup>

وَالكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ

और उस किताब पर जो अपने इन रसूल पर उतारी और उस किताब पर जो पहले

قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

उतारी<sup>348</sup> और जो न माने **अल्लाह** और उस के फ़िरिश्तों और किताबों और रसूलों और क़ियामत को<sup>349</sup>

فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا بَعِيدًا ۝ (١٣٦) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ

तो वोह ज़रूर दूर की गुमराही में पड़ा बेशक वोह लोग जो ईमान लाए फिर काफ़िर हुए फिर ईमान लाए फिर

كَفَرُوا ثُمَّ آذَادُوا كُفْرًا ۚ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ

काफ़िर हुए फिर और कुफ़्र में बड़े<sup>350</sup> **अल्लाह** हरगिज़ न उन्हें बख़्शे<sup>351</sup> न उन्हें राह

है तो जो शख्स **अल्लाह** से फ़क़त दुन्या का तालिब हो वोह नादान ख़सीस और कम हिम्मत है । 343 : किसी की रिआयत व तरफ़ दारी

में इन्साफ़ से न हटो और कोई क़राबत व रिश्ता हक़ कहने में मुख़िल न होने पाए । 344 : हक़ के बयान में और जैसा चाहिये न क़हो 345 :

अदाए शहादत से 346 : जैसे अ़मल होंगे वैसा बदला देगा । 347 : या'नी ईमान पर साबित रहो, येह मा'ना इस सूरात में हैं कि

“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا” का ख़िताब मुसल्मानों से हो और अगर ख़िताब यहूदो नसारा से हो तो मा'ना येह हैं कि ऐ बा'ज़ किताबों बा'ज़ रसूलों

पर ईमान लाने वालो तुम्हें येह हुक्म है, और अगर ख़िताब मुनाफ़िक़ीन से हो तो मा'ना येह हैं कि ऐ ईमान का ज़ाहिरी दा'वा करने वालो

इख़्लास के साथ ईमान ले आओ, यहां रसूल से सथियेद अम्बिया **عَلَيْهِ السَّلَامُ** और किताब से कुरआने पाक मुराद है । शाने नुज़ूल : हज़रते

इब्ने अब्बास **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا** ने फ़रमाया : येह आयत अब्दुल्लाह बिन सलाम और असद व उसैद और सा'लबा बिन कैस और सलामा व सलमा व

यामीन के हक़ में नाज़िल हुई, येह लोग मोमिनीने अहले किताब में से थे, रसूले करीम **عَلَيْهِ السَّلَامُ** की ख़िदमते अक्दस में हाज़िर हुए और

अर्ज़ किया : हम आप पर और आप की किताब पर और हज़रते मूसा पर और तौरैत पर और उज़ैर पर ईमान लाते हैं और इस के सिवा बाक़ी

किताबों और रसूलों पर ईमान न लाएंगे । हज़ूर **عَلَيْهِ السَّلَامُ** ने उन से फ़रमाया कि तुम **अल्लाह** पर और उस के रसूल मुहम्मद मुस्तफ़ा

**عَلَيْهِ السَّلَامُ** पर और कुरआन पर और इस से पहली हर किताब पर ईमान लाओ, इस पर येह आयत नाज़िल हुई । 348 : या'नी कुरआने

पाक पर और उन तमाक़ किताबों पर ईमान लाओ जो **अल्लाह** तआला ने कुरआन से पहले अपने अम्बिया पर नाज़िल फ़रमाई । 349 : या'नी

इन में से किसी एक का भी इन्कार करे, कि एक रसूल और एक किताब का इन्कार भी सब का इन्कार है । 350 शाने नुज़ूल : हज़रते इब्ने

سَبِيلًا ۱۳۲ ﴿بَشِّرِ السُّفَقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ ۱۳۸ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ

दिखाए खुश ख़बरी दो मुनाफ़िकों को कि उन के लिये दर्दनाक अज़ाब है वोह जो मुसलमानों को

الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ أَيْبَتُونَ عِنْدَهُمْ

छोड़ कर काफ़िरों को दोस्त बनाते हैं<sup>352</sup> क्या उन के पास इज़्ज़त

الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۖ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ

ढूंडते हैं तो इज़्ज़त तो सारी **अल्लाह** के लिये है<sup>353</sup> और बेशक **अल्लाह** तुम पर किताब<sup>354</sup> में उतार चुका

أَنْ إِذَا سَأَلْتُمُ آيَاتِ اللَّهِ يَكْفُرْ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا

कि जब तुम **अल्लाह** की आयतों को सुनो कि उन का इन्कार किया जाता और उन की हंसी बनाई जाती है तो उन लोगों के साथ

مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۗ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ

न बैठो जब तक वोह और बात में मशगूल न हों<sup>355</sup> वरना तुम भी उन्हीं जैसे हो<sup>356</sup> बेशक **अल्लाह**

جَامِعُ السُّفَقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ۗ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ

काफ़िरों और मुनाफ़िकों सब को जहन्नम में इकठ्ठा करेगा वोह जो तुम्हारी हालत तका (देखा)

بِكُمْ ۗ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ ۗ وَ

करते हैं तो अगर **अल्लाह** की तरफ़ से तुम को फ़तह मिले कहें क्या हम तुम्हारे साथ न थे<sup>357</sup> और

إِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ ۗ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْكُمْ وَنَسْعَكُمْ

अगर काफ़िरों का हिस्सा हो तो उन से कहें क्या हमें तुम पर काबू न था<sup>358</sup> और हम ने तुम्हें

अब्बास رضي الله عنه ने फ़रमाया कि येह आयत यहूद के हक़ में नाज़िल हुई, जो हज़रते मूसा عليه السلام पर ईमान लाए फिर बछड़ा पूज कर काफ़िर हुए, फिर इस के बा'द ईमान लाए फिर हज़रते ईसा عليه السلام और इन्जील का इन्कार कर के काफ़िर हो गए, फिर सय्यिदे आलम صلّى الله عليه وسلّم और कुरआन का इन्कार कर के और कुफ़्र में बड़े। एक कौल येह है कि येह आयत मुनाफ़िकीन के हक़ में नाज़िल हुई, कि वोह ईमान लाए, फिर काफ़िर हो गए ईमान के बा'द, फिर ईमान लाए या'नी उन्हों ने अपने ईमान का इज़्हार किया ताकि उन पर मोमिनीन के अहकाम जारी हों, फिर कुफ़्र में बड़े या'नी कुफ़्र पर उन की मौत हुई। 351 : जब तक कुफ़्र पर रहें और कुफ़्र पर मरें क्यूं कि कुफ़्र बख़शा नहीं जाता, मगर जब कि काफ़िर तौबा करे और ईमान लाए जैसा कि फ़रमाया : "قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا بِمَا قَدْ سَلَفَ" (तुम काफ़िरों से फ़रमाओ अगर वोह बाज़ रहे तो जो हो गुज़रा वोह उन्हें मुआफ़ फ़रमा दिया जाएगा) 352 : येह मुनाफ़िकीन का हाल है जिन का खयाल था कि इस्लाम ग़ालिब न होगा और इस लिये वोह कुफ़्र को साहिबे कुव्वत और शौकत समझ कर उन से दोस्ती करते थे और उन से मिलने में इज़्ज़त जानते थे, बा वुजूदे कि कुफ़्र के साथ दोस्ती मन्मूअ और उन के मिलने से तलबे इज़्ज़त बातिल। 353 : और उस के लिये जिस को वोह इज़्ज़त दे जैसे कि अम्बिया व मोमिनीन। 354 : या'नी कुरआन 355 : कुफ़्र की हम नशीनी और उन की मजलिसों में शिकत करना ऐसे ही और बे दीनों और गुमराहों की मजलिसों की शिकत और उन के साथ याराना व मुसाहबत मन्मूअ फ़रमाई गई। 356 : इस से साबित हुवा कि कुफ़्र के साथ राज़ी होने वाला भी काफ़िर है। 357 : इस से उन की मुराद ग़नीमत में शिकत करना और हिस्सा चाहना है। 358 : कि हम तुम्हें क़त्ल करते गिरफ़्तार करते, मगर हम ने येह कुछ नहीं किया।

مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَنْ يَجْعَلَ

मुसलमानों से बचाया<sup>359</sup> तो **अल्लाह** तुम सब में<sup>360</sup> क़ियामत के दिन फ़ैसला कर देगा<sup>361</sup> और **अल्लाह** काफ़िरों को

اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۚ إِنَّ السُّفْقِينَ يُخْرِعُونَ

मुसलमानों पर कोई राह न देगा<sup>362</sup> बेशक मुनाफ़िक़ लोग अपने गुमान में **अल्लाह** को फ़रेब दिया चाहते

اللَّهُ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۚ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَىٰ يُرَآءُونَ

हैं<sup>363</sup> और वोही उन्हें गा़फ़िल कर के मारेगा और जब नमाज़ को खड़े हों<sup>364</sup> तो हारे जी से<sup>365</sup> लोगों का

النَّاسِ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ۚ مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ

दिखावा करते हैं और **अल्लाह** को याद नहीं करते मगर थोड़ा<sup>366</sup> बीच में उग मगा रहे हैं<sup>367</sup>

لَا إِلَىٰ هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَؤُلَاءِ ۗ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ

न इधर के न उधर के<sup>368</sup> और जिसे **अल्लाह** गुमराह करे तो उस के लिये कोई राह न

سَبِيلًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ

पाएगा ऐ ईमान वालो काफ़िरों को दोस्त न बनाओ

دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا

मुसलमानों के सिवा<sup>369</sup> क्या येह चाहते हो कि अपने ऊपर **अल्लाह** के लिये सरीह हुज्जत कर लो<sup>370</sup>

إِنَّ السُّفْقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۗ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ

बेशक मुनाफ़िक़ दोज़ख़ के सब से नीचे तबके में हैं<sup>371</sup> और तू हरगिज़ उन का कोई

**359** : और उन्हें तरह तरह के हीलों से रोका और उन के राजों पर तुम्हें मुत्तलअ किया तो अब हमारे इस सुलूक की कद्र करो और हिस्सा दो। (येह मुनाफ़िकों का हाल है) **360** : ऐ ईमानदारो और मुनाफ़िको! **361** : कि मोमिनीन को जन्नत अता करेगा और मुनाफ़िकों को दाखिले जहन्नम करेगा। **362** : या'नी काफ़िर न मुसलमानों को मिटा सकेगे न हुज्जत में गा़लिब आ सकेगे। उलमा ने इस आयत से चन्द मसाइल मुस्तम्बित किये हैं (1) काफ़िर मुसल्मान का वारिस नहीं। (2) काफ़िर मुसल्मान के माल पर इस्तीला पा कर मालिक नहीं हो सकता। (3) काफ़िर, मुसल्मान गुलाम के खरीदने का मजाज़ नहीं (4) जिम्मी के इवज़ मुसल्मान क़त्ल न किया जाएगा। (मेल) **363** : क्यूं कि हकीकत में तो **अल्लाह** को फ़रेब देना मुम्किन नहीं। **364** : मोमिनीन के साथ **365** : क्यूं कि ईमान तो है नहीं जिस से जौके ताअत और लुत्फे इबादत हासिल हो, महज़ रियाकारी है, इस लिये मुनाफ़िक़ को नमाज़ बार मा'लूम होती है। **366** : इस तरह कि मुसलमानों के पास हुए तो नमाज़ पढ़ ली और अलाहदा हुए तो नदारद (छोड़ दी)। **367** : कुफ़्र व ईमान के **368** : न ख़ालिस मोमिन न खुले काफ़िर। **369 : इस आयत में मुसलमानों को बताया गया कि कुफ़्र को दोस्त बनाना मुनाफ़िकीन की ख़स्त है, तुम इस से बचो। **370 : अपने निफ़ाक़ की और मुस्तहिके जहन्नम हो जाओ। **371 : मुनाफ़िक़ का अज़ाब काफ़िर से भी ज़ियादा है क्यूं कि वोह दुन्या में इज़्हारे इस्लाम कर के मुजाहिदीन के हाथों से बचा रहा है और कुफ़्र के बा वुजूद मुसलमानों को मुग़ालता देना और इस्लाम के साथ इस्तिहज़ा (मजाक़) करना इस का शेवा रहा है।******

نَصِيرًا ﴿١٣٥﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا

मददगार न पाएगा मगर वोह जिन्हों ने तौबा की<sup>372</sup> और संवरे (अपनी इस्लाह की) और अल्लाह की रस्सी मजबूत थामी और अपना दीन खालिस

دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ

अल्लाह के लिये कर लिया तो येह मुसलमानों के साथ है<sup>373</sup> और अन्करीब अल्लाह मुसलमानों को

أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٣٦﴾ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَدَائِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ ۖ

बड़ा सवाब देगा और अल्लाह तुम्हें अजाब दे कर क्या करेगा अगर तुम हक मानो और ईमान लाओ

وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿١٣٧﴾

और अल्लाह है सिला देने वाला जानने वाला

372 : निफ़ाक से 373 : दारैन में ।

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلِمَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ

अल्लाह पसन्द नहीं करता बुरी बात का ए'लान करना<sup>374</sup> मगर मज़लूम से<sup>375</sup> और अल्लाह

سَيِّعًا عَلِيمًا ﴿٣٨﴾ إِنَّ تَبْدُؤَ خَيْرًا أَوْ تَخْفُؤًا أَوْ تَعْفُؤًا عَنِ سُوءٍ فَإِنَّ

सुनता जानता है अगर तुम कोई भलाई अलानिया करो या छुप कर या किसी की बुराई से दर गुज़रो तो बेशक

اللَّهُ كَانَ عَفْوًا قَدِيرًا ﴿٣٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَ

अल्लाह मुआफ़ करने वाला कुदरत वाला है<sup>376</sup> वोह जो अल्लाह और उस के रसूलों को नहीं मानते और

يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ مِنْ بَعْضٍ وَ

चाहते हैं कि अल्लाह से उस के रसूलों को जुदा कर दें<sup>377</sup> और कहते हैं हम किसी पर ईमान लाए और

نَكْفُرُ مِنْ بَعْضٍ ۗ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿٤٠﴾ أُولَٰئِكَ

किसी के मुन्किर हुए<sup>378</sup> और चाहते हैं कि ईमान व कुफ़्र के बीच में कोई राह निकाल लें येही

هُمُ الْكٰفِرُونَ حَقًّا ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿٤١﴾ وَالَّذِينَ

हैं ठीक ठीक काफ़िर<sup>379</sup> और हम ने काफ़ि़रों के लिये ज़िल्लत का अज़ाब तय्यार कर रखा है और वोह जो

آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ

अल्लाह और उस के सब रसूलों पर ईमान लाए और उन में से किसी पर ईमान में फ़र्क़ न किया उन्हें अन्करीब

374 : या'नी किसी के पोशीदा हाल का ज़ाहिर करना। इस में गीबत भी आ गई चुगल खोरी भी। आकिल वोह है जो अपने ऐवों को देखे, एक कौल येह भी है कि बुरी बात से गाली मुराद है। 375 : कि उस को जाइज़ है कि ज़ालिम के जुल्म बयान करे, वोह चोर या गासिब की निस्बत कह सकता है कि इस ने मेरा माल चुराया, ग़्स्ब किया। शाने नुज़ूल : एक शख्स एक क़ौम का मेहमान हुवा था, उन्होंने ने अच्छी तरह उस की मेज़बानी न की, जब वोह वहां से निकला तो उन की शिकायत करता निकला। इस वाकिए के मुतअल्लिक येह आयत नाज़िल हुई, बा'ज् मुफ़स्सरीन ने फ़रमाया कि येह आयत हज़रते अबू बक्र सिद्दीक رضي الله عنه के बाब में नाज़िल हुई, एक शख्स सय्यिदे आलम صلى الله عليه وسلم के सामने आप (رضي الله تعالى عنه) की शान में ज़बान दराजी करता रहा, आप ने कई बार सुकूत किया मगर वोह बाज् न आया तो एक मरतबा आप ने उस को जवाब दिया, इस पर हज़ुरे अक़दस صلى الله عليه وسلم उठ खड़े हुए, हज़रत सिद्दीके अक्बर ने अज़्ज़ किया : या रसूलल्लाह صلى الله عليه وسلم येह शख्स मुज़्ज़ को बुरा कहता रहा तो हज़ुर ने कुछ न फ़रमाया मैं ने एक मरतबा जवाब दिया तो हज़ुर उठ गए, फ़रमाया : एक फ़िरिशता तुम्हारी तरफ़ से जवाब दे रहा था जब तुम ने जवाब दिया तो फ़िरिशता चला गया और शैतान आ गया। इस के मुतअल्लिक येह आयत नाज़िल हुई। 376 : तुम उस के बन्दों से दर गुज़र करो वोह तुम से दर गुज़र फ़रमाएगा। हदीस : तुम ज़मीन वालों पर रहम करो आस्मान वाला तुम पर रहम करेगा। 377 : इस तरह कि अल्लाह पर ईमान लाएं और उस के रसूलों पर न लाएं। 378 : शाने नुज़ूल : येह आयत यहूदो नसारा के हक़ में नाज़िल हुई, कि यहूद हज़रते मूसा عليه السلام पर ईमान लाए और हज़रते ईसा عليه السلام और सय्यिदे आलम صلى الله عليه وسلم के साथ उन्होंने ने कुफ़्र किया और नसारा हज़रते ईसा عليه السلام पर ईमान लाए और उन्होंने ने सय्यिदे आलम صلى الله عليه وسلم के साथ कुफ़्र किया। 379 : बा'ज् रसूलों पर ईमान लाना उन्हें कुफ़्र से नहीं बचाता क्यूं कि एक नबी का इन्कार भी तमाम अम्बिया के इन्कार के बराबर है।



يُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٥٢﴾ يَسْأَلُكَ أَهْلُ

अल्लाह उन के सवाब देगा<sup>380</sup> और अल्लाह बख़्शने वाला मेहरबान है<sup>381</sup> ऐ महबूब ! अहले किताब<sup>382</sup> तुम

الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ

से सुवाल करते हैं कि उन पर आस्मान से एक किताब उतार दो<sup>383</sup> तो वोह तो मूसा से इस से भी बड़ा

مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۗ ثُمَّ

सुवाल कर चुके<sup>384</sup> कि बोले हमें अल्लाह को अलानिया (ज़ाहिर कर के) दिखा दो तो उन्हें कड़कने आ लिया उन के गुनाहों पर फिर

اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ ۗ

बछड़ा ले बैठे<sup>385</sup> बा'द इस के कि रोशन आयते<sup>386</sup> उन के पास आ चुकीं तो हम ने येह मुआफ़ फ़रमा दिया<sup>387</sup>

وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴿١٥٣﴾ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِبَيْتِاقِهِمْ

और हम ने मूसा को रोशन ग़लबा दिया<sup>388</sup> फिर हम ने उन पर तूर को ऊंचा किया उन से अहद लेने को

وَ قُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ

और उन से फ़रमाया कि दरवाज़े में सज्दा करते दाख़िल हो और उन से फ़रमाया कि हफ़्ते में हद से न बढ़ो<sup>389</sup>

وَ أَخَذْنَا مِنْهُمُ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿١٥٤﴾ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ

और हम ने उन से गाढ़ा (पुख़्ता) अहद लिया<sup>390</sup> तो उन की कैसी बद अहदियों के सबब हम ने उन पर ला'नत की और इस लिये कि वोह

**380** : मुरतकिबे कबीरा भी इस में दाख़िल है क्यूं कि वोह अल्लाह और उस के सब रसूलों पर ईमान रखता है। "मो'तजिला" साहिबे कबीरा (कबीरा गुनाह करने वाले) के खुलूदे अज़ाब (हमेशा जहनम में रहने) का अज़ीदा रखते हैं। इस आयत से उन के इस अज़ीदे का बुतलान साबित हुवा। **381 मरअला** : येह आयत सिफ़ाते फ़े'लिया (जैसे कि मग़फ़रत व रहमत) के क़दीम होने पर दलालत करती है क्यूं कि हुदूस के काइल को कहना पड़ता है कि अल्लाह तआला अज़ल में ग़फ़ूर व रहीम नहीं था फिर हो गया (مَعَاذَ اللَّهِ)। उस के इस कौल को येह आयत बातिल करती है। **382** : बराहे सरकशी **383** : यक्वारगी। शाने नुज़ूल : यहूद में से का'ब बिन अशरफ़, फिन्हास बिन आजूरा ने सय्यिदे आलम वल्ले'सलाम से कहा कि अगर आप नबी हैं तो हमारे पास आस्मान से यक्वारगी किताब लाइये जैसा हज़रते मूसा ने सय्यिदे आलम वल्ले'सलाम तौरैत लाए थे। येह सुवाल उन का त़लबे हिदायत व इत्तिबाअ के लिये न था बल्कि सरकशी व बगावत से था, इस पर येह आयत नाज़िल हुई। **384** : या'नी येह सुवाल उन का कमाले जहल (इन्तिहाई जहालत के सबब) से है और इस क़िस्म की जहालतों में उन के बाप दादा भी गिरिफ़्तार थे। अगर सुवाल त़लबे रुशद (हिदायत त़लब करने) के लिये होता तो पूरा कर दिया जाता मगर वोह तो किसी हाल में ईमान लाने वाले न थे। **385** : उस को पूजने लगे **386** : तौरैत और हज़रते मूसा عَلَيْهِ السَّلَام के मो'जिज़ात जो अल्लाह तआला की वहदानिय्यत और हज़रते मूसा عَلَيْهِ السَّلَام के सिद्क पर वाजेहुदलालह (वाजेह दलील) थे और बा वुजूदे कि तौरैत हम ने यक्वारगी ही नाज़िल की थी लेकिन "خَوْفٌ بِدَارِ بَيْتَانِهِ بِسَيَارٍ" (बद ख़स्तल के लिये बहाने बहुत) बजाए इत्ताअत करने के उन्होंने खुदा के देखने का सुवाल किया। **387** : जब उन्होंने तौबा की। इस में हुज़ूर के ज़माने के यहूदियों के लिये तक्कोअ है कि वोह भी तौबा करें तो अल्लाह उन्हें भी अपने फ़ज़ल से मुआफ़ फ़रमाए। **388** : ऐसा तसल्लुत अत्ता फ़रमाया कि जब आप ने बनी इसराईल को तौबा के लिये खुद उन के अपने क़त्ल का हुक़्म दिया वोह इन्कार न कर सके और उन्होंने न इत्ताअत की। **389** : या'नी मछली का शिकार वगैरा जो अमल इस रोज़ तुम्हारे लिये हलाल नहीं, न करो। सूरए बकर में इन तमाम अहक़ाम की तफ़सीलें गुज़र चुकीं। **390** : कि जो उन्हें हुक़्म दिया गया है वोह करें और जिस की मुमानअत की गई है उस से बाज़ रहें, फिर उन्होंने ने इस अहद को तोड़ा।

بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمْ إِلَّا نُبِيَّاءَ بَغَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبَنَا غُلْفٌ ۖ بَلْ

आयाते इलाही के मुन्किर हुए<sup>391</sup> और अम्बिया को नाहक़ शहीद करते<sup>392</sup> और उन के इस कहने पर कि हमारे दिलों पर गिलाफ़ हैं<sup>393</sup> बल्कि

طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ (155) وَبِكُفْرِهِمْ

अल्लाह ने उन के कुफ़्र के सबब उन के दिलों पर मोहर लगा दी है तो ईमान नहीं लाते मगर थोड़े और इस लिये कि उन्होंने ने कुफ़्र किया<sup>394</sup>

وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ۝ (156) وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا السَّيِّحَ

और मरयम पर बड़ा बोहतान उठाया (बांधा) और उन के इस कहने पर कि हम ने मसीह

عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ

ईसा बिन मरयम अल्लाह के रसूल को शहीद किया<sup>395</sup> और है यह कि उन्होंने ने न उसे क़त्ल किया न उसे सूली दी बल्कि उन के लिये उस की शबीह (शक़्लो सूरत) का

لَهُمْ ۖ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ۖ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ

एक बना दिया गया<sup>396</sup> और वोह जो उस के बारे में इख़लाफ़ कर रहे हैं ज़रूर उस की तरफ़ से शुबّه में पड़े हुए हैं<sup>397</sup> उन्हें उस की कुछ भी ख़बर नहीं<sup>398</sup>

إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ۝ (157) بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ۖ وَكَانَ

मगर येही गुमान की पैरवी<sup>399</sup> और बेशक़ उन्होंने ने उस को क़त्ल न किया<sup>400</sup> बल्कि अल्लाह ने उसे अपनी तरफ़ उठा लिया<sup>401</sup> और

اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝ (158) وَإِنْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ

अल्लाह ग़ालिब हिक़मत वाला है कोई किताबी ऐसा नहीं जो उस की मौत से पहले

قَبْلَ مَوْتِهِ ۚ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ۝ (159) فَبُطِّمِ مَنْ

उस पर ईमान न लाए<sup>402</sup> और क़ियामत के दिन वोह उन पर गवाह होगा<sup>403</sup> तो यहूदियों के बड़े

391 : जो अम्बिया के सिद्क़ पर दलालत करते थे, जैसे कि हज़रते मूसा عَلَيْهِ السَّلَام के मो'जिज़ात। 392 : अम्बिया का क़त्ल करना तो नाहक़ है ही, किसी तरह हक़ हो ही नहीं सकता, लेकिन यहां मक्बूद यह है कि उन के जो'म में भी उन्हें इस का कोई इस्तिहक़ाक़ (हक़ हासिल) न था। 393 : लिहाज़ा कोई पन्द (नसीहत) व वा'ज़ कारगर नहीं हो सकता। 394 : हज़रते ईसा عَلَيْهِ السَّلَام के साथ भी। 395 : यहूद ने दा'वा किया कि उन्होंने ने हज़रते ईसा عَلَيْهِ السَّلَام को क़त्ल कर दिया और नसारा ने इस की तस्दीक़ की थी, अल्लाह तआला ने इन दोनों की तक्ज़ीब फ़रमा दी। 396 : जिस को उन्होंने ने क़त्ल किया और ख़याल करते रहे कि येह हज़रते ईसा हैं, बा वुजूदे कि उन का येह ख़याल ग़लत़ था। 397 : और यकीनी नहीं कह सकते कि वोह मक्तूल कौन है। बा'जे कहते हैं कि येह मक्तूल ईसा हैं, बा'ज कहते हैं कि येह चेहरा तो ईसा का है और जिस्म ईसा का नहीं, लिहाज़ा येह वोह नहीं। इसी तरहुद (शशो पन्ज) में हैं। 398 : जो हक़ीक़ते हाल है। 399 : और अटकलें दौड़ाना। 400 : उन का दा'वाए क़त्ल झूटा है। 401 : सहीहो सालिम ब सूए आस्मान (आस्मान की तरफ़)। अह्दाविस में इस की तफ़सीलें वारिद हैं, सूए आले इमरान में इस वाक़िए का ज़िक़ गुज़र चुका है। 402 : इस आयत की तफ़सीर में चन्द कौल हैं : एक कौल येह है कि यहूदो नसारा को अपनी मौत के वक़्त जब अज़ाब के फ़िरिशते नज़र आते हैं तो वोह हज़रते ईसा عَلَيْهِ السَّلَام पर ईमान ले आते हैं जिन के साथ उन्होंने ने कुफ़्र किया था और उस वक़्त का ईमान मक्बूल व मो'तबर नहीं। दूसरा कौल येह है कि करीबे क़ियामत जब हज़रते ईसा عَلَيْهِ السَّلَام आस्मान से नुज़ूल फ़रमाएंगे उस वक़्त के तमाम अहेले किताब उन पर ईमान ले आएंगे, उस वक़्त हज़रते ईसा عَلَيْهِ السَّلَام शरीअते मुहम्मदियह के मुताबिक़ हुक़म करेंगे, और इसी दीन के अइम्मा में से एक इमाम की हैसियत में होंगे और नसारा ने इन की निस्वत

الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ

जुलम के<sup>404</sup> सबब हम ने वोह बा'ज सुथरी चीजें कि उन के लिये हलाल थीं<sup>405</sup> उन पर हराम फरमा दीं और इस लिये कि उन्होंने ने बहुते

سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۝١٢٠ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ

(बहुत से लोगों) को **अल्लाह** की राह से रोका और इस लिये कि वोह सूद लेते हालां कि वोह इस से मन्अ किये गए थे और लोगों का

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝١٢١

माल नाहक खा जाते<sup>406</sup> और उन में जो काफिर हुए हम ने उन के लिये दर्दनाक अज़ाब तय्यार कर रखा है

لَكِنَّ الرُّسُخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ

हां जो उन में इल्म में पक्के<sup>407</sup> और ईमान वाले हैं वोह ईमान लाते हैं उस पर जो ऐ महबूब तुम्हारी

إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ

तरफ उतरा और जो तुम से पहले उतरा<sup>408</sup> और नमाज काइम रखने वाले और जकात

الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا

देने वाले और **अल्लाह** और कियामत पर ईमान लाने वाले ऐसों को अन्करीब हम बड़ा सवाब

عَظِيمًا ۝١٢٢ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ

देंगे बेशक ऐ महबूब हम ने तुम्हारी तरफ वहुय भेजी जैसे वहुय नूह और उस के बा'द पैगम्बरों को

بَعْدِهِ ۖ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ

भेजी<sup>409</sup> और हम ने इब्राहीम और इस्माईल और इस्हाक और या'कूब और इन के बेटों

जो गुमान बांध रखे हैं उन का इब्राल (रद) फरमाएंगे, दीने मुहम्मदी की इशाअत करेंगे, उस वक्त यहूदो नसारा को या तो इस्लाम कबूल करना होगा या कत्ल कर डाले जाएंगे। जिज्या कबूल करने का हुक्म हज़रते ईसा **عَلَيْهِ السَّلَام** के नुजूल करने के वक्त तक है। तीसरा क़ौल यह है कि आयत के मा'ना यह हैं कि हर किताबी अपनी मौत से पहले सय्यिदे आलम **عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** पर ईमान ले आएगा। चौथा क़ौल यह है कि

**अल्लाह** तआला पर ईमान ले आएगा लेकिन वक्ते मौत का ईमान मकबूल नहीं, नाफ़ेअ न होगा। 403 : या'नी हज़रते ईसा **عَلَيْهِ السَّلَام** यहूद पर तो यह गवाही देंगे कि उन्होंने ने आप की तक्वीब की और आप के हक में जबाने ता'न दराज की और नसारा पर यह कि उन्होंने ने आप को रब ठहराया और खुदा का शरीक गर्दाना और अहले किताब में से जो लोग ईमान ले आए उन के ईमान की भी आप शहादत देंगे। 404 :

नक्जे अहद (वा'दा खिलाफ़ी) वगैरा जिन का ऊपर आयत में जिक्र हो चुका। 405 : जिन का सूरए अन्आम की आयतह "وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا" में बयान है। 406 : रिश्वत वगैरा हराम तरीकों से। 407 : मिस्तल हज़रते अब्दुल्लाह बिन सलाम और इन के अस्हाब के, जो इल्मे रासिख (जबर दस्त इल्म) और अक्ते साफ़ी (या'नी शूको शुबुहात से पाक अक्ल) और बसीरते कामिला रखते थे। उन्होंने ने अपने इल्म से दीने इस्लाम की हकीकत को जाना और सय्यिदे अम्बिया **عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** पर ईमान लाए। 408 : पहले अम्बिया पर। 409 : शाने नुजूल : यहूदो नसारा ने सय्यिदे आलम **عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** से जो यह सुवाल किया था कि उन के लिये आस्मान से येकवारगी किताब नाज़िल की जाए तो वोह आप की नुबुव्वत पर ईमान लाएं, इस पर यह आयते करीमा नाज़िल हुई और उन पर हुज्जत काइम की गई कि हज़रते मूसा **عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام**

وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ ۚ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۗ

और ईसा और अय्यूब और यूनस और हारून और सुलैमान को वह्य की और हम ने दावूद को ज़बूर अता फ़रमाई

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۖ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ

और रसूलों को जिन का ज़िक्र आगे हम तुम से फ़रमा चुके<sup>410</sup> और उन को जिन का ज़िक्र तुम से

عَلَيْكَ ۗ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ۗ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ

न फ़रमाया<sup>411</sup> और **अल्लाह** ने मूसा से हकीकतन कलाम फ़रमाया<sup>412</sup> रसूल खुश ख़बरी देते<sup>413</sup> और डर सुनाते<sup>414</sup>

لِيَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا

कि रसूलों के बा'द **अल्लाह** के यहां लोगों को कोई उज़्र न रहे<sup>415</sup> और **अल्लाह** ग़ालिब

حَكِيمًا ۗ لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ ۗ وَ

हिक्मत वाला है लेकिन ऐ महबूब **अल्लाह** इस का गवाह है जो उस ने तुम्हारी तरफ़ उतारा वोह उस ने अपने इल्म से उतारा है और

الْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۗ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ

फ़िरिशते गवाह हैं और **अल्लाह** की गवाही काफी वोह जिन्हों ने कुफ़्र किया<sup>416</sup> और

صَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلًّا بَعِيدًا ۗ إِنَّ الَّذِينَ

**अल्लाह** की राह से रोका<sup>417</sup> बेशक वोह दूर की गुमराही में पड़े बेशक जिन्हों

के सिवा ब कसरत अम्बिया हैं जिन में से ग्यारह के अस्माए शरीफ़ा यहां आयत में बयान फ़रमाए गए हैं, अहले किताब इन सब की नुबुव्वत को मानते हैं, इन सब हज़रत में से किसी पर यक्वारगी किताब नाज़िल न हुई तो जब इस वजह से इन की नुबुव्वत तस्लीम करने में अहले किताब को कुछ पसो पेश न हुवा तो सय्यिदे आलम **عَلَيْهِ السَّلَام** की नुबुव्वत तस्लीम करने में क्या उज़्र है और मक़सूद रसूलों के भेजने से ख़ल्क की हिदायत और इन को **अल्लाह** तअ़ाला की तौहीद व मा'रिफ़त का दर्स देना और ईमान की तक्मील और तरीके इबादत की ता'लीम है, किताब के मुतफ़रि़क़ तौर पर नाज़िल होने से येह मक़सद बर वज्हे अतम हासिल होता है कि थोड़ा थोड़ा ब आसानी दिल नशीन होता चला जाता है। इस हिक्मत को न समझना और ए'तिराज़ करना कमाले हमाक़त (इन्तिहाई बे बुक़ूफी) है। 410 : कुरआन शरीफ़ में नाम बनाम फ़रमा चुके हैं। 411 : और अब तक उन के अस्मा की तफ़सील कुरआने पाक में ज़िक्र नहीं फ़रमाई गई। 412 : तो जिस तरह हज़रते मूसा **عَلَيْهِ السَّلَام** से बे वासिता कलाम फ़रमाना दूसरे अम्बिया **عَلَيْهِمُ السَّلَام** की नुबुव्वत में कादेह (ऐब लगाने वाला) नहीं जिन से इस तरह कलाम नहीं फ़रमाया गया, ऐसे ही हज़रते मूसा **عَلَيْهِ السَّلَام** पर किताब का यक्वारगी नाज़िल होना दूसरे अम्बिया की नुबुव्वत में कुछ भी कादेह नहीं हो सकता। 413 : सवाब की ईमान लाने वालों को 414 : अज़ाब का कुफ़्र करने वालों को 415 : और येह कहने का मौक़अ न हो कि अगर हमारे पास रसूल आते तो हम ज़रूर उन का हुक्म मानते और **अल्लाह** के मुतीओ फ़रमां बरदार होते। इस आयत से येह मस्अला मा'लूम होता है कि **अल्लाह** तअ़ाला रसूलों की बि'सत से कब्ल ख़ल्क पर अज़ाब नहीं फ़रमाता जैसा दूसरी जगह इर्शाद फ़रमाया : "وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا" (और हम अज़ाब करने वाले नहीं जब तक रसूल न भेज लें)। और येह मस्अला भी साबित होता है कि मा'रिफ़ते इलाही बयाने शरअ व ज़बाने अम्बिया ही से हासिल होती है अक्ले महज़ (सिफ़ अक्ल) से इस मन्ज़िल तक पहुंचना मुयस्सर नहीं होता। 416 : सय्यिदे आलम **عَلَيْهِ السَّلَام** की नुबुव्वत का इन्कार कर के। 417 : हुज़ूर **عَلَيْهِ السَّلَام** की ना'त व सिफ़त छुपा कर और लोगों के दिलों में शुबा डाल कर (येह हाल यहूद का है।)

كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِلَّا

ने कुफ़्र किया<sup>418</sup> और हृद से बदे<sup>419</sup> अल्लाह हरगिज़ उन्हें न बख़्शेगा<sup>420</sup> न उन्हें कोई राह दिखाए मगर

طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۝

जहन्नम का रास्ता कि उस में हमेशा हमेशा रहेंगे और यह अल्लाह को आसान है

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَامِنُوا خَيْرًا

ऐ लोगो तुम्हारे पास यह रसूल<sup>421</sup> हक़ के साथ तुम्हारे रब की तरफ़ से तशरीफ़ लाए तो ईमान लाओ

لَكُمْ ۖ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ

अपने भले को और अगर तुम कुफ़्र करो<sup>422</sup> तो बेशक अल्लाह ही का है जो कुछ आस्मानों और ज़मीन में है और अल्लाह

عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا

इल्मो हिकमत वाला है ऐ किताब वालो अपने दीन में ज़ियादती न करो<sup>423</sup> और अल्लाह पर

عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۗ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ

न कहो मगर सच<sup>424</sup> मसीह ईसा मरयम का बेटा<sup>425</sup> अल्लाह का रसूल ही है

وَكَرَّمَتْهُ الْجَاهِلُونَ إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٍ مِنْهُ ۗ فَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ

और उस का एक कलिमा<sup>426</sup> कि मरयम की तरफ़ भेजा और उस के यहां की एक रूह तो अल्लाह और उस के रसूलों पर ईमान लाओ<sup>427</sup> और

418 : अल्लाह के साथ 419 : किताबे इलाही में हुजूर के औसफ़ बदल कर और आप की नुबुव्वत का इन्कार कर के 420 : जब तक वोह

कुफ़्र पर काइम रहें या कुफ़्र पर मरें। 421 : सथियदे अम्बिया मुहम्मद मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 422 : और सथियदे अम्बिया मुहम्मद मुस्तफ़ा

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ की रिसालत का इन्कार करो तो इस में उन का कुछ ज़रूर नहीं और अल्लाह तुम्हारे ईमान से बे नियाज़ है। 423 शाने नुज़ूल : येह

आयत नसारा के हक़ में नाज़िल हुई जिन के कई फ़िके हो गए थे और हर एक हज़रते ईसा عَلَيْهِ السَّلَام की निस्वत जुदागाना कुफ़्री

अक़ीदा रखता था। नस्तूरी आप को खुदा का बेटा कहते थे, मरकूमि कहते कि वोह तीन में के तीसरे हैं। और इस कलिमे की तौजीहात में

भी इख़िलाफ़ था : बा'ज' तीन उक्नूम मानते थे और कहते थे कि बाप, बेटा, रूहुल कुदुस। बाप से ज़ात, बेटे से ईसा, रूहुल कुदुस से इन

में हुलूल करने वाली हयात मुग़द लेते थे। तो उन के नज़दीक "इलाह" तीन थे और इस तीन को एक बताते थे "तौहीद फ़ित्तस्लीस" (तीनों

के मज्मूए को खुदा समझने) और "तस्तलीस फ़ित्तौहीद" (तीनों में से हर एक को खुदा समझने) के चक्कर में गिरिफ़्तार थे। बा'ज' कहते थे

कि ईसा नासूतिय्यत (बशरिय्यत) और उलूहिय्यत (मा'बूदिय्यत) के जामेअ हैं, मां की तरफ़ से इन में "नासूतिय्यत" आई, और बाप की तरफ़

से "उलूहिय्यत" आई, اِنَّمَا اللهُ عَمَّا يَقُولُونَ غُلُوًّا كَبِيرًا (अल्लाह इन की बातों से बहुत ही बरतरो बुलन्द है)। येह फ़िक़र बन्दी नसारा में एक

यहूदी ने पैदा की जिस का नाम बौलुस था और उस ने उन्हें गुमराह करने के लिये इस किस्म के अक़ीदों की ता'लीम की। इस आयत में अहले

किताब को हिदायत की गई कि वोह हज़रते ईसा عَلَيْهِ السَّلَام के बाब में इफ़रातो तफ़रीत (कमी ज़ियादती) से बाज रहें, खुदा और खुदा का

बेटा भी न कहें और इन की तन्क़ीस (शान में कमी) भी न करें। 424 : अल्लाह का शरीक और बेटा भी किसी को न बनाओ और हुलूल

व इत्तिहाद (या'नी हज़रते ईसा عَلَيْهِ السَّلَام की ज़ात में खुदा के उतर आने और अल्लाह عَزَّوَجَلَّ हज़रते ईसा عَلَيْهِ السَّلَام व हज़रते मरयम رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا का मिल कर एक खुदा होने) का ऐब भी मत लगाओ और इस ए'तिक़ादे हक़ पर रहो कि 425 : है और इस मोहतरम के लिये इस के सिवा

कोई नसब नहीं 426 : कि "कुन" फ़रमाया और वोह बिगैर बाप और बिगैर नुत्फ़े के महज़ अम्रे इलाही से पैदा हो गए। 427 : और तस्दीक

لَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۖ إِنَّمَا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ ۖ سُبْحَانَ

तीन न कहे<sup>428</sup> बाज़ रहे अपने भले को **अल्लाह** तो एक ही खुदा है<sup>429</sup> पाकी उसे

أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۗ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَكَفَى

इस से कि उस के कोई बच्चा हो उसी का माल है जो आस्मानों में है और जो कुछ ज़मीन में<sup>430</sup> और **अल्लाह** काफी

بِاللَّهِ وَكَيْلًا ۚ ۞ لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا

कारसाज़ (काम बनाने वाला) है हरगिज़ मसीह **अल्लाह** का बन्दा बनने से कुछ नफ़रत नहीं करता<sup>431</sup> और न

الْمَلِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ۗ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ

मुक़र्रब फिरिश्ते और जो **अल्लाह** की बन्दगी से नफ़रत और तकबुर करे

فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ۞ ۞ فَاَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

तो कोई दम जाता है कि वोह उन सब को अपनी तरफ़ हांकेगा<sup>432</sup> तो वोह जो ईमान लाए और अच्छे काम किये

فَيُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا

उन की मज़दूरी उन्हें भरपूर दे कर अपने फ़ज़ल से उन्हें और ज़ियादा देगा और वोह जिन्होंने ने<sup>433</sup> नफ़रत

وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۗ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ

और तकबुर किया था उन्हें दर्दनाक सज़ा देगा और **अल्लाह** के सिवा न अपना कोई

وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۞ ۞ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ

हिमायती पाएंगे न मददगार ऐ लोगो बेशक तुम्हारे पास **अल्लाह** की तरफ़ से वाजेह दलील आई<sup>434</sup> और

أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ۞ ۞ فَاَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا

हम ने तुम्हारी तरफ़ रोशन नूर उतारा<sup>435</sup> तो वोह जो **अल्लाह** पर ईमान लाए और उस की रस्सी मज़बूत

करो कि **अल्लाह** वाहिद है, बेटे और औलाद से पाक है और उस के रसूलों की तस्दीक करो और इस की, कि हज़रते ईसा عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالسَّلَام

**अल्लाह** के रसूलों में से हैं 428 : जैसा कि नसारा का अक्कीदा है कि वोह कुफ़्र महज़ (ख़ालिस कुफ़्र) है 429 : कोई उस का शरीक नहीं । 430 : और वोह सब का मालिक है और जो मालिक हो वोह बाप नहीं हो सकता । 431 शाने नुज़ूल : नसाराए नज़रान का एक वफ़द

सय्यिदे आलम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ की खिदमत में हाज़िर हुवा, उस ने हुज़ूर से कहा कि आप हज़रते ईसा को ऐब लगाते हैं कि वोह **अल्लाह** के

बन्दे हैं । हुज़ूर ने फ़रमाया कि हज़रते ईसा के लिये येह आर की बात नहीं । इस पर येह आयते शरीफ़ा नाज़िल हुई । 432 : या'नी आखिरत

में इस तकबुर की सज़ा देगा । 433 : इबादते इलाही बजा लाने से 434 : दलीले वाजेह से सय्यिदे आलम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ की जाते गिरामी

मुग़द है जिन के सिद्क़ पर इन के मो'जिज़े शाहिद हैं और मुन्किरीन की अक्लों को हैरान कर देते हैं । 435 : या'नी कुरआने पाक ।

بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ ۗ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ

थामी तो अङ्करीब **अल्लाह** उन्हें अपनी रहमत और अपने फ़ज़ल में दाख़िल करेगा<sup>436</sup> और उन्हें अपनी तरफ़ सीधी राह

مُسْتَقِيمًا ۝ ٤٥ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَلَةِ ۗ إِنِ امْرُؤٌ

दिखाएगा ऐ महबूब तुम से फ़तवा पूछते हैं तुम फ़रमा दो कि **अल्लाह** तुम्हें कलालह<sup>437</sup> में फ़तवा देता है अगर किसी मर्द

هَلَكٌ لِّيَسَّ لَهُ وَلَدٌ ۖ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۗ وَهُوَ يَرِثُهَا

का इन्तिकाल हो जो बे औलाद है<sup>438</sup> और उस की एक बहन हो तो तर्के में से उस की बहन का आधा है<sup>439</sup> और मर्द अपनी बहन का वारिस होगा

إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّدْشَانُ مِمَّا تَرَكَ ۗ

अगर बहन की औलाद न हो<sup>440</sup> फिर अगर दो बहनें हों तर्के में उन का दो तिहाई

وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حِظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ

और अगर भाई बहन हों मर्द भी और औरतें भी तो मर्द का हिस्सा दो औरतों के बराबर

يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ٤٦

**अल्लाह** तुम्हारे लिये साफ़ बयान फ़रमाता है कि कहीं बहक न जाओ और **अल्लाह** हर चीज़ जानता है

﴿ آيَاتُهَا ١٢٠ ﴾ ﴿ ٥ سُورَةُ الْمَائِدَةِ مَدِينَةُ ١١٢ ﴾ ﴿ رُكُوعَاتُهَا ١٦ ﴾

सूरए माइदह मदनिय्या है, इस में एक सो बीस आयत और सोलह रूकूअ हैं<sup>1</sup>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**अल्लाह** के नाम से शुरूअ जो बहुत मेहरबान रहम वाला

436 : और जन्नत व दरजाते अलिया अता फ़रमाएगा । 437 : “कलालह” उस को कहते हैं जो अपने बा'द न बाप छोड़े न औलाद ।

438 शाने नुज़ूल : हज़रते जाबिर बिन अब्दुल्लाह رضي الله عنه से मरबी है कि वोह बीमार थे तो रसूले करीम صلی الله علیه وسلم मअ हज़रत सिद्दीके अक्बर رضي الله عنه के इयादत के लिये तशरीफ़ लाए, हज़रते जाबिर बेहोश थे, हज़रत ने वुजू फ़रमा कर आबे वुजू उन पर डाला, उन्हें इफ़ाका हुवा आंख खोल कर देखा तो हज़ूर तशरीफ़ फ़रमा हैं, अर्ज़ किया : या रसूलल्लाह ! मैं अपने माल का क्या इन्तिज़ाम करूँ ? इस पर येह आयते करीमा नाज़िल हुई (بخاری و مسلم), अबू दावूद की रिवायत में येह भी है कि सय्यिदे आलम صلی الله علیه وسلم ने हज़रते जाबिर رضي الله عنه से फ़रमाया : ऐ जाबिर ! मेरे इल्म में तुम्हारी मौत इस बीमारी से नहीं है । इस हदीस से चन्द मस्अले मा'लूम हुए । मस्अला : वुजुर्गो का आबे वुजू तबर्कक है और इस को हुसूले शिफ़ा के लिये इस्ति'माल करना सुन्नत है । मस्अला : मरीजों की इयादत सुन्नत है । मस्अला : सय्यिदे आलम صلی الله علیه وسلم को **अल्लाह** तआला ने उलूमे ग़ैब अता फ़रमाए हैं, इस लिये हज़ूर صلی الله علیه وسلم को मा'लूम था कि हज़रते जाबिर की मौत इस मरज़ में नहीं है । 439 : अगर वोह बहन सगी या बाप शरीक हो । 440 : या'नी अगर बहन बे औलाद मरी और भाई रहा तो वोह भाई उस के कुल माल का वारिस होगा । 1 : सूरए माइदह मदीनए तय्यिबा में नाज़िल हुई सिवाए आयत “الْيَوْمَ اكْتُمْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ” के, येह आयत रोज़े अरफ़ा, हज़तुल वदाअ में नाज़िल हुई और सय्यिदे आलम صلی الله علیه وسلم ने खुल्बे में इस को पढ़ा इस में एक सो बीस आयतें और बारह हज़ार चार सो चौंसठ हर्फ़ हैं ।